भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

6, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

ई-निविदा सं 2026_आरबीआई_286940_1

भाग – I

ई-निविदा: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य

बोलीदाता का नाम:

_____

पिन कोड के साथ पोस्टल एड्रेस

_____

फोन/ मोबाइल नं.

_____

ईमेल:

_____

यह दस्तावेज़ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की संपत्ति है। आरबीआई की लिखित अनुमति के बिना इसकी किसी भी माध्यम (इलेक्ट्रॉनिक या अन्य) पर कॉपी, वितरण या रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है, सिवाय उस उद्देश्य के लिए जिसके तहत आरबीआई को जवाब दिया जाना है। इस दस्तावेज़ की सामग्री का इस्तेमाल, यहाँ बताए गए मकसद के अलावा किसी भी दूसरे मकसद के लिए (अधिकृत कर्मचारियों/एजेंसियों द्वारा भी) करना सख़्ती से मना है। ऐसा करना कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए भारतीय कानून के तहत सज़ा हो सकती है।

अनुक्रमणिका

खंड / अनुलग्नक	विवरण	पृष्ठ संख्या
	अस्वीकरण	**4**
भाग-I-तकनीकी वाणिज्यिक बोली		
खंड I	ई-निविदा की समय-सारणी (एसओटी)	5
खंड II	ई-निविदा के संबंध में महत्त्वपूर्ण अनुदेश (सीपीपीपी बोली प्रक्रिया के निर्देश और संपर्क जानकारी)	8
खंड III	बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और अनुदेश (संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने और प्रस्तुत करने में सहायता करने संबंधी निर्देश)	9-19
खंड III (क)	बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश	9-19
खंड III (ख)	पात्रता मापदंड	20-23
खंड III (ग)	बोलियों का मूल्यांकन	24-25
खंड III (घ)	निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	26-30
खंड IV	संविदा की सामान्य और विशिष्ट शर्तें (वे शर्तें जो संविदा को नियंत्रित करेंगी)	31-36
खंड IV (क)	कार्य और सेवाओं के दायरे	31-36
खंड IV (ख)	संविदा के नियम व शर्तें	37-59
खंड V	**विभिन्न खंड के लिए अनुलग्नक**	
अनुलग्नक I	ई-निविदा का प्रपत्र	60-63
अनुलग्नक II	शॉर्टलिस्टिंग/ पात्रता मापदंड फॉर्मेट	64-66
फॉर्मेट 1	मूलभूत जानकारी	64-66
फॉर्मेट 2	पिछले कार्य का अनुभव	67-67
फॉर्मेट 3	पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले कार्य	68-69

फॉर्मेट 3ए	अपने ठेकेदार के प्रदर्शन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र	70-71
फॉर्मेट 4	वित्तीय स्थिति	72
फॉर्मेट 5	अनुसूचित बैंक का बैंकर प्रमाण-पत्र प्रपत्र	73
फॉर्मेट 5ए	निविदाकार के बैंक की जानकारी	74
अनुलग्नक III	अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट	75
अनुलग्नक IV	बोली लगाने वाले के लेटरहेड पर वचनपत्र	76
अनुलग्नक V	सार्वजनिक संस्थान(नों) द्वारा डिबारमेंट (प्रतिबंध) की घोषणा के संबंध में वचन-पत्र	77
अनुलग्नक VI	बोली लगाने वाले द्वारा कानूनी कार्रवाई / मुकदमेबाजी / मध्यस्थता के संबंध में वचन-पत्र का प्रारूप	78-79
अनुलग्नक VII	अर्नेस्ट मनी डिपॉज़िट के बदले बैंक गारंटी के लिए प्रोफॉर्मा	80-82
अनुलग्नक VIII	परफॉर्मेंस बैंक गारंटी का प्रोफार्मा	83-85
अनुलग्नक IX	करार की शर्तें	86-92
	सामान्य नियमों और शर्तों का परिशिष्ट	
अनुलग्नक X	भारत के साथ ज़मीनी सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोली लगाने वाले द्वारा अंडरटेकिंग / घोषणा / प्रमाण-पत्र का प्रोफार्मा	101-102
भाग II – वित्तीय / मूल्य बोली		
खंड VI	वित्तीय / मूल्य बोली	104-114

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) ने इच्छुक बोलीदाताओं को "**भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण**" के लिए निविदा से जुड़ी पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज़ तैयार किया है। यद्यपि बैंक ने इस दस्तावेज़ की जानकारी तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सटीक मानता है, फिर भी बैंक या उसकी कोई भी एजेंसी, अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार इस दस्तावेज़ में दी गई जानकारी या इसके साथ प्रदान की गई किसी भी जानकारी की पूर्णता या सटीकता के संबंध में कोई स्पष्ट या निहित वारंटी या प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

यह जानकारी संपूर्ण होने का दावा नहीं करती है। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी स्वयं की जांच करनी होगी और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में यह पुष्टि करनी होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे "**भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण**" के लिए निविदा जमा करते समय केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर निर्भर नहीं हैं। यह जानकारी इस आधार पर दी जा रही है कि यह बैंक, उसके किसी भी अधिकारी, एजेंसी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार पर बाध्यकारी नहीं है। बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह इस काम को आगे न बढ़ाए, काम के स्वरूप में बदलाव करे, इस दस्तावेज़ में बताए गए समय-सारणी/शेड्यूल में परिवर्तन करे, या अपनाई जाने वाली प्रक्रिया या कार्य-विधि में बदलाव करे।

इसके साथ ही, निविदा प्रस्तुत करने वाले किसी भी बोलीदाता के साथ इस मामले पर आगे चर्चा न करने का अधिकार भी सुरक्षित है। "**भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण**" के लिए यह निविदा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति/बोलीदाता को किसी भी प्रकार की लागत का कोई प्रतिपूर्ति (रिफंड) नहीं किया जाएगा। दस्तावेज़ के हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों के अर्थ में कोई विवाद होने की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण का अर्थ ही मान्य होगा।

खंड I: निविदा की समय-सारणी (एसओटी)

ई-निविदा की समय-सारणी (एसओटी) इस प्रकार है:

क्रम सं.	मद	विवरण
1.	ई-निविदा संख्या	**2026_आरबीआई_286940_1**
2.	निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी	क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक संपदा विभाग नई दिल्ली टेलीफोन नं. 011-23353075 ईमेल आईडी: gpcnewdelhi@rbi.org.in
3.	कार्य का नाम	भारतीय रिजर्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ना और नई चारदीवारी का पुननर्माण।
4.	स्थान	जैसे कार्य के दायरे में दिया गया है (खंड IV(ए))
5.	निविदा का तरीका	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (ईएमडी के प्रमाण वाला पहला ई-कवर, दूसरा ई-कवर अर्थात, भाग -I तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और तीसरा ई-कवर अर्थात, भाग -II मूल्य बोली) निविदा केवल ई-निविदा पोर्टल - सीपीपी पोर्टल (https://etenders.gov.in/eprocure/app) के माध्यम से की जाएगी। निविदा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सभी इच्छुक बोलीदाताओं को उपरोक्त वेबसाइट के माध्यम से सीपीपीपी के साथ अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
6.	निविदा की अनुमानित लागत	₹99.29 लाख (निन्यानवे लाख उनत्तीस हजार रुपये मात्र)
7.	एनआईटी की तिथि पार्टियों के लिए डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है	अगस्त 08, 2026, सुबह 11:00 बजे से
8.	बोली पूर्व बैठक की तिथि और स्थान	ऑफलाइन 07 सितंबर 2026, सुबह 11:00 बजे। स्थान: भारतीय रिज़र्व बैंक, पहली मंजिल, संपदा विभाग, नई दिल्ली।

9.	बयाना जमाराशि	₹1,98,589/- (एक लाख अट्ठानबे हजार पांच सौ नवासी रुपये मात्र)। अधिक विवरण निविदा दस्तावेज के खंड III (क) के क्लॉज़ संख्या 13 में प्रदान किया गया है।
10.	https://etenders.gov.in/eprocure/app पर ई-निविदा (ईएमडी का प्रमाण, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली) ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभिक तिथि	सितम्बर 07, 2026, शाम 05:00 बजे से
11.	सीपीपी पोर्टल पर पहले ई-कवर में ईएमडी जमा करने और मांग ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक गारंटी के माध्यम से भुगतान करने के मामले में मूल ईएमडी दस्तावेज़ जमा करने के प्रमाण की अंतिम तिथि	सितम्बर 17, 2026 12: 30 बजे
12.	https://etenders.gov.in/eprocure/app पर ई-निविदा (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली) ऑनलाइन जमा करने की तिथि	17 सितम्बर 2026, शाम 05:00 बजे से
13.	पहले ई-कवर (ईएमडी जमा करने के प्रमाण सहित) के खुलने की तिथि और समय	18 सितंबर 2026 को अपराह्न 03:00 बजे (उपस्थित रहने का विकल्प चुनने वाले बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में)
14.	दूसरे ई-कवर (भाग-1 अर्थात, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तिथि	18 सितंबर 2026, ईएमडी मिलने की पुष्टि के बाद (उपस्थित रहने का विकल्प चुनने वाले बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में)
15.	तीसरे ई-कवर (भाग-II अर्थात मूल्य बोली) के खुलने की तिथि	केवल उन्हीं बोलीदाताओं का तीसरा ई-कवर यानी भाग-II (मूल्य बोली) बाद की तिथि में खोला जाएगा जो भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में सफल हैं, और इसकी सूचना योग्य बोलीदाताओं को ईमेल के माध्यम से दी जाएगी। (उपस्थित रहने का विकल्प चुनने वाले बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में)

16.	बोली की वैधता	निविदा के भाग I (तकनीकी वाणिज्यिक बोली) के खुलने की तारीख से तीन महीने (90 दिन); आपसी सहमति से इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है, और इस दौरान बोली लगाने वाला/वाले निविदा को रद्द या वापस नहीं ले सकेंगे।

खंड-II

ई-निविदा से संबंधित महत्त्वपूर्ण अनुदेश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक का ई-प्रोक्योरमेंट इवेंट है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता/कॉन्ट्रैक्टर सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) है। https://etenders.gov.in/eprocure/app

ई-निविदा की प्रक्रिया: होमपेज पर बोलीदाता मैनुअल किट उपलब्ध है।

ए) नए बोलीदाता के लिए पंजीकरण: इस प्रक्रिया में सीपीपी पोर्टल पर वेंडर का रजिस्ट्रेशन शामिल है, जो निःशुल्क है।

https://etenders.gov.in/eprocure/app?page=BiddersManualKit&service=page

किसी भी तकनीकी सहायता के लिए कृपया 24*7 हेल्प डेस्क पर कॉल करें

0120-4001 002

0120-4001 005

0120- 4493395

अंतरराष्ट्रीय बोलीदाता कृपया कंट्री कोड के रूप में +91 प्रिफिक्स लगाएँ।

ईमेल सहायता:

प्रकाशित निविदाओं से संबंधित किसी भी समस्या या स्पष्टीकरण के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे संबंधित निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण/प्राधिकारी से संपर्क करें।

तकनीकी – support-eproc@nic.in

नीति से संबंधित – cppp-doe@nic.in

बी) आरबीआई, नई दिल्ली में संपर्क व्यक्ति

i. श्री कृष्ण कुमार सिंह
सहायक महाप्रबंधक (तकनीकी)
संपर्क संख्या: 011-23353075, 9438342101
ईमेल: gpcnewdelhi@rbi.org.in; estatenewdelhi@rbi.org.in

ii. सुश्री कगितापल्ली सुस्मिता
प्रबंधक
संपर्क संख्या: 011-23353075
ईमेल: gpcnewdelhi@rbi.org.in; estatenewdelhi@rbi.org.in

खंड III – बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम और अनुदेश

खंड III (क) – बोलीदाताओं के लिए सामान्य अनुदेश

1.	**तीन कवर/ दो बोली प्रणाली में बोली**
	i. यह निविदा तीन ई-कवरों में है: पहले ई-कवर में बयाना राशि जमा करने का प्रमाण होगा, दूसरे ई-कवर में विधिवत भरा हुआ निविदा भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली), पूर्ण पात्रता मानदंड, तकनीकी बोली / विवरण आदि होंगे, और तीसरे ई-कवर में विधिवत भरा हुआ निविदा भाग II (मूल्य बोली) होगा। बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करके सीपीपीपी पर अपने ई-कवर (तीन बोलियां) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। ii. "**ई-निविदा से संबंधित महत्वपूर्ण अनुदेश**" (खंड II) के अंतर्गत ऊपर दिए गए निर्देश बोलीदाताओं को सीपीपीपी पर पंजीकरण करने, आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियाँ तैयार करने और सीपीपीपी पर ऑनलाइन बोलियाँ प्रस्तुत करने में सहायता करने के लिए हैं। ऊपर बताए अनुसार, ठीक से भरे हुए निविदा केवल सीपीपीपी पर ही जमा किए जा सकते हैं, और यह निविदा मिलने की तय तारीख और समय (जैसा कि एनआईटी / ई-निविदा के शेड्यूल में बताया गया है) के बाद नहीं जमा किए जा सकते।
2.	**परिभाषा**
	खंड IV (बी) का क्लॉज़ 1 उन परिभाषाओं का विवरण देता है जो संपूर्ण निविदा दस्तावेज़ पर लागू होंगी।
3.	**निविदा का भाग II खोलने के लिए बोलीदाताओं की शॉर्टलिस्टिंग**
	खंड III(ख) में दी गई पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करने वाले बोलीदाताओं के भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) का मूल्यांकन खंड III(ग) में दी गई मूल्यांकन प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। केवल वे बोलीदाता जो भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में सफल होंगे, तीसरे ई-कवर यानी भाग-II (मूल्य बोली) को खोलने के पात्र होंगे।
4.	**स्पष्टीकरण और बोली-पूर्व बैठक**
	i. इस दस्तावेज़ पर किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर बोलीदाता इस दस्तावेज़ में उल्लिखित ईमेल पते पर बैंक से लिखित रूप में संपर्क कर सकते हैं या बोली-पूर्व बैठक के दौरान प्रश्न उठा सकते हैं। बोली-पूर्व बैठक के आरंभ होने से पूर्व प्रश्न भेजे जाने चाहिए। ii. बोली लगाने वालों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को एसओटी में बताई गई तारीख पर बोली-पूर्व बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बैठक का उद्देश्य समस्याओं को स्पष्ट करना और उस समय उठाए जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देना होगा। पूर्व-बोली बैठक में अनुपस्थिति किसी बोलीदाता की अयोग्यता का कारण नहीं होगी। तथापि, पूर्व-बोली बैठक के पश्चात निविदा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता है।

	iii. पूर्व-बोली बैठक के कार्यवृत्त केवल आरबीआई वेबसाइट और सीपीपीपी पर प्रकाशित किए जाएंगे और वे सभी बोलीदाताओं पर बाध्यकारी होंगे।	
	यदि किसी निविदा में कोई विचलन या शर्त पाई जाती है, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।	
5.	**साइट विजिट**	
	बोलीदाता को साइट का दौरा करना होगा और "**आरबीआई ऑफिसर्स कॉलोनी, हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी बाउंड्री वॉल को गिराने और नई बाउंड्री वॉल के पुनर्निर्माण**" के काम को समझना होगा। जैसा कि इस दस्तावेज़ में {खंड-IV (क) **कार्य के दायरे**} के अंतर्गत संकेत दिया गया है, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे साइट का दौरा करें और वहाँ की स्थितियों से परिचित हों। वहाँ जाने की लागत बोलीदाता द्वारा वहन की जाएगी। यह माना जाएगा कि बोलीदाता ने निविदा दस्तावेज जमा करने से पहले परिसर का दौरा कर लिया है और वह परिचालन तथा स्थल की स्थितियों से अवगत है।	
6.	**निविदा दस्तावेज़ों में संशोधन**	
	(i) निविदा/बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, बैंक अपने स्वयं के विवेक पर या किसी संभावित बोलीदाता द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के उत्तर में, संशोधन द्वारा निविदा दस्तावेज के किसी भी हिस्से को बदल सकता है और इसे आरबीआई की वेबसाइट (https://www.rbi.org.in/Scripts/BS_ViewTenders.aspx) पर अपलोड कर दिया जाएगा। (ii) परिशिष्ट/शुद्धिपत्र के रूप में किया गया उक्त संशोधन सभी बोलीदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। यदि कोई परिशिष्ट जारी किया जाता है, तो वह संविदा दस्तावेज का हिस्सा बनेगा। (iii) ऐसे संशोधनों को ध्यान में रखते हुए, संभावित बोलीदाताओं को अपनी बोलियां तैयार करने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक से बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है।	
7.	**विवर्जन**	
	निम्नलिखित कारणों से किसी बोलीदाता को प्रतिबंधित या अयोग्य घोषित किया जा सकता है:	
	(1)	यदि यह निर्धारित हो जाता है कि बोलीदाता ने आचार संहिता के उल्लंघन में निम्नलिखित कृत्य या चूक की है: क. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने या प्रक्रिया को प्रभावित करने के उद्देश्य से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रिश्वत, इनाम, उपहार या सामग्री लाभ का प्रस्ताव रखना, मांगना या स्वीकार करना।

		ख. कोई भी चूक या गलत बयानी जो गुमराह करने या गुमराह करने का प्रयास करने के लिए हो, जिससे वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त किया जा सके, या किसी दायित्वों से बचा जा सके। ग. किसी भी प्रकार की साठगांठ, बोली में धांधली या प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण जो खरीद प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और उन्नति को बाधित कर सकता है। घ. खरीद प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के इरादे से या व्यक्तिगत लाभ के लिए, प्रोक्योरिंग एंटिटी द्वारा बोलीदाता को प्रदान की गई जानकारी का अनुचित उपयोग।
		ङ. बोली लगाने वाले और सामान या सेवा खरीदने वाली संस्था के किसी अधिकारी के बीच निविदा या कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की प्रक्रिया से जुड़ा कोई भी वित्तीय या व्यावसायिक लेन-देन: जो सीधे या परोक्ष रूप से खरीदने वाली संस्था के फ़ैसले को प्रभावित कर सकता है। च. खरीद प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी पक्ष या उसकी संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुँचाने या हानि पहुँचाने की धमकी देना या दबाव डालना। छ. खरीद प्रक्रिया की किसी भी जाँच या ऑडिट में बाधा डालना। ज. निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए झूठी घोषणाएँ करना या गलत जानकारी देना। (ii) हितों के टकराव का खुलासा करने में विफल रहना. (iii) पिछले तीन वर्षों में भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/इकाई के समक्ष उप-खंड (i) के प्रावधानों के संबंध में हुए पिछले उल्लंघनों का खुलासा करने में असफल रहे हों, या किसी सार्वजनिक खरीद संस्थान/इकाई द्वारा उन्हें प्रतिबंधित किया गया हो।
	(2)	बोलीदाता द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी अन्य ऐसे कृत्य या चूक के लिए, जो बैंक की राय में विवर्जन (debarment) का वारंट करता है, जैसे कि घटिया सामग्री की आपूर्ति, सामग्री की आपूर्ति न करना, कार्य का परित्याग, घटिया कार्य गुणवत्ता, निविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता आदि।
	(3)	यदि बोलीदाता को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है— (क) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत; या (ख) भारतीय दंड संहिता/भारतीय न्याय संहिता 2023 (बीएनएस) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अंतर्गत, सार्वजनिक खरीद अनुबंध के निष्पादन के दौरान किसी जान-माल की हानि या सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पहुँचाने के लिए।

	बोली लगाने वाले को अनुलग्नक V में दिए गए फ़ॉर्मैट में एक अंडरटेकिंग जमा करनी होगी।
8.	**बोली से संबंधित दस्तावेज़**
	निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे: **(i) पहला ई-कवर (केवल ऑनलाइन प्रस्तुति)) –** एनआईटी/ ई-निविदा की अनुसूची में विनिर्दिष्ट बयाना राशि (ईएमडी) जमा करने का विवरण।. **(ii) दूसरा ई-कवर यानी भाग । (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली)- (केवल ऑनलाइन प्रस्तुति))** खंड III(घ) के अनुसार चेकलिस्ट). निविदा/बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पक्ष में मुख्तारनामा (अनुलग्नक-III में दिए गए प्रारूप के अनुसार)। उचित रूप से भरा हुआ और हस्ताक्षरित निविदा दस्तावेज़ जिसमें शामिल हैं: (ए) भाग I: तकनीकी-वाणिज्यिक बोली यानी संपूर्ण निविदा दस्तावेज (भाग-II को छोड़कर) विधिवत हस्ताक्षरित। निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। प्रत्येक दस्तावेज/प्रारूप/संलग्नक में बताए अनुसार विधिवत भरा हुआ, हस्ताक्षरित और प्रमाणित।
	(iii) तीसरा ई-कवर अर्थात भाग-II (मूल्य बोली) (केवल ऑनलाइन प्रस्तुति) भाग – II (मूल्य बोली) को वैध डिजिटल हस्ताक्षरों का उपयोग करके सीपीपीपी पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
9.	**निविदा तैयार करना और निविदा की लागत**
	i. बोलीदाता को निविदा प्रस्तुत करने और अनुबंध करने के उद्देश्य से आवश्यक सभी जानकारी अपने उत्तरदायित्व और अपने खर्च पर स्वयं प्राप्त करनी होगी, तथा कार्यस्थल का निरीक्षण करना होगा और सभी स्थानीय स्थितियों, कार्य तक पहुँच के साधनों, कार्य की प्रकृति और उससे संबंधित सभी मामलों से स्वयं को अवगत कराना होगा. ii. यह समझा जाएगा कि बोलीदाता ने कार्य और स्थल की स्थितियों, श्रम, बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियमों और निर्देशों, अनुबंध की सामान्य और विशिष्ट शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लिया है और निविदा में उद्धृत दरों पर पहुँचने के लिए स्वयं अपनी जाँच-पड़ताल कर ली है। इस मामले में, बैंक के पास जो भी जानकारी होगी वह उन्हें दे दी जाएगी, पर उसके सही या पूरे होने की कोई गारंटी नहीं होगी। i. बोलियां और उनके साथ संलग्न सभी दस्तावेज अंग्रेजी या हिंदी में होने चाहिए। दस्तावेजों के अंग्रेजी और हिंदी संस्करणों में किसी भी प्रकार की असंगति या अस्पष्टता की स्थिति में, व्याख्या के मामलों में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
10.	**इस्तेमाल किया जाने वाला फ़ॉर्मैट**
	बोलीदाता को केवल बैंक द्वारा जारी किए गए निविदा प्रपत्रों को भरना, हस्ताक्षर करना और

	अपलोड करना होगा, जिसमें सीपीपीपी के तहत कार्य करने की उसकी इच्छा और दरों का उल्लेख हो। जो निविदा आमंत्रण प्रपत्र में निर्दिष्ट कार्य या कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय में किसी भी परिवर्तन का प्रस्ताव करते हैं, या जिनमें सशर्त छूट सहित किसी भी प्रकार की अन्य शर्तें शामिल हैं, उन्हें अस्वीकार किया जा सकता सभी ज़रूरी जानकारी, दस्तावेज़ आदि भी केवल सीपीपीपी पर ही अपलोड किए जाएँगे।
11.	**आइटम दर निविदा**
	बोलीदाता को यह नोट करना चाहिए कि जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, निविदा पूरी तरह से मद दर (आइटम रेट) के आधार पर है और उनका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता है कि प्रत्येक मद की दरें सही, व्यावहारिक और आत्मनिर्भर होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची में दी गई मात्राएँ कार्य के कुल विस्तार का लगभग संकेत देती हैं, किंतु ये किसी भी सीमा तक भिन्न हो सकती हैं और यहाँ तक कि छोड़ी भी जा सकती हैं, जिससे अनुबंध का कुल मूल्य परिवर्तित हो सकता है। उद्धृत दरें मात्राओं की अनुसूची में प्रत्येक मद की निर्दिष्ट मात्रा के प्लस (+) या माइनस (-) 25% के विचलन के लिए स्थिर रहेंगी।
12.	**दरों को भरना**
	i. प्रत्येक वस्तु की राशि की गणना की जानी चाहिए और निर्धारित कॉलम में आवश्यक कुल राशि दी जानी चाहिए।
	ii. यदि किसी मद (आइटम) के लिए कोई दर उद्धृत नहीं की गई है, और आंकड़े तथा राशि के स्थान खाली छोड़ दिए गए हैं, तो निविदा को अधूरा माना जाएगा और उस पर विचार नहीं किया जाएगा। iii. निविदा खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी परिवर्तन की सूचना पर विचार नहीं किया जाएगा।
13.	**बयाना जमा राशि**
	i. बोलीदाताओं को ₹ 1,98,589/- (एक लाख अट्ठानवे हज़ार पाँच सौ नवासी रुपये मात्र) की बयाना राशि जमा करनी होगी और इसके जमा करने के प्रमाण को सीपीपीपी पर निविदा के पहले ई-कवर में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। ii. बयाना राशि केवल निम्नलिखित माध्यमों में से किसी एक से जमा की जानी चाहिए। – क. निम्नलिखित खाते में एनईएफ़टी के माध्यम से(अधिमानत): **लाभार्थी**: **भारतीय रिज़र्व बैंक**, **नई दिल्ली खाता सं**: **06869229906** **आईएफ़एस कोड**: **RBIS0NDPA01 (कृपया आईएफ़एससी का 5वां और 10वां अंक शून्य पढ़ें)**

	टिप्पणियों में बोलीदाता का नाम और निविदा संख्या का उल्लेख होना चाहिए। ख. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के नाम पर किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ़्ट या बैंकर चेक द्वारा। ग. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में जारी किए गए, शेड्यूल बैंक से प्राप्त बैंक गारंटी के माध्यम से (जैसा कि अनुलग्नक VII में बताया गया है)। बैंक गारंटी की वैधता कम से कम निविदा की वैधता अवधि तक होनी चाहिए, जैसा कि इस खंड III(क) के क्लॉज़ 20 में बताया गया है। iii. मूल रूप में ईएमडी (डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक या बैंक गारंटी के माध्यम से) एनआईटी/एसओटी में निर्धारित अंतिम तिथि या उससे पहले सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन), संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को प्रस्तुत की जाएगी। iv. किसी भी परिस्थिति में ऊपर निर्धारित रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में ईएमडी स्वीकार नहीं की जाएगी। इसके अतिरिक्त, बैंक के अन्य कार्यालय के खाते में प्रस्तुत बयाना राशि स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रस्तुति के प्रमाण के रूप में डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी की स्कैन की गई प्रतिलिपि पहले ई-कवर में अपलोड करनी होगी। v. केवल उन्हीं बोलीदाताओं के दूसरे ई-कवर यानी भाग। (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को खोलने पर विचार किया जाएगा, जिन्होंने नियत तारीख तक या उससे पहले ईएमडी जमा कर दिया है। ईएमडी जमा करने का प्रमाण पहले ई-कवर में अपलोड किया जाना चाहिए।
	vi. **ईएमडी की वापसी:** सफल बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की **ईएमडी**, **खंड** III (क) के खंड 20 के अनुसार बोली की वैधता (विस्तारित वैधता सहित) समाप्त होने पर अथवा सफल बोलीदाता को कार्य प्रदान किए जाने पर, इनमें से जो पहले हो, वापस/प्रतिदत्त की जाएगी। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल बोलीदाता की ईएमडी, खंड IV (ख) के खंड 4 के अनुसार कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत किए जाने के बाद जारी की जाएगी। vii. **ईएमडी की जब्ती: ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।** क. यदि बोलीदाता मूल्य बोली खोले जाने के बाद अपनी बोली वापस लेता है; या ख. यदि सफल बोलीदाता निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसे प्रदान किए गए कार्य को प्रारंभ करने में विफल रहता है; या (ग) अनुबंध निष्पादित करने अथवा पीबीजी प्रस्तुत करने में विफल रहता है और अनुबंध निष्पादित करने अथवा पीबीजी प्रस्तुत करने में विफल रहता है।
14.	**बोलीदाता द्वारा विधिक कार्रवाई/वाद-विवाद/मध्यस्थता के संबंध में वचनपत्र**

	बोलीदाता को यह आश्वासन देना होगा कि किसी भी विधिक क्षेत्राधिकार में किसी कारण से उसके विरुद्ध **कोई विधिक कार्रवाई लंबित/प्रचलित नहीं** है। यदि ऐसी कोई कार्रवाई लंबित/प्रचलित है और बोलीदाता का मत है कि इससे निविदा दस्तावेज के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने की उसकी क्षमता प्रभावित नहीं होती, तो उसे ऐसी कार्रवाई/कार्रवाइयों का विवरण देना होगा। बोलीदाता उन कार्यों का विवरण भी देगा जिनके संबंध में **दीवानी वाद/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता** के मामले आरंभ किए गए हैं या लंबित हैं। उपर्युक्त विवरण अनुलग्नक VI में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।
15.	**बोली पर हस्ताक्षर, पावर ऑफ अटॉर्नी**
	i. बोलीदाताओं को निविदा के भाग-I के साथ ऑनलाइन, उपयुक्त मूल्य के स्टाम्प पेपर पर विधिवत नोटरीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें बोली दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को बोली दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने, उनमें सुधार/संशोधन करने, बैंक के साथ संपर्क करने तथा संपर्क व्यक्ति के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया हो। पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप अनुलग्नक III के अनुसार होगा। ii. निविदा प्रस्तुत करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रत्येक निविदा दस्तावेज पर डिजिटल हस्ताक्षर इस आशय के प्रमाणस्वरूप किए जाने चाहिए कि उसने पात्रता मानदंड सहित बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम एवं निर्देश, अनुबंध की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें तथा निर्धारित अन्य नियम एवं शर्तें पढ़ और समझ ली हैं।
16.	**बोलियों में संशोधन/प्रतिस्थापन/वापसी**
	एनआईटी/एसओटी में निर्दिष्ट निविदा प्रस्तुत करने की नियत तारीख और समय के बाद प्रस्तुत बोली में किसी संशोधन, प्रतिस्थापन या वापसी की अनुमति नहीं होगी।
17.	**बोली प्रस्तुत करने की नियत तारीख**
	बोलियां एनआईटी/ई-निविदा अनुसूची में निर्दिष्ट निर्धारित तारीख और समय तक या उससे पहले सीपीपीपी पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी चाहिए। बैंक असाधारण परिस्थितियों में और अपने पूर्ण विवेकाधिकार से बोली प्रस्तुत करने की नियत तारीख बढ़ा सकता है।
18.	**विलंब से प्राप्त बोलियां**
	एनआईटी /ई-निविदा अनुसूची में बोलियां प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट नियत तारीख और समय के बाद अथवा, यदि कोई हो, विस्तारित बोली नियत तारीख के बाद कोई बोली स्वीकार नहीं की जाएगी।
19.	**बोलियां खोलना**
	i. विधिवत भरा हुआ प्रथम ई-कवर तथा द्वितीय ई-कवर अर्थात् निविदा का भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली), एनआईटी /ई-निविदा अनुसूची में निर्दिष्ट तारीख और समय

	पर सीपीपीपी पर उपस्थित रहने का विकल्प चुनने वाले बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा। ii. केवल उन बोलीदाताओं का तृतीय ई-कवर अर्थात् भाग-II (मूल्य बोली), जो भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में अर्हता प्राप्त करेंगे, तकनीकी-वाणिज्यिक बोली के लिए प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच के बाद किसी आगामी तारीख को खोला जाएगा और इसकी सूचना अर्हताप्राप्त बोलीदाताओं को ई-मेल के माध्यम से दी जाएगी।
20.	**बोली की वैधता**
	निविदा, निविदा (भाग-I) खोले जाने की तारीख से तीन माह (90 दिन) की अवधि तक बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी। इस अवधि को पारस्परिक सहमति से बढ़ाया जा सकता है और बोलीदाता/बोलीदाताओं को इस अवधि के दौरान निविदा रद्द करने या वापस लेने की अनुमति नहीं होगी।
21.	**बोलियों का मूल्यांकन**
	बैंक खंड III (ग) के खंडों के अनुसार बोलियों की जांच और मूल्यांकन करेगा।
22.	**निविदा की स्वीकृति और कार्य प्रदान करना**
	(i). बैंक से निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर सफल बोलीदाता अनुबंध को कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा और कार्यादेश जारी किए जाने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर सफल बोलीदाता निम्नलिखित से मिलकर बने अनुबंध पर हस्ताक्षर करेगा: - क. अनुलग्नक IX में निर्धारित प्रारूप में अनुबंध की धाराएं (द्विभाषी रूप में हस्ताक्षरित की जानी हैं), दिल्ली/नई दिल्ली में प्रवृत्त स्टाम्प विधियों के अनुसार उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर/पेपरों पर। स्टाम्प पेपर/पेपरों की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। अनुबंध की एक प्रमाणित प्रति बैंक द्वारा ठेकेदार को दी जाएगी। ख. निविदा आमंत्रित करने की सूचना, निविदा आमंत्रित किए जाने के समय जारी किए गए निविदा का गठन करने वाले सभी दस्तावेज, जारी किए गए शुद्धिपत्र, यदि कोई हों, पूर्व-बोली बैठक का कार्यवृत्त और उसकी स्वीकृति तथा उससे संबंधित अन्य पत्राचार। (ii) जब तक सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक किए गए कार्य का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। अतः प्रारूप में अनुबंध (द्विभाषी रूप में हस्ताक्षरित किया जाना है) पर हस्ताक्षर किए जाने से पहले प्रथम बिल भुगतान हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा। (iii) इसके अतिरिक्त, बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति बैंक और सफल बोलीदाता के बीच बाध्यकारी अनुबंध का गठन करेगी, चाहे ऐसा औपचारिक अनुबंध बाद में निष्पादित

	किया जाए या नहीं। (iv) सफल बोलीदाता कार्य प्रदान किए जाने की सूचना के पांच दिनों के भीतर अथवा बैंक द्वारा निर्धारित बाद की तारीख को संपूर्ण कार्य अपने जिम्मे लेगा।
23.	**कार्य कार्यक्रम**
	अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान कार्य पूरी तत्परता और समुचित सावधानी के साथ निरंतर किया जाएगा। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह अनुबंध की सामान्य शर्तों के संबंधित खंड में परिभाषित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। बोलीदाता कार्य प्रारंभ करने से पहले एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
24.	**कार्य पूरा करने की अवधि**
	कार्य करने के लिए स्थल सौंपे जाने के 14वें दिन से 180 दिन की अवधि निर्धारित है। यदि ठेकेदार निर्दिष्ट अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संपूर्ण कार्य के लिए निविदा में रखी गई अनुमानित लागत के 0.25% प्रति सप्ताह अर्थात् **₹3,546/- प्रतिदिन** की दर से **परिनिर्धारित हर्जाने** का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जो अनुबंध राशि के अधिकतम 10% तक सीमित होगा। निविदाकार कार्य प्रारंभ करने से पहले एक विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे बैंक के अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
25.	**निष्पादन बैंक गारंटी**
	अनुसूचित बैंक से अनुबंध राशि के पांच प्रतिशत के बराबर राशि की कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी), अनुलग्नक VIII में दिए गए प्रारूप में, सफल बोलीदाता द्वारा कार्य प्रदान किए जाने के 14 दिनों के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। पीबीजी का विस्तृत विवरण खंड IV (ख) के खंड 4 में दिया गया है।
26.	**कर/शुल्क/उपकर**
	i. अनुमानित लागत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) सहित सभी कर शामिल हैं। ii. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) अथवा इस अनुबंध के संबंध में लागू कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और आरबीआई इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं करेगा। iii. मूल्य बोली में उद्धृत राशि में निम्नलिखित सहित सभी कर शामिल होंगे वस्तु एवं सेवा कर, शुल्क, उपकर और रॉयल्टी अथवा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए किसी अन्य कर।
27.	**किसी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार**
	i. उपर्युक्त किसी भी बात के होते हुए भी, बैंक को अनुबंध प्रदान किए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, जिससे प्रभावित बोलीदाता के प्रति बैंक पर कोई दायित्व नहीं आएगा। बैंक किसी भी या सभी

	बोलियों को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं बताएगा। ii. केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और/या किसी अन्य श्रम कानून के संगत न होने वाले निविदाओं को अमान्य माना जाएगा।
28.	**जल एवं विद्युत शुल्क**
	(i). कार्य या श्रमिकों के लिए आवश्यक जल स्थल पर उपलब्ध स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है, जिसके लिए अनुबंध मूल्य के 0.25% की दर से शुल्क लिया जाएगा और सभी बिलों से इसकी कटौती की जाएगी। ठेकेदार को आपूर्ति को आवश्यक स्थान तक ले जाने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी।
	(ii). कार्य के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति भी इसी प्रकार स्थल पर उपलब्ध आपूर्ति से प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए अनुबंध मूल्य के 0.5% की दर से शुल्क लिया जाएगा और सभी बिलों से इसकी कटौती की जाएगी। ठेकेदार को आपूर्ति को आवश्यक स्थान तक ले जाने के लिए स्वयं व्यवस्था करनी होगी। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य प्रगति पर रहने के दौरान संपूर्ण कार्यस्थल हर समय समुचित रूप से प्रकाशित रहे।
29.	**भूमि सीमा संबंधी खंड --**
	लोक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 23 जुलाई 2020 के कार्यालय ज्ञापन (OM) F.No. 6/18/2019-PPD के माध्यम से GFR 2017 में जोड़े गए नियम 144(xi), उसके अनुसरण में जारी सार्वजनिक खरीद आदेशों तथा उनमें किए गए बाद के संशोधनों का अनुपालन अनिवार्य होगा। इस संबंध में बोलीदाता अपने लेटरहेड पर अनुलग्नक-X में दिए गए प्रारूप के अनुसार विधिवत मुहर और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर सहित वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा। यदि बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत वचनपत्र/घोषणा/प्रमाणपत्र झूठा पाया जाता है, तो कार्यादेश तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा तथा विधि के अनुसार विधिक कार्रवाई, जिसमें बयाना राशि/सुरक्षा जमा की जब्ती भी शामिल है, आरंभ की जा सकती है और बैंक बोलीदाता को भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित भी कर सकता है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूं/हैं।

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम एवं मुहर सहित)

खंड – III (ख) पात्रता मानदंड

"**भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य**" हेतु वर्तमान निविदा आमंत्रित की जा रही है, जिसके अंतर्गत आउटसोर्सिंग एजेंसी (जिसे आगे "बोलीदाता" कहा गया है) इस दस्तावेज़ में दर्शाए गए कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है) के लिए करेगी। पात्रता मानदंड निम्नानुसार होंगे:

मानदंड	**आवश्यकता**	**प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र/दस्तावेज़**
1. फर्म/संगठन की संरचना:	बोलीदाता एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान /साझेदारी फर्म/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड अथवा सहकारी निकाय आदि हो सकता है। फर्म/संगठन के पंजीकरण, पंजीकरण प्राधिकारी का नाम, दिनांक और पंजीकरण संख्या आदि का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। संयुक्त उद्यम अनुमत नहीं हैं।	निविदाकर्ता संलग्न **प्रपत्र 1** में सूचना भरकर निम्नलिखित सहायक दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत करे। (i) पंजीकरण प्रमाणपत्र/ज्ञापन/संघ के अंतर्नियम/निगमन प्रमाणपत्र/साझेदारी विलेख/अन्य संबंधित दस्तावेज़ की प्रति (ii) अनुलग्नक III में पावर ऑफ अटॉर्नी (गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर ₹100/-)
2. पूर्व अनुभव की अवधि	(i) बोलीदाता के पास 31 जुलाई 2026 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों के दौरान समान कार्यों के निष्पादन का न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। **स्पष्टीकरण**: बोलीदाता के पास 31 जुलाई 2026 को समाप्त होने वाले पिछले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष कम-से-कम एक समान कार्य निष्पादित करने का अनुभव होना चाहिए।	(i) बोली लगाने वाले को इसके साथ जुड़े **'फॉर्मेट 2'** में जानकारी भरनी चाहिए। इसमें क्लाइंट के हिसाब से मिलते-जुलते कामों के नाम, तय की गई और असल लागत, कॉन्ट्रैक्ट में काम पूरा होने की तय तारीख और असल में काम पूरा होने की तारीख आदि की जानकारी देनी होगी। साथ ही, कम से कम पाँच साल तक मिलते-जुलते काम पूरे करने के अनुभव के सबूत के तौर पर दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे। इनमें शामिल हैं: काम मिलने की तारीख, कॉन्ट्रैक्ट की रकम, काम पूरा करने के लिए दिया गया समय आदि बताने वाले डिटेल्ड वर्क ऑर्डर की कॉपी और काम पूरा होने की असल तारीख व किए गए काम की असल कीमत बताने वाले कंप्लीशन सर्टिफिकेट (जो सरकारी/पब्लिक सेक्टर कंपनियों के लिए किए गए कामों के मामले में

		क्लाइंट द्वारा जारी किए गए हों)। प्राइवेट कंपनियों के लिए किए गए कामों के मामले में वर्क ऑर्डर और काम पूरा होने के सर्टिफिकेट की कॉपी के साथ-साथ क्लाइंट द्वारा जारी टीडीएस सर्टिफिकेट भी जमा करने होंगे।
		(ii) यदि बोलीदाता ने भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय में पहले कोई कार्य किया है, तो उस पूर्व अनुभव का विवरण, दस्तावेज़ी साक्ष्य सहित, भी दिया जाए।
3. प्रत्येक पूर्ण किए गए समान कार्य का न्यूनतम मूल्य	बोलीदाता के पास 31 जुलाई 2026 को समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित मूल्य के समान कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने का अनुभव होना चाहिए: क. तीन समान पूर्ण किए गए कार्य, जिनमें प्रत्येक की लागत इससे कम न हो ₹39.71 लाख अर्थात निविदा के अनुमानित मूल्य का 40%। या ख. दो समान पूर्ण किए गए कार्य, जिनमें प्रत्येक की लागत ₹49.64 लाख अर्थात निविदा के अनुमानित मूल्य के 50% से कम न हो। या ग. एक समान पूर्ण किया गया कार्य, जिसकी लागत ₹79.43 लाख से कम न हो अर्थात निविदा के अनुमानित मूल्य का 80%।	बोलीदाता संलग्न **प्रपत्र 3** में सूचना भरकर समान कार्य/कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण किए जाने के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत करे। (i) पात्रता हेतु योग्य कार्यों के विस्तृत कार्यादेश/कार्यादेशों की प्रतियाँ, जिनमें पुरस्कार की दिनांक, संविदा राशि, कार्य पूर्ण करने के लिए दी गई अवधि आदि दर्शाए गए हों तथा संबंधित पूर्णता प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र, जिनमें वास्तविक पूर्णता दिनांक और निष्पादित समान कार्य/कार्यों का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो, सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के मामले में संबंधित ग्राहक/ग्राहकों द्वारा जारी किए गए हों तथा निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्यों के मामले में ग्राहक/ग्राहकों द्वारा जारी कार्यादेश, कार्य पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों की प्रतियाँ। (ii) संलग्न प्रपत्र 3ए के अनुसार प्रत्येक पात्र कार्य के लिए ग्राहक प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्र। बोलीदाता का अपने पूर्ववर्ती और वर्तमान ग्राहकों के साथ संतोषजनक कार्य-निष्पादन होना आवश्यक है। यदि बोलीदाता
		संबंधित ग्राहकों द्वारा ग्राहक प्रमाणपत्र में उल्लिखित किसी भी मानदंड पर असंतोषजनक या खराब श्रेणी में आंका गया है, तो बैंक ऐसे

		बोलीपत्रों को पात्रता शर्त के अनुरूप न मानने और उन्हें अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके अतिरिक्त, यदि बोलीदाता ने पूर्व में भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी कार्यालय में कार्य किया है या किसी कार्यालय में सेवा प्रदान की है, तो बोलीदाता के लिए संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से ग्राहक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. वार्षिक वित्तीय कारोबार	बोलीदाता के पास पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान इस निविदा के अनुमानित मूल्य के बराबर या उससे अधिक न्यूनतम वार्षिक वित्तीय कारोबार होना चाहिए।	बोलीदाता संलग्न प्रपत्र 4 में सूचना भरकर उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रमाणित कराए और निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत करे: (i) बोलीदाता के कारोबार के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/लेखों की प्रतियाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित, जिनमें प्रपत्र 4 में संदर्भित वित्तीय वर्षों के लिए कारोबार दर्शाया गया हो। (ii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के आयकर रिटर्न की प्रतियाँ।
5. शोधनक्षमता (सॉल्वेंसी)	बोलीदाताओं के पास निविदा के अनुमानित मूल्य के 100% से कम मूल्य की शोधनक्षमता (सॉल्वेंसी) नहीं होनी चाहिए।	(i) बोलीदाता को अपने बैंकर द्वारा इस कार्य के लिए विशेष रूप से जारी किया गया, 01 जुलाई 2026 से पूर्व का नहीं, शोधनक्षमता प्रमाणपत्र प्रपत्र 5 में प्रस्तुत करना होगा। (ii) बोलीदाता अपने बैंकर का विवरण प्रपत्र 5A में प्रस्तुत करे।
6. पंजीकरण	बोलीदाता के पास पैन, जीएसटी पंजीकरण तथा श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण होना चाहिए।	बोलीदाता को पैन की प्रति तथा जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।
टिप्पणियाँ:		

(i) कार्य की लागत से आशय इस निविदा के पूर्ण किए गए कार्य का सकल मूल्य होगा।

(ii) निर्दिष्ट प्रमाणपत्रों के बिना प्राप्त बोलीपत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे और बैंक को आवश्यकता होने पर उक्त दस्तावेज़ों की प्रामाणिकता का सत्यापन करने अथवा करवाने का अधिकार होगा।

(ii) बैंक को पात्रता हेतु योग्य कार्य/कार्यों के संबंध में ग्राहकों से कार्य-निष्पादन रिपोर्ट तथा आवश्यकता होने पर बोलीदाताओं के बैंकर/बैंकरों से सीधे रिपोर्ट प्राप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक स्वयं भी बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में संदर्भित पात्र/योग्य कार्य/कार्यों का निरीक्षण कर सकता है।

(iii) ऐसे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत बोलीपत्र, जो पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करता पाया जाता है, निविदा की आगे की प्रक्रिया से अयोग्य कर दिया जाएगा।

(iv) झूठी और/या अपूर्ण जानकारी वाली बोली को अस्वीकार किया जा सकता है तथा बोलीदाता को भविष्य की निविदाओं से वंचित किया जा सकता है।

समान कार्य का आशय है सिविल निर्माण कार्य**,** जैसे कि बाउंड्री वॉल/रिटेनिंग वॉल**,** बिल्डिंग का निर्माण आदि।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त सभी अनुदेशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरी (नाम/पदनाम एवं मुहर)

खंड III (ग) बोलियों का मूल्यांकन

1. निविदाओं का मूल्यांकन खंड III (ख) में उल्लिखित पात्रता मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। यह मूल्यांकन केवल उन बोलीदाताओं के दूसरे ई-कवर अर्थात भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) को खोलने के बाद किया जाएगा, जिन्होंने नियत तिथि तक या उससे पहले ईएमडी जमा किया है। ईएमडी जमा किए जाने का प्रमाण प्रथम ई-कवर में अपलोड किया जाना चाहिए।

2. बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित सभी अपेक्षित दस्तावेज़ दूसरे ई-कवर अर्थात भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में प्रस्तुत करने होंगे। केवल उन्हीं निविदाओं पर आगे कार्रवाई की जाएगी जो पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हों। प्रस्तुत की गई सूचना और सहायक दस्तावेज़ों की शुद्धता/वैधानिकता तथा पर्याप्तता का सत्यापन/परीक्षण बैंक द्वारा किया जाएगा।

3. अपात्र बोलीदाताओं की मूल्य बोलियाँ नहीं खोली जाएँगी और इस संबंध में उन्हें सूचित किया जाएगा।

4. बोलियों की जांच, मूल्यांकन और तुलना में मदद के लिए, बैंक बोली लगाने वालों से अलग-अलग स्पष्टीकरण मांग सकता है। बोली लगाने वाले द्वारा दिया गया कोई भी स्पष्टीकरण, जो बैंक को स्वीकार्य नहीं होगा, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उसका जवाब लिखित रूप में या ईमेल के ज़रिए होना चाहिए। इस संबंध में कोई भी बातचीत केवल 'gpcnewdelhi@rbi.org.in' या 'estatenewdelhi@rbi.org.in' ईमेल आईडी पर ही की जाएगी। निविदा की शर्तों के अनुसार बोलियों के मूल्यांकन के दौरान ज़रूरी बदलावों को छोड़कर, बोली की कीमत या मुख्य बातों में कोई बदलाव न तो मांगा जाएगा, न ही पेश किया जाएगा और न ही इसकी अनुमति दी जाएगी।

5. ऐसी किसी निविदा के मामले में, जिसमें किसी मद/मदों की इकाई दर अवास्तविक प्रतीत होती है, ऐसी निविदा को असंतुलित माना जाएगा और यदि निविदाकार संतोषजनक स्पष्टीकरण देने में असमर्थ रहता है, तो ऐसी निविदा को अपात्र घोषित कर अस्वीकार किया जा सकता है।

6. यदि कोई बोलीदाता बैंक के अनुरोध में निर्धारित तारीख और समय तक अपनी निविदा के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं देता है, तो उसकी निविदा अस्वीकार की जा सकती है।

7. भाग-I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी बोलीदाताओं का तीसरा ई-कवर अर्थात भाग-II (मूल्य बोली) वित्तीय मूल्यांकन के लिए खोला जाएगा। बायबैक सहित सबसे कम अंतिम राशि (L1) वाली फर्म को संविदा प्रदान करने के लिए विचार में लिया जाएगा। कार्य की अनुमानित लागत की तुलना में उद्धृत राशि में 5% से अधिक का अंतर होने की स्थिति में, बोलीदाता से उद्धृत राशि/मद के लिए मदवार औचित्य प्रस्तुत करने को कहा जाएगा।

8. यदि दो या अधिक बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत न्यूनतम निविदा राशि समान होती है, तो ऐसे दो या अधिक

न्यूनतम बोलीदाताओं से सीलबंद लिफाफे में अपनी पहले से उद्धृत निविदा राशि पर छूट देते हुए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसे किसी न्यूनतम बोलीदाता द्वारा अपनी बोली में कम राशि की ओर कोई संशोधन नहीं किया जाता है, तो उसकी मूल बोली आगे की कार्रवाई के लिए वैध रहेगी। न्यूनतम निविदा का निर्णय संशोधित प्रस्ताव के आधार पर किया जाएगा। यदि संशोधित प्रस्तावों में दो या अधिक बोलीदाताओं द्वारा प्राप्त संशोधित निविदा राशि पुनः समान पाई जाती है, तो वित्त वर्ष 2024-25 में सर्वाधिक वार्षिक कारोबार वाली फर्म को संविदा प्रदान करने के लिए विचार में लिया जाएगा।

9. तथापि, बैंक न्यूनतम या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और बैंक को किसी भी निविदा को पूर्णतः या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। बैंक सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

तिथि: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

खंड III (घ) – निविदा के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट

एनआईटी/एसओटी में दी गई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख और समय से पहले विधिवत हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड किया जाना है -

क्र. सं.	चेकलिस्ट	प्रस्तुत/ प्रस्तुत नहीं	टिप्पणियाँ
प्रथम ई-कवर में प्रस्तुत किया जाना है			
1.	बयाना राशि जमा (ईएमडी) प्रस्तुत करना (ईएमडी जमा किए जाने के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति प्रथम ई-कवर में अपलोड की जानी है)। नोट: डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर चेक/बैंक गारंटी के रूप में ईएमडी की मूल प्रति समप्र (प्रशासन), संपदा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001 को एनआईटी/एसओटी में दी गई ईएमडी जमा करने की नियत तारीख को या उससे पहले जमा की जानी है।		
द्वितीय ई-कवर अर्थात् भाग I (तकनीकी-वाणिज्यिक बोली) में प्रस्तुत किया जाना है			
2.	ई-निविदा का प्रपत्र (अनुलग्नक I)		
3.	अनुलग्नक II का प्रारूप 1 (विधिवत हस्ताक्षरित एवं मुहर सहित)		
4.	पंजीकरण प्रमाणपत्र/मेमोरेंडम/संस्था के अंतर्नियम (Articles of Association)/निगमन प्रमाणपत्र/साझेदारी विलेख/अन्य संबंधित दस्तावेज की प्रति, जो खंड III(ख) की मद 1 के समर्थन में हो		

5.	अनुलग्नक III में पावर ऑफ अटॉर्नी (₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)		
6.	जीएसटी पंजीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति		
7.	ईपीएफओ पंजीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति		
8.	ईएसआईसी पंजीकरण की स्व-प्रमाणित प्रति		
9.	श्रम लाइसेंस		
10.	आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति		
11.	अनुलग्नक II का प्रारूप 2: खंड III(ख) की मद 2 के अनुसार पूर्व अनुभव का प्रमाण		
12.	खंड III(ख) की मद 2 के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज– (ए) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित कार्य: विस्तृत कार्यादेश/कार्यादेशों की प्रतियां, जिनमें कार्य दिए जाने की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दी गई अवधि आदि का उल्लेख हो तथा संबंधित ग्राहक/ग्राहकों द्वारा जारी संगत पूर्णता प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों की प्रतियां, जिनमें वास्तविक पूर्णता तारीख और निष्पादित समान कार्य/कार्यों का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो (बी) निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्य: कार्यादेश/कार्यादेशों की प्रतियां, जिनमें कार्य दिए जाने की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दी गई अवधि आदि का उल्लेख		

	हो तथा ग्राहक/ग्राहकों द्वारा जारी संगत पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों की प्रतियां। (सी) भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी अन्य कार्यालय में कार्य किए जाने के पूर्व अनुभव, यदि कोई हो, का विवरण दस्तावेजी साक्ष्य सहित भी दिया जाना चाहिए।		
13.	अनुलग्नक II का प्रारूप 3: खंड III(ख) की मद 3 के अनुसार पात्र कार्यों का प्रमाण		
14.	खंड III(ख) की मद 3 के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज – (ए) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के लिए निष्पादित पात्र कार्य: पात्र कार्यों के विस्तृत कार्यादेश/कार्यादेशों की प्रतियां, जिनमें कार्य दिए जाने की तारीख, संविदा राशि, कार्य पूरा करने के लिए दी गई अवधि आदि का उल्लेख हो तथा संबंधित ग्राहक/ग्राहकों द्वारा जारी संगत पूर्णता प्रमाणपत्र/प्रमाणपत्रों की प्रतियां, जिनमें वास्तविक पूर्णता तारीख और निष्पादित समान कार्य/कार्यों का वास्तविक मूल्य दर्शाया गया हो (बी) निजी कंपनियों के लिए निष्पादित कार्य: कार्य आदेशों की प्रतियां जो आवंटन की तिथि, अनुबंध राशि, कार्य पूरा करने के लिए दी गई अवधि आदि दर्शाती हैं, और संबंधित पूर्णता प्रमाण पत्र तथा ग्राहक द्वारा जारी टीडीएस (टीडीएस) प्रमाण पत्र।		
15.	खंड III(ख) की मद 3 के अनुसार अनुलग्नक II के प्रारूप 3ए में ग्राहक प्रमाणपत्र।		

	यदि बोलीदाता ने पूर्व में आरबीआई के किसी कार्यालय में कार्य किया है या आरबीआई के किसी कार्यालय में सेवा प्रदान की है, तो बोलीदाता के लिए उस क्षेत्रीय कार्यालय/प्रशिक्षण प्रतिष्ठान से ग्राहक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।		
16.	अनुलग्नक II का प्रारूप 4, बोलीदाता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित		
17.	वित्तीय वर्ष 2024-25 तक पिछले 3 वित्तीय वर्षों के लिए संविदाकार के व्यवसाय के आयकर रिटर्न और नवीनतम अंतिम लेखे, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित हों		
18.	बोलीदाता के बैंक के लेटरहेड पर अनुलग्नक II का प्रारूप 5		
19.	अनुलग्नक II के प्रारूप 5ए में बोलीदाता के बैंक का विवरण		
20.	क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई नई दिल्ली को वचनबद्धता पत्र (अनुलग्नक-IV)		
21.	प्रतिबंधित किए जाने संबंधी घोषणा पर वचनबद्धता (अनुलग्नक V में दिए गए प्रारूप में)		
22.	बोलीदाता द्वारा कानूनी कार्रवाई/वाद-विवाद/मध्यस्थता के संबंध में हस्ताक्षरित वचनबद्धता (अनुलग्नक VI में दिए गए प्रारूप में)		

23.	भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनबद्धता/घोषणा/प्रमाणपत्र (अनुलग्नक X में दिए गए प्रारूप में)		
24.	निविदा दस्तावेज, हस्ताक्षरित एवं मुहर सहित (भाग-I)		
25.	एनआईटी और निविदा में विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज।		
26.	खंड III (ख) में अपलोड की जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट		
27.	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कोई अन्य जानकारी।		

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम और मुहर के साथ)

खंड-IV संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें

खंड IV (क) – कार्य का दायरा

बोलीदाता को उल्लिखित विनिर्देशों, मात्राओं, निर्माता आदि के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यदि किसी विषय में कोई समस्या अथवा स्पष्टीकरण अपेक्षित हो, तो प्री-बिड बैठक के दौरान उसका स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा सकता है। निविदा खोले जाने के बाद स्पष्टीकरण के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

क्रम सं.	मद का विवरण
1.	कंटीले/कन्सर्टिना तार को सावधानीपूर्वक काटकर हटाना, विद्यमान चारदीवारी में किसी भी मोटाई की ईंट की चिनाई/RCC कार्य को तोड़ना, जिसमें एक या दोनों ओर का सीमेंट प्लास्टर, दीवार की कॉपिंग अथवा दीवार की कोई अन्य फिनिश, MS ग्रिल/MS नालीदार शीट आदि शामिल हैं, तथा समस्त मलबे को सभी प्रकार के लीड एवं लिफ्ट सहित हटाकर निस्तारित करना, यह कार्य स्थानीय प्रशासन तथा NDMC/MCD के मानदंडों के अनुसार पूर्ण किया जाएगा। उपर्युक्त कार्य करने के लिए यदि स्थानीय प्राधिकरण के साथ समन्वय आवश्यक हो, तो ठेकेदार ऐसा समन्वय करेगा; इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। समस्त कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार तथा बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार और स्थानीय उपविधियों एवं स्थानीय प्रशासन के कानूनों के अनुसार पूरा किया जाएगा। हटाए गए कंटीले/कन्सर्टिना तार को बैंक के अभियंता द्वारा निर्देशित निर्धारित स्थान/निर्धारित क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से रखा जाएगा। दर में, आवश्यकता होने पर तथा बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार अनुमोदित ड्रॉइंग के अनुसार, पेड़ों के नए आवरण पर कंटीले/कन्सर्टिना तार को पुनः लगाने का कार्य भी शामिल है। नोट: तोड़ने/ध्वस्तीकरण का कार्य बैंक के अभियंता द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार खंडों में तथा सभी सुरक्षा सावधानियों/सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए किया जाएगा। ध्वस्तीकरण शुरू करने से पहले ठेकेदार चारदीवारी की रेखा के साथ अस्थायी बैरिकेडिंग की व्यवस्था करेगा, ताकि अतिक्रमण/अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके और अप्रिय घटना से बचा जा सके। ठेकेदार ध्यान दे कि चारदीवारी पर लगी MS नालीदार शीटों को हटाकर ले जाने और उनके लिए रिबेट की गणना में शामिल नहीं किया गया है; सभी शीटों को हटाकर बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा।
2.	चारदीवारी की रेखा एवं लेवल तथा नींव की आवश्यकता के अनुसार वांछित गहराई तक प्राकृतिक सतह/मिट्टी की खुदाई करना; स्थल की आवश्यकता के अनुसार कॉलम, प्लिंथ बीम, फुटिंग आदि की नींव के लिए सभी प्रकार की मिट्टी/सतह/स्तर आदि में खुदाई करना। दर में

	किनारों की ड्रेसिंग एवं ट्रिमिंग, पानी निकालना, उपलब्ध चयनित मिट्टी से बैकफिलिंग, पानी देना, रैमिंग, संपीड़न/समेकन तथा अतिरिक्त मिट्टी/मलबे को सभी प्रकार के लीड एवं लिफ्ट सहित स्थानीय उपविधियों के अनुसार बैंक के परिसर से बाहर ले जाना आदि सभी कार्य पूर्ण रूप से शामिल होंगे। दरों में आवश्यकता होने पर छोटे पेड़ों को स्थानांतरित करना अथवा कार्य पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं। अंतिम GFC ड्रॉइंग ठेकेदार द्वारा विनिर्देशों और स्थल की आवश्यकताओं के आधार पर बैंक के परामर्श/निर्देशन में तैयार की जाएगी।
3.	नींव तथा सुपर-स्ट्रक्चर में चारदीवारी के लिए अच्छी तरह पकी हुई, सर्वोत्तम गुणवत्ता की स्थानीय रूप से उपलब्ध ईंटों से सीमेंट मोर्टार 1:5 (1 भाग सीमेंट : 5 भाग मोटी रेत) में ईंट की चिनाई उपलब्ध कराना एवं बिछाना, ईंटों को उचित रूप से भिगोने के बाद दोनों ओर पॉइंटिंग सहित, किसी भी मोटाई में, जोड़ों की रैकिंग, मचान, क्योरिंग आदि सहित, बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार पूर्ण करना। बैंक की अनुमोदित परीक्षण एजेंसी से सामग्री के परीक्षण की लागत दरों में शामिल है।
4.	साइट पर बैच किए गए डिजाइन मिक्स सीमेंट कंक्रीट को M15 ग्रेड, 1:2:4 अनुपात में (1 भाग साधारण पोर्टलैंड सीमेंट : 2 भाग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मोटी रेत [जोन-III] : 4 भाग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त 20 मिमी नाममात्र आकार के वर्गीकृत स्टोन एग्रीगेट) के रूप में सादा सीमेंट कंक्रीट कार्य के लिए निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना एवं बिछाना। दर में साइट पर कंक्रीट मिक्सर एवं वाइब्रेटर के किराए, क्योरिंग तथा सभी प्रकार के लीड एवं लिफ्ट सहित ढुलाई के शुल्क शामिल होंगे, किंतु सेंटरिंग, शटरिंग और फिनिशिंग की लागत शामिल नहीं होगी; समस्त कार्य प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार किया जाएगा।
5.	RCC कार्य के लिए M25 ग्रेड, 1:1:2 अनुपात में (1 भाग साधारण पोर्टलैंड सीमेंट : 1 भाग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मोटी रेत [जोन-III] : 2 भाग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त 20 मिमी नाममात्र आकार का वर्गीकृत स्टोन एग्रीगेट) का, तैयार मिश्रित अथवा साइट पर बैच किए गए डिजाइन मिक्स सीमेंट कंक्रीट को निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना एवं बिछाना, जिसमें न्यूनतम सीमेंट सामग्री 330 किग्रा/घन मीटर (प्लिंथ स्तर तक) होगी; प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मोटे एवं महीन एग्रीगेट, पोर्टलैंड पॉज़ोलाना/साधारण पोर्टलैंड/पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट तथा IS: 9103 के अनुसार अनुशंसित अनुपात में मिश्रण पदार्थों का उपयोग करना, ताकि कंक्रीट के जमने की प्रक्रिया को तेज/धीमा किया जा सके तथा उसकी मजबूती को प्रभावित किए बिना टिकाऊपन एवं कार्यसाध्यता में सुधार किया जा सके; इसमें कंक्रीट को बिछाने के स्थान तक पंप करना, क्योरिंग

	तथा सभी प्रकार के लीड सहित ढुलाई शामिल है, किंतु सेंटरिंग, शटरिंग, फिनिशिंग और सुदृढीकरण की लागत शामिल नहीं होगी; उपर्युक्त कंक्रीट ग्रेड के लिए कार्य प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार किया जाएगा। कंक्रीट का ग्रेड ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा बैंक की अनुमोदित परीक्षण एजेंसी से परीक्षण की लागत दरों में शामिल है।
6.	RCC कार्य के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार आवश्यक व्यास की Fe 500D स्टील सुदृढीकरण छड़ों को सभी स्तरों एवं ऊँचाइयों पर उपलब्ध कराना, सीधा करना, काटना, मोड़ना, बाँधना तथा निर्धारित स्थान पर लगाना, जिसमें डबल-प्लाई GI बाइंडिंग वायर आदि की लागत शामिल है। दर में साइट की आवश्यकता के अनुसार कटिंग, बेंडिंग, औजार एवं संयंत्र, मचान, कार्य प्लेटफॉर्म तथा सामग्री के लीड एवं लिफ्ट की लागत शामिल होगी। समस्त कार्य बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाएगा। बैंक द्वारा अनुमोदित एजेंसियों से सामग्री के परीक्षण की लागत इसमें शामिल है।
7.	नींव, कॉलम, बीम तथा अन्य संरचनात्मक सदस्यों के लिए सभी स्तरों पर आवश्यकतानुसार सेंटरिंग एवं शटरिंग उपलब्ध कराना, जिसमें स्ट्रटिंग, प्रॉपिंग तथा फॉर्मवर्क को हटाना शामिल है। कार्य अनुमोदित फॉर्मवर्क सामग्री, जैसे स्टील, प्लाईवुड या समकक्ष सामग्री का उपयोग करके किया जाएगा तथा कंक्रीटिंग के दौरान उचित संरेखण एवं स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। सभी आवश्यक
	सपोर्ट एवं सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्धृत दर में सभी सामग्री, श्रम, औजार एवं उपकरण की लागत तथा शटरिंग सामग्री के पूर्ण उपयोग के बाद उसके स्क्रैप/पुनर्प्राप्ति मूल्य का समायोजन भी शामिल होगा, जैसा कि बैंक के प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित किया जाए।
8.	औसतन 18 मिमी मोटा सीमेंट प्लास्टर दो परतों में उपलब्ध कराना एवं करना। बेस कोट न्यूनतम 12 मिमी मोटाई का 1:5 (1 सीमेंट : 5 मोटी रेत) सीमेंट मोर्टार में, जिसमें वजन के अनुसार 2% वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड अथवा निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार मिलाया जाएगा; टॉप कोट न्यूनतम 6 मिमी मोटाई का 1:3 (1 सीमेंट : 3 महीन रेत) सीमेंट मोर्टार में, स्पंज/रेत फिनिश के साथ खुरदरा तैयार किया जाएगा। यह कार्य सभी ऊँचाइयों पर चिनाई की दीवार/RCC सतहों पर आवश्यक मचान/कार्य प्लेटफॉर्म, प्लास्टर में मोल्डिंग तथा बेंड, ग्रूव, ड्रिप मोल्डिंग, क्योरिंग आदि सहित बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाएगा। कार्य उचित रेखा, लेवल और प्लंब में किया जाएगा। दर में RCC एवं चिनाई के सभी जोड़ों पर (आंतरिक एवं बाह्य दोनों ओर) 28 गेज एवं 300 मिमी चौड़ी चिकन वायर मेश उपलब्ध कराने एवं लगाने की लागत शामिल

	होगी, जो जोड़ों/जंक्शन के दोनों ओर कम से कम 150 मिमी तक होगी। सही रेखा एवं लेवल प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त मोटाई की लागत भी दर में शामिल होगी।
9.	RCC सतहों पर 1:3 (1 सीमेंट : 3 महीन रेत) मिश्रण का 6 मिमी सीमेंट प्लास्टर उचित रेखा, लेवल एवं प्लंब में उपलब्ध कराना एवं करना, जिसमें आवश्यक कार्य प्लेटफॉर्म/मचान तथा प्लास्टर में बेंड, ग्रूव, ड्रिप मोल्डिंग, क्योरिंग आदि शामिल हैं; समस्त कार्य पूर्ण किया जाएगा।
10.	निविदा दस्तावेज़ में दी गई अनुमोदित सामग्री सूची के अनुसार तथा निर्माता के विनिर्देशों के अनुरूप दीवारों, बीम, कॉलम आदि की बाहरी सतहों पर अनुमोदित शेड में बाहरी गुणवत्ता का एक कोट प्राइमर तथा 100% ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट के दो या अधिक कोट [प्लेन/रोलर फिनिश] उपलब्ध कराना एवं लगाना, ताकि वांछित शेड एवं फिनिश प्राप्त हो; इसमें सतह की तैयारी, ढीली धूल या गंदगी हटाना, मचान, स्थल की सफाई आदि सहित सभी कार्य शामिल होंगे और कार्य स्थल की आवश्यकता के अनुसार तथा बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार पूर्ण किया जाएगा।
11.	अनुमोदित डिजाइन/पैटर्न की माइल्ड स्टील (MS) कंपाउंड वॉल ग्रिल को उचित रेखा एवं लेवल में उपलब्ध कराना, फैब्रिकेट करना, वेल्डिंग करना, खड़ा करना एवं लगाना, जिसमें 125 मिमी केंद्र-से-केंद्र दूरी पर 12 मिमी इन्फिल स्क्वायर बार, लगभग 1400 मिमी लंबाई तथा स्थल की आवश्यकता के अनुसार ऊपर नुकीले बनाए गए फोर्ज्ड MS स्पाइक शामिल होंगे; इन्हें ऊपर एवं नीचे 50x6 मिमी मोटी फ्लैट से वेल्ड किया जाएगा तथा चारदीवारी की ग्रिल में वांछित दूरी पर 2 क्षैतिज फ्लैट (50x6 मिमी) वेल्ड किए जाएंगे। MS ग्रिल में अनुमोदित डिजाइन के अनुसार वृत्ताकार रिंग एवं अलंकरण डिजाइन भी होंगे। MS ग्रिल अनुमोदित ड्रॉइंग के अनुसार बनाई जाएगी और 230x400 मिमी आकार के चिनाई की दीवार/कॉलम में छोड़े गए पॉकेट में ग्राउट की जाएगी, जिसे M-25 ग्रेड कंक्रीट से विधिवत ढका जाएगा। दर में क्योरिंग, मचान/कार्य प्लेटफॉर्म, श्रम, सामग्री आदि शामिल होंगे। दर में संपूर्ण MS ग्रिल/सेक्शन पर अनुमोदित निर्माता एवं शेड के प्रथम गुणवत्ता वाले सिंथेटिक इनैमल पेंट के दो कोट, संक्षारणरोधी जिंक क्रोमेट प्राइमर के एक कोट के ऊपर, विनिर्देश के अनुसार एवं बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार लगाने की लागत भी शामिल होगी।
12.	कॉपिंग/एक्सपैंशन जॉइंट में प्राइमर, ग्रेड-A सीलिंग कंपाउंड की लागत सहित 12 मिमी मोटा बिटुमेन-इम्प्रेग्नेटेड फाइबर बोर्ड निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना एवं लगाना तथा बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण फिनिश देना। कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि उचित आसंजन, सीलिंग एवं फिनिशिंग सुनिश्चित हो और विनिर्देशों का पूर्णतः अनुपालन हो।

	पूर्ण एवं टिकाऊ स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्री, श्रम एवं औजार शामिल होंगे। संपूर्ण कार्य बैंक के अभियंता के निर्देश एवं संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।
13.	स्थल पर 2.0 मीटर ऊँची बैरिकेडिंग उपलब्ध कराना एवं खड़ी करना; यह मजबूत MS फ्रेमवर्क से बनी होगी, जिसे जमीन में उचित रूप से फिक्स किया जाएगा और 1.63 मिमी मोटी MS शीट से ढका जाएगा। शीट को उपयुक्त वेल्डिंग/रिवेटिंग द्वारा फिक्स किया जाएगा। उपलब्ध कराई गई बैरिकेडिंग को संपूर्ण कार्य के निष्पादन से लेकर कार्य पूर्ण होने तक लगातार स्थल पर रखा जाएगा, जिसमें आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितनी बार आवश्यक हो स्थानांतरित करना शामिल है। दर में क्षति की मरम्मत, पेंटिंग, सभी आनुषंगिक कार्य, श्रम, सामग्री, उपकरण तथा कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य शामिल होंगे। बैंक के अभियंता की पूर्व स्वीकृति के बिना बैरिकेडिंग हटाई नहीं जाएगी। नोट: (i) ठेकेदार द्वारा एक समय में कम से कम 2.5 मीटर लंबाई की बैरिकेडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। (ii) कार्य पूरा होने पर उपलब्ध कराई गई बैरिकेडिंग ठेकेदार की संपत्ति बनी रहेगी।
14.	कॉपिंग/कॉलम आदि की C.C./R.C.C./ईंट की चिनाई वाली सतह पर 12 मिमी व्यास के थ्रेडेड एक्सपैंशन होल्ड फास्टनर उपलब्ध कराना एवं लगाना, कॉलम पोस्ट में MS ग्रिल को फिक्स करने तथा पेड़ों के चारों ओर MS ग्रिल फिक्स करने के लिए आवश्यक छेद ड्रिल करने और बोल्ट आदि की लागत सहित, समस्त कार्य पूर्ण करना।
15.	ट्री गार्ड केसिंग के लिए स्ट्रक्चरल स्टील कार्य उपलब्ध कराना एवं लगाना। केसिंग को स्प्लिट-बॉक्स इकाइयों (दो हिस्सों) के रूप में फैब्रिकेट किया जाएगा, ताकि पेड़ के तने के चारों ओर बिना किसी क्षति के लगाया जा सके। डिजाइन आकार: लंबाई 400 मिमी x चौड़ाई 400 मिमी x ऊँचाई 1400 मिमी। अनुमोदित डिजाइन/पैटर्न की माइल्ड स्टील (MS) कंपाउंड वॉल ग्रिल उचित रेखा एवं लेवल में, 125 मिमी केंद्र-से-केंद्र दूरी पर 12 मिमी स्क्वायर बार तथा स्थल की आवश्यकता के अनुसार ऊपर नुकीले सिरों सहित, नीचे 40x5 मिमी मोटी फ्लैट से वेल्ड की जाएगी; चारदीवारी की ग्रिल में 125 मिमी केंद्र-से-केंद्र दूरी पर वांछित अंतराल पर 50x6 मिमी के क्षैतिज फ्लैट वेल्ड किए जाएंगे। 50x50x6 मिमी MS एंगल से निर्मित टेपरयुक्त U-आकार की व्यवस्था, जिसे आपस में वेल्ड किया जाएगा, इसमें कटिंग, आकार के अनुसार बेंडिंग तथा दीवार की चिनाई में एकीकरण के लिए आवश्यक कट-आउट शामिल होंगे। कार्य बैंक के अभियंता की अनुमोदित ड्रॉइंग के अनुसार किया जाएगा।

16.	पुनर्प्राप्ति मूल्य (salvage value) वाली पुरानी सामग्रियों को बैंक द्वारा हटाकर ले जाने के लिए रिबेट दिया जाएगा, जैसे प्लिंथ के ऊपर एवं नीचे हटाई गई पुरानी टूटी ईंटें तथा नींव के लिए की गई खुदाई वाले स्थानों से प्राप्त सामग्री, लगभग 14500 KG भार वाले MS ग्रिल सेक्शन, ग्रिल, बार आदि, जो उपर्युक्त मद संख्या 1 के अंतर्गत तोड़े गए हैं। ठेकेदार ध्यान दें कि चारदीवारी पर लगी MS नालीदार शीट तथा कन्सर्टिना/कंटीले तार को हटाकर ले जाने और रिबेट में शामिल नहीं किया गया है; इन्हें बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा।
नोट:	निविदा खोले जाने के बाद तथा कार्य दिए जाने से पहले, बैंक (भारतीय रिज़र्व बैंक) अपने प्रशासनिक/अपरिहार्य कारणों, स्थल की बाधाओं अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी मद/मात्रा को हटाने का निर्णय ले सकता है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त सभी अनुदेशों/शर्तों/कार्य के दायरे/विनिर्देशों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक: अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/पदनाम एवं मुहर सहित)

भाग IV (ख) अनुबंध की सामान्य नियम एवं शर्तें

	खंड
1.	**1. परिभाषाएँ**
	क. "अनुबंध" से निविदा का गठन करने वाले सभी दस्तावेजों और उनकी स्वीकृति से संबंधित समस्त पत्राचार, बैंक और ठेकेदार के बीच निष्पादित औपचारिक करार तथा उसमें संदर्भित दस्तावेजों, जिनमें अनुबंध की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तें, बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम एवं निर्देश, आदान-प्रदान किया गया पत्राचार तथा बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश शामिल हैं, से है। इन सभी दस्तावेजों को एक ही अनुबंध का भाग माना जाएगा और ये एक-दूसरे के पूरक होंगे। क. अनुबंध में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो नीचे दिए गए हैं: - I. "करार" से कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार और बैंक के बीच हस्ताक्षरित करार अभिप्रेत है। II. "स्थल" से भारतीय रिज़र्व बैंक की हौज खास, नई दिल्ली–110016 स्थित आवासीय कॉलोनी अभिप्रेत है। III. "कार्य" से "भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी, हौज खास, नई दिल्ली में विद्यमान पुरानी चारदीवारी को ध्वस्त करना तथा नई चारदीवारी का पुनर्निर्माण" तथा उससे संबंधित/सहायक सभी कार्य अभिप्रेत हैं। IV. "बैंक" से भारतीय रिज़र्व बैंक, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 अभिप्रेत है। V. "निविदा दस्तावेज" से बैंक द्वारा कार्य के लिए बोली आमंत्रित करने हेतु बोलीदाताओं को जारी किया गया इस नाम का दस्तावेज अभिप्रेत है। VI. "दिन" से कैलेंडर दिवस अभिप्रेत है। VII. "कार्य दिवस" से बैंक का कार्यालय कार्यरत रहने वाले दिन, अर्थात सार्वजनिक अवकाश, शनिवार और रविवार को छोड़कर अन्य दिन, अभिप्रेत हैं। VIII. "माह" से कैलेंडर माह अभिप्रेत है। IX. "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है। X. "बोलीदाता(गण)" से निविदा दस्तावेज की शर्तों के अनुसार बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी

	पक्ष अभिप्रेत हैं। XI. "ठेकेदार" से कार्य करने वाला व्यक्ति, फर्म या कंपनी, चाहे निगमित हो या न हो, अभिप्रेत है तथा इसमें ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि, फर्म/कंपनी के सदस्य, उनके उत्तराधिकारी तथा अनुमत हस्तांतरिती शामिल होंगे। XII. "बैंक के प्राधिकृत प्रतिनिधि" से बैंक द्वारा नियोजित एवं पारिश्रमिक प्राप्त तथा बैंक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले अधिकारी अभिप्रेत हैं जो कार्य के दिन-प्रतिदिन के निष्पादन का पर्यवेक्षण करेंगे।
	XII. "प्रभारी अभियंता" से बैंक द्वारा नियोजित और पारिश्रमिक प्राप्त करने वाला तथा बैंक के निर्देशों के अधीन कार्य करने वाला अभियंता अधिकारी अभिप्रेत है, जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उसका प्रभारी होगा। XIII. "अनुबंध अवधि" से निविदा दस्तावेज में अनुबंध के निष्पादन/कार्य की पूर्णता के लिए निर्दिष्ट अवधि, जिसमें बैंक द्वारा अधिकृत विस्तारित अवधि भी शामिल है, अभिप्रेत है। XIV. "अनुबंध राशि" से सफल बोलीदाता द्वारा उद्धृत इकाई दरों और निविदा दस्तावेज में अपेक्षित मात्रा के आधार पर गणना की गई, बैंक द्वारा स्वीकृत तथा कार्य प्रदान पत्र में दर्शाई गई कुल राशि अभिप्रेत है। XV. "लिखित सूचना" या "लिखित नोटिस" से लिखित, टंकित या मुद्रित अक्षरों में भेजी गई ऐसी सूचना अभिप्रेत है जो, जब तक व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द न की गई हो या प्राप्ति अन्यथा सिद्ध न हो, पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्तकर्ता के अंतिम ज्ञात निजी/व्यावसायिक पते या पंजीकृत कार्यालय पर भेजी गई हो और सामान्य डाक व्यवस्था में सुपुर्द किए जाने पर प्राप्त मानी जाएगी। स्वीकृत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दी गई सूचना भी लिखित सूचना मानी जाएगी। XVI. "लेखन" में कोई लिखित कागजी दस्तावेज, ई-मेल पत्राचार और इलेक्ट्रॉनिक संदेश शामिल है। XVII. "कार्य का प्रारंभ" से कार्यादेश में 'प्रारंभ तिथि' के रूप में विनिर्दिष्ट तारीख अभिप्रेत है।
2.	**निष्पादित किए जाने वाले कार्य**
	i. यदि आवश्यक हो, तो बैंक की सलाह के अधीन विनिर्देशों और स्थल की आवश्यकता के आधार पर सभी आवश्यक ड्राइंग, शॉप ड्राइंग/कार्यकारी ड्राइंग (2D एवं 3D) रंगों में ठेकेदार द्वारा तैयार की जाएंगी। ड्राइंग स्थल के विनिर्देशों के अनुसार तथा साइट अभियंता के सुझाव

	एवं परामर्श के अनुरूप तैयार की जानी चाहिए। कार्यादेश जारी होने की तारीख से 10 दिनों के भीतर फर्म द्वारा ड्राइंग प्रस्तुत की जानी चाहिए, ताकि कार्य समय पर प्रारंभ किया जा सके। **ii.** अनुबंध के अधीन कार्य में, जब तक इन शर्तों में अन्यथा प्रावधान न हो, तैयारी तथा कार्य के पूर्ण एवं समग्र निष्पादन और पूर्णता के लिए आवश्यक सभी श्रम, सामग्री, औजार, संयंत्र, उपकरण और परिवहन शामिल होंगे। ठेकेदार ड्राइंग, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देश को समग्र रूप से पढ़े जाने पर उनके आशय के अनुसार कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक प्रत्येक वस्तु अपने खर्च पर उपलब्ध कराएगा, चाहे वह विशेष रूप से दर्शाई गई हो या नहीं, बशर्ते कि उसे युक्तिसंगत रूप से उनसे निष्कर्षित किया जा सके। ड्राइंग अथवा ड्राइंग, मात्राओं की अनुसूची और विनिर्देशों के बीच कोई विसंगति मिलने पर ठेकेदार तत्काल लिखित रूप में प्रभारी अभियंता को संदर्भित करेगा और यह निर्णय प्रभारी अभियंता का होगा कि किसे अनुसरण किया जाए। मात्राओं की अनुसूची के विवरण में, जब तक अन्यथा न कहा गया हो, सामग्री की बर्बादी, ढुलाई एवं परिवहन, खाली वस्तुओं को ले जाना और वापस लाना, उठाना, स्थापित करना, फिट करना एवं स्थान पर स्थिर करना तथा कार्य की पूर्णता के लिए आवश्यक अन्य सभी श्रम शामिल माने जाएंगे और उपर्युक्त कार्य का पूर्ण एवं समग्र निष्पादन तथा पूर्णता सुस्थापित कार्य-पद्धति और मान्य सिद्धांतों के अनुरूप की जाएगी। **iii.** ठेकेदार इस अनुबंध तथा प्रभारी अभियंता के निर्देशों के अनुरूप और उनकी संतुष्टि के अनुसार कार्य को प्रत्येक दृष्टि से निष्पादित एवं पूर्ण करेगा। प्रभारी अभियंता समय-समय पर आगे की ड्राइंग और/या लिखित निर्देश, विस्तृत दिशानिर्देश एवं स्पष्टीकरण जारी कर सकता है, जिन्हें सामूहिक रूप से "बैंक के निर्देश" कहा जाएगा, निम्नलिखित के संबंध में: क) डिजाइन, गुणवत्ता या मात्रा में परिवर्तन/संशोधन अथवा किसी कार्य को जोड़ना, हटाना या प्रतिस्थापित करना। ख) ड्राइंग में अथवा मात्राओं की अनुसूची और/या ड्राइंग और/या विनिर्देश के बीच किसी विसंगति के संबंध में। ग) ठेकेदार द्वारा स्थल पर लाई गई ऐसी सामग्री को हटाना जो निविदा विनिर्देशों के अनुरूप न हो तथा उसके स्थान पर अन्य सामग्री देना। घ) ठेकेदार द्वारा निष्पादित ऐसी सामग्री/कार्य को हटाना और/या पुनः निष्पादित करना जो निविदा विनिर्देशों के अनुरूप न हो। ङ) ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को कार्य से हटाना।

	च) निरीक्षण के लिए किसी ढके हुए कार्य को खोलना। छ) दोष दायित्व अवधि के दौरान देखे और रिपोर्ट किए गए दोषों में संशोधन करना तथा उन्हें ठीक करना। ठेकेदार ऐसे बैंक के निर्देशों में सम्मिलित प्रत्येक कार्य का तत्काल अनुपालन करेगा। कार्यस्थल पर प्रभारी अभियंता द्वारा ठेकेदार या उसके प्रतिनिधियों को दिए गए मौखिक निर्देश, यदि उनमें परिवर्तन निहित हो, तो ठेकेदार द्वारा सात दिनों के भीतर लिखित रूप में पुष्ट किए जाएंगे। यदि प्रभारी अभियंता अगले सात दिनों में उन्हें लिखित रूप से अनुमोदित/अननुमोदित नहीं करता है, तो उन्हें अनुबंध के दायरे में बैंक के निर्देश माना जाएगा।
3.	**निविदा की पर्याप्तता**
	ठेकेदार को निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्यों के लिए अपनी निविदा तथा मूल्य बोली में उद्धृत दरों और कीमतों की शुद्धता एवं पर्याप्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट माना जाएगा। जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, उक्त दरें और कीमतें अनुबंध के अधीन उसके सभी दायित्वों तथा कार्यों की उचित पूर्णता और अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी मामलों एवं वस्तुओं को समाहित करेंगी।
4.	**कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी**
	ए) ठेकेदार अनुबंध के सफल निष्पादन के लिए अनुसूचित बैंक से निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-VIII) में अपरिवर्तनीय कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगा, जिसकी वैधता दोष दायित्व अवधि (DLP) तक होगी। यह गारंटी 'कार्य प्रदान पत्र' प्राप्त होने के 14 दिनों के भीतर अनुबंध राशि (जीएसटी सहित) के पांच प्रतिशत के बराबर राशि की, भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में प्रस्तुत की जाएगी। i. कार्य प्रदान किए जाने की तारीख से पीबीजी प्रस्तुत करने के लिए अनुमत समय – 14 दिन। ii. उपर्युक्त (i) में निर्दिष्ट अवधि के बाद बिना दंड पीबीजी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम अनुमत अतिरिक्त समय – 7 दिन। iii. उपर्युक्त (ii) में निर्दिष्ट अवधि के बाद प्रति दिन कार्यनिष्पादन गारंटी की राशि के 0.1 प्रतिशत की विलंब शुल्क के साथ पीबीजी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतम अनुमत अतिरिक्त समय – 7 दिन। (बी) **पीबीजी की विमुक्ति:** पीबीजी को अनुबंध अवधि की पूर्णता के छह माह बाद, बिना ब्याज के, तभी विमुक्त किया जाएगा जब अनुबंध के सफल पूर्ण होने तथा ठेकेदार या उसके कर्मचारियों की कोई देयता शेष न होने के संबंध में बैंक संतुष्ट हो। किसी शिकायत या लंबित देय राशि की स्थिति में

	पीबीजी को प्रतिभूति जमा माना जाएगा और सभी देय राशियों/दायित्वों के समायोजन के बाद ही इसे विमोचित किया जाएगा। (सी) पीबीजी की जब्ती: पीबीजी निम्नलिखित स्थितियों में जब्त की जाएगी: (i) कार्य प्रारंभ न करना, (ii) अनुबंधीय दायित्वों का निष्पादन न करना या अनुबंध की किसी शर्त का अनुपालन न करना। (iii) करार के किसी खंड/शर्त के प्रावधान के अंतर्गत अनुबंध के निर्धारण या निरसन की स्थिति में।
5.	**परिसमापन हर्जाना**
	यदि ठेकेदार कार्य की आवश्यक प्रगति बनाए रखने या अनुबंध या पूर्णता की विस्तारित तिथि पर या उससे पहले कार्य को पूरा करने और साइट को साफ़ करने में विफल रहता है, तो वह, बैंक को कानून के तहत उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुमानित लागत का 0.25% प्रति सप्ताह की दर से यानी ₹ 3,546/- प्रति दिन की दर से परिसमापित हर्जाना (लिक्विडेटेड डैमेज) का भुगतान करेगा, जो संपूर्ण कार्य के लिए अनुबंध राशि के अधिकतम 10% के अधीन होगा। प्रतिकर की राशि को इस अनुबंध या बैंक के साथ किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार को देय किसी भी राशि के सामने समायोजित या मुफ़्त किया जा सकता है।
6.	**बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने वाले परिवर्तन**
	ठेकेदार को परिवर्तन मद/मदों की मात्रा निष्पादित करने से पहले बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा। ठेकेदार मात्रा और दरों सहित परिवर्तन का विवरण, दर-विश्लेषण, वाउचर आदि से विधिवत समर्थित प्रस्तुत करेगा। जब तक इन विवरणों को बैंक द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाता, बैंक ऐसे परिवर्तनों के भुगतान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
7.	**प्राधिकरण, नोटिस और पेटेंट**
	ठेकेदार कार्यों से संबंधित किसी भी विधायी अधिनियम के प्रावधानों तथा किसी प्राधिकरण के विनियमों और उप-विधियों तथा उन जल, विद्युत आपूर्ति और अन्य कंपनियों/प्राधिकरणों के नियमों का अनुपालन करेगा जिनकी प्रणालियों से संरचना को जोड़ा जाना प्रस्तावित है। अनुपालन के कारण ड्राइंग या विनिर्देश में किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर, परिवर्तन करने से पहले ठेकेदार बैंक के अभियंता को लिखित सूचना देगा, जिसमें प्रस्तावित परिवर्तन और उसका कारण बताया जाएगा और उस संबंध में निर्देश मांगे जाएंगे। यदि दस दिनों के भीतर ऐसे निर्देश प्राप्त नहीं होते हैं, तो ठेकेदार संबंधित प्रावधानों, विनियमों या उप-विधियों के अनुरूप कार्य आगे बढ़ाएगा।

	ठेकेदार उक्त अधिनियमों, विनियमों या उप-विधियों के अंतर्गत किसी प्राधिकरण को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिसों को बैंक के संज्ञान में लाएगा तथा कार्यों के संबंध में विधिवत प्रभार्य सभी शुल्क उक्त प्राधिकरण या लोक कार्यालय को अदा करेगा और रसीदें बैंक के पास जमा करेगा। ठेकेदार पेटेंट अधिकारों के संबंध में सभी दावों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, ऐसे दावों से उत्पन्न सभी कार्यवाहियों का प्रतिरक्षण करेगा तथा इसके संबंध में विधि सम्मत रूप से होने वाली सभी रॉयल्टी, लाइसेंस शुल्क, हर्जाना, लागत और प्रभार स्वयं वहन करेगा।
8.	**कार्य का निर्धारण एवं अंकन**
	ठेकेदार कार्य का स्थल पर निर्धारण एवं अंकन करेगा तथा उसके सभी भागों की स्थिति, स्तर, आयाम और संरेखण की शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा। यदि ठेकेदार इस दायित्व में विफल रहता है, तो किसी भी त्रुटि/दोष को बैंक के अभियंता की संतुष्टि के अनुसार अपने खर्च पर ठीक करेगा।
9.	**सामग्री एवं कारीगरी का विनिर्देश के अनुरूप होना**
	सभी सामग्री और कारीगरी मात्राओं की अनुसूची और/या विनिर्देशों में वर्णित संबंधित प्रकार की तथा बैंक के अभियंता के निर्देशों के अनुरूप होंगी। बैंक के अभियंता के अनुरोध पर ठेकेदार सामग्री के अनुरूप होने का प्रमाण देने के लिए सभी चालान, लेखे, रसीदें और अन्य वाउचर प्रस्तुत करेगा। ठेकेदार अपने खर्च पर, कार्य में उपयोग से पूर्व, बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं के माध्यम से किसी भी सामग्री की जांच/परीक्षण की व्यवस्था करेगा।
10.	**श्रमिकों को कार्य से हटाना**
	बैंक के अभियंता के अनुरोध पर ठेकेदार अपने द्वारा कार्य पर नियोजित ऐसे किसी व्यक्ति को तत्काल कार्य से हटा देगा जो बैंक के अभियंता की राय में अक्षम हो या दुर्व्यवहार करता हो। ऐसे व्यक्ति को परामर्शदाता की अनुमति के बिना पुनः कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा।
11.	**कार्य तक पहुंच**
	बैंक, बैंक के अभियंता और उनके संबंधित प्रतिनिधियों को सभी युक्तिसंगत समय पर कार्य तथा/या उन कार्यशालाओं, कारखानों या अन्य स्थानों तक निर्बाध पहुंच होगी जहां सामग्री रखी है या जहां से वह प्राप्त की जा रही है। ठेकेदार बैंक, बैंक के अभियंता और उनके प्रतिनिधियों को सामग्री एवं कारीगरी के निरीक्षण, जांच और परीक्षण के लिए आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। बैंक या बैंक के अभियंता द्वारा अधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त, लोक प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी समय कार्यस्थल पर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
12.	**समनुदेशन एवं उप-ठेका**

	अनुबंध में सम्मिलित संपूर्ण कार्य ठेकेदार द्वारा निष्पादित किया जाएगा। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध या उसके किसी भाग/हिस्से अथवा उसमें किसी हित को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित, समनुदेशित या उप-ठेके पर नहीं देगा। ऐसा कोई भी उपक्रम ठेकेदार को अनुबंध की पूर्ण एवं समग्र जिम्मेदारी अथवा कार्य की प्रगति के दौरान उसके सक्रिय पर्यवेक्षण के दायित्व से मुक्त नहीं करेगा।
13.	**तैनात कर्मचारियों की पहचान**
	ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्तियों के नाम, पिता/माता का नाम, आवासीय पता, आयु आदि के विवरण के साथ उनका हाल का फोटोग्राफ और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज (OVD), जैसे पैन, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि प्रस्तुत किए जाएंगे।
14.	**पुलिस सत्यापन**
	ठेकेदार द्वारा पुलिस सत्यापन के बिना किसी कर्मचारी को तैनात नहीं किया जाएगा। तैनात कर्मचारियों के पूर्ववृत्त का सत्यापन ठेकेदार द्वारा स्थानीय पुलिस प्राधिकरण से कराया जाएगा।
15.	**परिवर्तन, परिवर्धन, विलोपन आदि**
	कोई परिवर्तन, विलोपन या विचलन इस अनुबंध को अमान्य नहीं करेगा। यदि कार्य की प्रगति के दौरान बैंक का अभियंता कार्यों में परिवर्तन, परिवर्धन या विलोपन अथवा सामग्री के प्रकार/गुणवत्ता में परिवर्तन करना उचित समझता है और ठेकेदार को लिखित सूचना देता है, तो ठेकेदार ऐसी सूचना के अनुसार कार्य करेगा। ठेकेदार बैंक के अभियंता की पूर्व लिखित सहमति के बिना कोई अतिरिक्त कार्य, परिवर्तन, परिवर्धन, विलोपन या अनुबंध, निर्धारित शर्तों, विनिर्देश या अनुबंधीय ड्राइंग से कोई विचलन नहीं करेगा। ऐसे अतिरिक्त कार्य/परिवर्तन/परिवर्धन/विलोपन का मूल्य बैंक के अभियंता द्वारा पूर्व लिखित अनुमोदन के साथ निर्धारित किया जाएगा और, जैसा भी मामला हो, अनुबंध राशि में जोड़ा या घटाया जाएगा। जब तक अन्यथा कहा गया हो, निविदा पूर्णतः मद-दर आधार पर है और प्रत्येक मद की दर सही, कार्यान्वयन योग्य तथा स्वयं-समर्थित होनी चाहिए। मात्राओं की अनुसूची की मात्राएं कार्य की अनुमानित सीमा दर्शाती हैं, परंतु उनमें किसी भी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है या कोई मद हटाई जा सकती है। यदि वास्तविक निष्पादन के दौरान किसी मद की मात्रा निविदा मात्रा से 25% से अधिक बढ़ जाती है, तो परियोजना अभियंता के प्राधिकार और बैंक की सहमति से निविदा मात्रा के 25% से अधिक निष्पादित मात्रा को अतिरिक्त कार्य-मद माना जाएगा। इसके लिए ठेकेदार वास्तविक लागत आधार पर दर-विश्लेषण सहित नई दरें प्रस्तुत करेगा, जिनमें स्थापना प्रभार, ठेकेदार का ओवरहेड और लाभ के लिए 15% होगा। ऐसी मदों की वर्तमान दरों पर निविदा में दिए

	वृद्धि-सूत्र के अनुसार सामग्री/श्रम दरों में वृद्धि या कमी के कारण मूल्य समायोजन लागू नहीं होगा। बैंक के एकमात्र विवेकाधिकार पर स्वीकृत निविदा से कोई मद हटाए जाने पर ठेकेदार किसी दावे का अधिकारी नहीं होगा। ठेकेदार विनिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक ड्राइंग/डिजाइन (2D एवं 3D में रंगीन ड्राइंग) बिना अतिरिक्त लागत के तैयार करेगा और निष्पादन से पूर्व बैंक का अनुमोदन लेगा।
16.	16. कार्यों का मापन
	कार्य के मापन को लेने और दर्ज करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी:
	i. मापन प्रथम चरण में ठेकेदार द्वारा कम्प्यूटरीकृत प्रारूप में दर्ज किए जाएंगे और हार्ड कॉपी विभाग को दी जाएगी। सभी प्रविष्टियां प्रचलित मापन पुस्तिकाओं (MBs) में मापन दर्ज करने की लागू प्रक्रिया के अनुरूप होंगी। i. इन मापनों की 100% जांच कनिष्ठ अभियंता/सहायक प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा की जाएगी। उनके उपलब्ध न होने पर बैंक के सहायक प्रबंधक (तकनीकी)/प्रबंधक (तकनीकी) द्वारा 100% जांच की जाएगी। जांच के दौरान किए गए सभी परिवर्तन/सुधार ठेकेदार द्वारा अपने प्रारूप कम्प्यूटरीकृत मापनों में शामिल किए जाएंगे और संशोधित कम्प्यूटरीकृत मापन हार्ड-बाउंड पुस्तक में, मशीन से क्रमांकित पृष्ठों सहित, विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। प्रत्येक पृष्ठ पर ठेकेदार के प्राधिकृत अधिकारी तथा बैंक के अधिकारी के नाम और पदनाम सहित तारीखयुक्त पूर्ण हस्ताक्षर होंगे। ii.कम्प्यूटरीकृत मापनों की परीक्षण-जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा प्रचलित निर्देशों के अनुसार की जाएगी। इस पुस्तक को कम्प्यूटरीकृत मापन पुस्तिका माना जाएगा। iii. ठेकेदार द्वारा दी गई कम्प्यूटरीकृत MB, जिसके पृष्ठ मशीन से क्रमांकित और पुस्तक विधिवत बंधी हो, में कोई काट-छांट या ओवरराइटिंग नहीं होगी। त्रुटि की स्थिति में MB निरस्त की जाएगी और सभी सुधारों को समाहित करते हुए नई MB प्रस्तुत की जाएगी। यह संबंधित बिल को भुगतान हेतु प्रस्तुत करने से पहले किया जाएगा। iv. संबंधित अधिकारी प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार MB में जांच और परीक्षण-जांच के आवश्यक प्रमाण-पत्र दर्ज करेंगे। प्रमाण-पत्र दर्ज करने से पहले सभी सुधार समाहित हैं, यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी होगी। v.बैंक द्वारा ठेकेदार को दिए जाने वाले कम्प्यूटरीकृत MB रजिस्टर के अनुसार MB को क्रमांक दिया जाएगा।

	vi. अंतिम रूप दी गई कम्प्यूटरीकृत MB के सभी पृष्ठों पर ठेकेदार के प्राधिकृत अधिकारी और बैंक के अधिकारी के नाम एवं पदनाम सहित तारीखयुक्त पूर्ण हस्ताक्षर होंगे। यदि अनुबंध में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, तो सभी मापन IS 1200 में विस्तृत मापन-पद्धति के अनुसार होंगे। यदि ठेकेदार मापन लेने के लिए उपस्थित नहीं होता या उसे लेने में उपेक्षा/चूक करता है, तो बैंक के अभियंता या उनके द्वारा अनुमोदित व्यक्ति द्वारा लिए गए मापन को कार्य का सही मापन माना जाएगा।
17.	**अतिरिक्त मदों की दरें**
	बैंक के अभियंता की सहमति के अनुसार निष्पादित किए बिना किसी अतिरिक्त मद का दावा स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसे मद को "अधिकृत अतिरिक्त मद" कहा जाएगा। (i) समान प्रकृति और समान परिस्थितियों में निष्पादित अतिरिक्त कार्य के मूल्यांकन के लिए मूल निविदा की शुद्ध दरें/कीमतें लागू होंगी।
	(ii) जहां तक संभव हो, सभी अतिरिक्त मदों की दरें मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची में दी गई दरों से व्युत्पन्न की जाएंगी। (iii) जहां अतिरिक्त कार्य समान प्रकृति/परिस्थितियों का न हो, अथवा विलोपन/परिवर्धन से शेष कार्य की परिस्थितियां बदलती हों और बैंक के अभियंता की राय में निविदा की शुद्ध दर अनुचित या अनुपयुक्त हो जाए, वहां बैंक का अभियंता परिस्थितियों के अनुसार युक्तिसंगत एवं उचित अन्य दर/कीमत निर्धारित करेगा और ठेकेदार बैंक का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त करेगा। (iv) जहां अतिरिक्त कार्य का उचित मापन या मूल्यांकन संभव न हो, ठेकेदार श्रम-मजदूरी और प्रयुक्त सामग्री की वास्तविक लागत के आधार पर दावा कर सकता है। वह दर-विश्लेषण, चालान और भुगतान का प्रमाण देगा, जिसका सत्यापन बैंक के अभियंता द्वारा किया जाएगा। (v) अनुबंध का मापन और मूल्यांकन परिशिष्ट में दी गई "अंतिम मापन की अवधि" में या, यदि अवधि न दी गई हो, तो कार्य की पूर्णता के तीन माह के भीतर पूरा होगा। (vi) जिन अधिकृत अतिरिक्त मदों की दरें निविदा से व्युत्पन्न नहीं की जा सकतीं, उनके लिए ठेकेदार वास्तविक लागत आधार पर दर-विश्लेषण सहित दरें देगा, जिसमें स्थापना प्रभार, ठेकेदार का ओवरहेड और लाभ के लिए 15% जोड़ा जाएगा। ऐसी मदें मूल्यवृद्धि के लिए पात्र नहीं होंगी।
18.	**स्थिर न की गई सामग्री बैंक की संपत्ति होगी**
	जिस प्रमाण-पत्र के आधार पर ठेकेदार को भुगतान मिला है, उसमें बैंक के अभियंता द्वारा कार्य के लिए अभिप्रेत और/या कार्यस्थल पर या उसके निकट रखी किसी स्थिर न की गई सामग्री का मूल्य

	शामिल किए जाने पर ऐसी सामग्री बैंक की संपत्ति होगी। बैंक के अभियंता की लिखित अनुमति के बिना उसे कार्य में उपयोग के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए हटाया नहीं जाएगा। ऐसी सामग्री के नुकसान या क्षति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा।
19.	**अनुचित कार्य को हटाना**
	कार्य की प्रगति के दौरान बैंक को लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट युक्तिसंगत अवधि में ऐसे कार्य को हटाने अथवा ऐसी सामग्री को हटाने का निर्देश देने का अधिकार होगा जो बैंक के अभियंता की राय में विनिर्देशों/निर्देशों के अनुरूप न हो। बैंक उचित सामग्री से प्रतिस्थापन तथा ड्राइंग, विनिर्देश या प्रभारी अभियंता के निर्देश के अनुरूप पुनर्निष्पादन का आदेश भी दे सकता है। ठेकेदार ऐसे आदेश का अनुपालन अपने खर्च पर करेगा। चूक की स्थिति में बैंक अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर कार्य करा सकता है; ऐसे सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे या बैंक उन्हें ठेकेदार को देय/भविष्य में देय राशि से काट सकता है।
	बैंक अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर उक्त कार्य करा सकता है और बैंक के अभियंता द्वारा प्रमाणित संबंधित सभी व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे या बैंक उन्हें ठेकेदार को देय/भविष्य में देय राशि से काट सकता है।
20.	**आभासी पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं दोष दायित्व अवधि**
	कार्य तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक बैंक का अभियंता लिखित रूप में यह प्रमाणित न कर दे कि कार्य आभासी रूप से पूर्ण हो चुका है। दोष दायित्व अवधि ऐसे प्रमाण-पत्र की तारीख से 12 माह के लिए वैध होगी।
21.	**कार्य की आभासी पूर्णता के बाद दोष**
	परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" के भीतर अथवा, यदि कोई अवधि न हो, तो कार्य की आभासी पूर्णता के बाद बारह माह के भीतर प्रकट होने वाला कोई दोष या कमी, जो बैंक के अभियंता की राय में अनुबंध के अनुरूप न होने वाली सामग्री या कारीगरी से उत्पन्न हुई हो, ठेकेदार बैंक के अभियंता के लिखित निर्देश के अनुसार निर्दिष्ट युक्तिसंगत अवधि में अपने खर्च पर ठीक करेगा। चूक होने पर बैंक अन्य व्यक्तियों को नियुक्त कर ऐसे दोष, सिकुड़न, बैठने या अन्य कमी को ठीक करा सकता है और उससे संबंधित सभी क्षति, हानि और व्यय ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे। बैंक इन्हें ठेकेदार से वसूल सकता है या देय राशि से काट सकता है। किसी प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर या खाते पारित किए जाने के बावजूद ठेकेदार इस खंड के अधीन उत्तरदायी रहेगा।
22.	**बैंक द्वारा नियोजित अन्य व्यक्ति**

	बैंक को इस अनुबंध में सम्मिलित न किए गए कार्य के लिए परिसर/स्थल के किसी भाग का उपयोग करने और उसे अन्य व्यक्तियों से कराने का अधिकार है। ठेकेदार ऐसे कार्य के निष्पादन के लिए युक्तिसंगत सुविधाएं देगा, पर विशेष व्यवस्था के बिना कोई संयंत्र/सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसा कार्य अनुबंधीय कार्य की प्रगति में बाधा डाले बिना किया जाएगा और उससे हुई क्षति/विलंब के लिए ठेकेदार जिम्मेदार नहीं होगा। समान क्षेत्र/परिसर में कार्य कर रही सुरक्षा तथा अन्य फर्मों के साथ समन्वय की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, जिनकी गतिविधियां इसी या अन्य अनुबंधों में समानांतर, उत्तरवर्ती या पूर्ववर्ती हो सकती हैं।
23.	**व्यक्तियों और संपत्ति को हुई क्षति के संबंध में बीमा**
	ठेकेदार व्यक्ति, पशु या वस्तु को हुई चोट/क्षति तथा संपत्ति को हुई ऐसी सभी क्षति के लिए जिम्मेदार होगा जो ठेकेदार, उप-ठेकेदार, नामित उप-ठेकेदार या उनके कर्मचारियों के किसी कार्य/चूक से उत्पन्न हो। इस दायित्व में कार्य से सटी हुई अथवा अन्य संरचनाओं को हुई क्षति भी शामिल होगी। सड़कों, गलियों, फुटपाथों, भवनों और अन्य संरचनाओं तथा कॉलोनी परिसर में खड़े वाहनों और इस अनुबंध के विषय-वस्तु वाले कार्यों को हुई क्षति भी इसमें शामिल होगी। वर्षा, हवा, पाला या अन्य प्रतिकूल मौसम से भवन, संरचनाओं या कार्यों को हुई क्षति के लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार व्यक्तियों/संपत्ति को हुई ऐसी चोट या क्षति से उत्पन्न सभी हानि और व्ययों के संबंध में बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा, क्षतिपूरित रखेगा और बैंक को दायित्व से मुक्त रखेगा तथा संबंधित दावों, अधिनिर्णयों, क्षतिपूर्ति या हर्जाने के संबंध में भी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। ठेकेदार अपने खर्च पर बैंक द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से इस अनुबंध के अंतर्गत आभासी पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी होने तक अनुबंध की पूर्ण राशि, भूकंप जोखिम सहित, के लिए ठेकेदारों की सर्व-जोखिम बीमा पॉलिसी बैंक और ठेकेदार के संयुक्त नामों में (बैंक का नाम पहले) प्रभावी रखेगा और कार्य प्रारंभ से पहले पॉलिसी/पॉलिसियां बैंक के पास जमा करेगा। ठेकेदार कार्य के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा बैंक के विरुद्ध किए जाने वाले सभी दावों से भी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और बैंक द्वारा अनुमोदित बीमा कंपनी से बैंक एवं ठेकेदार के संयुक्त नामों में ऐसे जोखिम के विरुद्ध बीमा पॉलिसी अनुबंध की आभासी पूर्णता तक प्रभावी रखेगा। पॉलिसी की न्यूनतम कवरेज सीमा किसी एक दुर्घटना/घटना के लिए प्रति व्यक्ति ₹5 लाख तथा संपत्ति की क्षति के लिए ₹.2 लाख होगी, जो कुल ₹.25 लाख की सीमा के अधीन होगी। ठेकेदार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम या किसी अन्य लागू विधि/कॉमन लॉ के अंतर्गत ठेकेदार/उप-ठेकेदार के कर्मचारियों

	से संबंधित सभी दावों के लिए भी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और संबंधित बीमा बनाए रखेगा। बीमा उपलब्ध कराने में चूक होने पर बैंक बीमा करा सकता है और प्रीमियम ठेकेदार को देय/भविष्य में देय राशि से काट सकता है। उपर्युक्त पॉलिसियों से आच्छादित न होने वाली किसी भी देयता तथा अन्य क्षति के लिए भी ठेकेदार जिम्मेदार होगा। क्षति के बाद पुनर्निर्माण/पुनःस्थापन की स्थिति में ठेकेदार बैंक के अभियंता द्वारा उचित समझे गए समय-विस्तार का अधिकारी होगा; परंतु बीमाकर्ता द्वारा दावे के निपटान में अंततः भुगतान की गई राशि में किसी कमी की बैंक से प्रतिपूर्ति का अधिकारी नहीं होगा। ठेकेदार किसी नामित उप-ठेकेदार को बीमा पॉलिसियां प्रस्तुत किए बिना स्थल पर कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं देगा। उप-ठेकेदार द्वारा बीमा न लेने पर उससे संबंधित दावा/क्षति के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। ठेकेदार द्वारा बीमा प्राप्त/नवीनीकृत न करने पर बैंक लिखित सूचना देकर बीमा कवर की व्यवस्था करेगा और प्रीमियम ठेकेदार को देय राशि से वसूल किया जा सकता है।
24.	**विलंब और समय का विस्तार**
	यदि बैंक के अभियंता की राय में कार्य में विलंब निम्न कारणों से हुआ है: (ए) अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण; या (बी) असाधारण रूप से प्रतिकूल मौसम के कारण; या (सी) आस-पास के स्वामियों या लोक प्राधिकरणों की कार्यवाही/विवाद के कारण, जो ठेकेदार की अपनी चूक से न हुआ हो; या (डी) बैंक/बैंक के अभियंता द्वारा नियुक्त अन्य ठेकेदारों/कारीगरों के कार्य या विलंब के कारण, जिनका मात्राओं की अनुसूची/विनिर्देश में उल्लेख न हो; या (ई) बैंक के अभियंता के निर्देशों के कारण; या (एफ) नागरिक अशांति, स्थानीय श्रमिक संगठन, हड़ताल या तालाबंदी के कारण; या (जी) ठेकेदार को समय पर आवश्यक निर्देश प्राप्त न होने के कारण, जिनके लिए उसने लिखित आवेदन किया था; या (एच) ऐसे अन्य कारणों से जिन्हें बैंक का अभियंता ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर प्रमाणित करे; या (आई) परिवर्तन के कारण कार्य का मूल्य मूल्यांकित मात्राओं की अनुसूची के मूल्य से अधिक हो जाने पर, बैंक का अभियंता, बैंक की पूर्व लिखित स्वीकृति से, पूर्णता के लिए उचित समय-विस्तार दे सकता है। हड़ताल/तालाबंदी में ठेकेदार विलंब रोकने के लिए निरंतर प्रयास करेगा और बैंक के अभियंता की संतुष्टि के अनुसार आवश्यक कार्य करेगा। निर्धारित समय में कार्य पूर्ण न करने पर समय-विस्तार प्राप्त करना तथा सभी वैधानिक अनुपालन, जैसे बीमा पॉलिसियों का विस्तार, ठेकेदार की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।

25.	**बैंक द्वारा अनुबंध की समाप्ति**
	यदि ठेकेदार कोई व्यक्ति/फर्म है और कोई "दिवालियापन संबंधी कृत्य" करता है या दिवालिया घोषित होता है, अथवा निगमित कंपनी के विरुद्ध अनिवार्य परिसमापन का आदेश होता है या वह स्वेच्छा से परिसमापन का प्रभावी प्रस्ताव पारित करती है/न्यायालय की निगरानी में परिसमापन के अधीन आती है, तो बैंक के अभियंता की मांग पर सात दिनों में ठेकेदार को यह प्रदर्शित करना होगा कि वह अनुबंध को बैंक के अभियंता की युक्तिसंगत संतुष्टि के अनुसार पूरा कर सकता है और, यदि अपेक्षित हो, प्रतिभूति देगा। या यदि ठेकेदार के विरुद्ध संपत्ति की कुर्की हेतु न्यायालय द्वारा निष्पादन या अन्य प्रक्रिया जारी की जाती है। या यदि इस अनुबंध के अधीन कोई भुगतान उसके किसी लेनदार की ओर से कुर्क कराया जाता है। या यदि वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना अनुबंध समनुदेशित या उप-ठेके पर देता है। या यदि वह अनुबंध या ठेकेदार को देय/भविष्य में देय भुगतान पर भार या बंधक बनाता है। या यदि बैंक का अभियंता लिखित रूप में प्रमाणित करता है कि ठेकेदार ने: i. अनुबंध का परित्याग कर दिया है; या ii. कार्य प्रारंभ नहीं किया है या बैंक के अभियंता के कार्य प्रारंभ करने के नोटिस के बाद चौदह दिनों तक किसी वैध कारण के बिना कार्य की प्रगति रोक दी है; या iii. अपेक्षित तत्परता से कार्य आगे नहीं बढ़ाया और ऐसी प्रगति नहीं की जिससे कार्य सहमत समय में पूर्ण हो सके; या iv. बैंक के इंजीनियर द्वारा लिखित सूचना मिलने के सात दिनों के भीतर साइट से ऐसी सामग्री हटाने या अस्वीकृत कार्य को गिराकर नया कार्य करने में विफल रहा है, जिसे इन शर्तों के तहत बैंक के इंजीनियर द्वारा दोषपूर्ण और अस्वीकृत घोषित किया गया था, अथवा v. लिखित सूचना के बाद सात दिनों तक अनुबंध के अधीन अपने किसी दायित्व का पालन नहीं किया है। तत्पश्चात और पूर्वोक्त मामलों में से किसी भी मामले में, बैंक, किसी भी पूर्व छूट के बावजूद, ठेकेदार को सात दिन का लिखित नोटिस देने के बाद, अनुबंध को समाप्त कर सकता है, किंतु इससे बैंक के इंजीनियर की शक्तियों या ठेकेदार के दायित्वों और देनदारियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो सभी पूर्ण रूप से उसी प्रकार लागू रहेंगे मानो अनुबंध समाप्त न किया गया हो, और मानो उसके पश्चात निष्पादित कार्य ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित किए गए हों। इसके अलावा, बैंक

	अपने एजेंटों या कर्मचारियों के ज़रिए काम की जगह या आस-पास की ज़मीन या सड़कों पर मौजूद काम से जुड़ी सभी चीज़ों – जैसे प्लांट, औज़ार, मचान, शेड, मशीनरी, स्टीम और अन्य पावर वाले उपकरण और मटीरियल – पर कब्ज़ा कर सकता है और उन्हें अपनी संपत्ति की तरह इस्तेमाल कर सकता है। बैंक इन चीज़ों का इस्तेमाल अपने कर्मचारियों और मज़दूरों के ज़रिए काम को पूरा करने के लिए कर सकता है, या फिर काम पूरा करने के लिए किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या व्यक्ति को काम पर रख सकता है। कॉन्ट्रैक्टर किसी भी तरह से ऐसे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर या व्यक्ति के काम में रुकावट नहीं डालेगा और न ही उन्हें काम पूरा करने या मटीरियल और प्लांट का इस्तेमाल करने से रोकेगा। कार्य पूरा होने पर या उसके तुरंत बाद जब भी संभव हो, बैंक का अभियंता ठेकेदार को लिखित सूचना देगा कि वह अपनी अतिरिक्त सामग्री और संयंत्र हटा ले, और यदि ठेकेदार प्राप्ति के चौदह दिनों के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो बैंक सार्वजनिक नीलामी द्वारा इसे बेच सकता है और प्राप्त शुद्ध राशि का श्रेय ठेकेदार को दे सकता है. इसके बाद बैंक का इंजीनियर लिखित रूप में यह तय करेगा और सर्टिफ़ाई करेगा कि बैंक द्वारा कब्ज़े में लिए गए प्लांट और मटीरियल की कीमत के लिए, और काम पूरा करवाने में बैंक को हुए खर्च या नुकसान के लिए, बैंक को क्या (अगर कुछ हो तो) मिलना है या बैंक को क्या चुकाना है, और कॉन्ट्रैक्टर का कितना बकाया है (अगर कोई हो तो); और जो रकम इस तरह सर्टिफ़ाई की जाएगी, उसका भुगतान बैंक द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बैंक को किया जाएगा (जैसा भी मामला हो), और बैंक के इंजीनियर का सर्टिफ़िकेट दोनों पक्षों के बीच फ़ाइनल और पक्का माना जाएगा।
26.	**ठेकेदार द्वारा अनुबंध की समाप्ति**
	अगर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बैंक को लिखित नोटिस देकर ऊपर बताई गई रकम का भुगतान करने की मांग करने के बाद भी, बैंक के इंजीनियर के सर्टिफिकेट के तहत बैंक को देय रकम का भुगतान तीस दिनों तक बकाया या बिना भुगतान के रहता है, या अगर बैंक ऐसे किसी सर्टिफिकेट को जारी करने में दखल देता है या रुकावट डालता है, या अगर बैंक कॉन्ट्रैक्टर को मानने से इनकार करता है, या अगर बैंक के इंजीनियर या बैंक के आदेश से, या किसी कोर्ट के आदेश या रोक के कारण काम तीन महीने तक रुका रहता है, तो ऐसी किसी भी स्थिति में कॉन्ट्रैक्टर को बैंक के इंजीनियर के ज़रिए बैंक को लिखित नोटिस देकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की आज़ादी होगी, और वह बैंक से किए गए सभी कामों का भुगतान और कॉन्ट्रैक्ट के मकसद से सप्लाई किए गए, खरीदे गए या तैयार किए गए किसी भी प्लांट या मटीरियल पर हुए किसी भी नुकसान की भरपाई पाने का हकदार होगा। ऐसे भुगतान की राशि निर्धारित करते समय ठेकेदार के मूल निविदा में शामिल शुद्ध दरों का पालन

	किया जाएगा।
27.	**प्रमाण-पत्र एवं भुगतान**
	(क) ठेकेदार को बैंक के अभियंता द्वारा जारी अंतरिम प्रमाण-पत्रों के आधार पर समय-समय पर किस्तों में भुगतान किया जाएगा, जब परिशिष्ट में उल्लिखित 'अंतरिम प्रमाण-पत्रों के लिए कार्य का मूल्य' के लगभग बराबर कार्य (या बैंक के अभियंता के विवेक से कम) अनुबंध के अनुसार निष्पादित हो चुका हो। परिशिष्ट में "अंतरिम प्रमाण-पत्रों के लिए प्रतिधारण प्रतिशत" के रूप में निर्धारित प्रतिशत रोका जाएगा, जब तक कि कुल प्रतिधारित राशि "कुल प्रतिधारित धनराशि" तक न पहुंच जाए। इसके बाद भवन में निष्पादित और स्थायी रूप से स्थापित कार्य के पूर्ण मूल्य तक किस्तों का भुगतान किया जाएगा। बैंक का अभियंता कार्य के लिए स्थल पर पहुंचाई गई सामग्री की उचित राशि भी अंतरिम प्रमाण-पत्र में शामिल कर सकता है। अपने विवेकानुसार बैंक का अभियंता अंतरिम प्रमाण-पत्र में कार्य में उपयोग के लिए स्थल पर पहुंचाई गई सामग्री की उचित राशि शामिल कर सकता है। कार्य आभासी रूप से पूर्ण होने और बैंक के अभियंता द्वारा लिखित प्रमाणन के बाद ठेकेदार को परिशिष्ट में "आभासी पूर्णता के बाद किस्त" के रूप में उल्लिखित राशि का भुगतान किया जाएगा। आभासी पूर्णता से परिशिष्ट में उल्लिखित "दोष दायित्व अवधि" की समाप्ति पर बैंक के अभियंता द्वारा जारी अंतिम प्रमाण-पत्र के अनुसार अंतिम शेष राशि देय होगी, अथवा उस अवधि के बाद कार्य पूर्ण होने और सभी दोष ठीक होने की जो तारीख बाद में हो, उसके अनुसार भुगतान होगा। कोई प्रमाण-पत्र ठेकेदार को धोखाधड़ी, बेईमानी, कपटपूर्ण छिपाव अथवा ऐसे दोष/अपर्याप्तताओं के लिए दायित्व से मुक्त नहीं करेगा जिन्हें युक्तिसंगत जांच से पता नहीं लगाया जा सकता था। कोई प्रमाण-पत्र अपने आप में यह निर्णायक साक्ष्य नहीं होगा कि संबंधित कार्य/सामग्री अनुबंध के अनुरूप है। अंतरिम बिल में प्रमाणित और भुगतान की गई परंतु बाद में देय न पाई गई राशि के संबंध में ठेकेदार का दावा नहीं होगा और बैंक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। (ख) बैंक द्वारा बिलों का निपटान करने से पहले, कॉन्ट्रैक्टर को अपने सभी रनिंग अकाउंट बिलों और फ़ाइनल बिल के साथ एक स्टेटमेंट जमा करना होगा। इस स्टेटमेंट में बिल की तारीख तक उसके द्वारा खरीदे गए सभी निर्माण सामग्री का विवरण होना चाहिए, ताकि उनकी जाँच की जा सके। (ग) अगर काम या उसका कोई हिस्सा बैंक के इंजीनियर की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जा

	रहा है, तो उन्हें किसी भी सर्टिफिकेट को रोकने का अधिकार होगा। (घ) बैंक का अभियंता अपने द्वारा जारी किए गए किसी भी पूर्व प्रमाण-पत्र में कोई भी संशोधन कर सकता है. (ङ) यदि ठेकेदार कार्यों का बीमा कराने और वर्चुअल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने तक उन्हें बीमाकृत रखने में विफल रहता है, तो बैंक का अभियंता भुगतान का कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगा। (च) बैंक के इंजीनियर के सर्टिफ़िकेट के आधार पर पेमेंट 45 दिनों के अंदर किया जाएगा।
28.	**अंतिम बिल की तकनीकी जांच का अधिकार**
	बैंक को यह अधिकार होगा कि वह अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति या संस्था से काम की तकनीकी जांच करवाए, साथ ही कॉन्ट्रैक्टर के फ़ाइनल बिल (जिसमें सभी सपोर्टिंग वाउचर, एब्स्ट्रैक्ट आदि शामिल हों) की भी जांच करवाए। अगर इस जांच या किसी अन्य वजह से यह पता चलता है कि कॉन्ट्रैक्टर को ज़रूरत से ज़्यादा पेमेंट किया गया है या ज़्यादा सर्टिफ़ाई किया गया है, तो बैंक के लिए यह कानूनी रूप से सही होगा कि वह उस रकम की वसूली कॉन्ट्रैक्टर को इस काम के लिए देय किसी पेमेंट से, या भारतीय रिज़र्व बैंक के तहत कहीं और किए जा रहे किसी अन्य काम के पेमेंट से करे।
29.	**श्रमिकों को दी गई क्षतिपूर्ति की वसूली**
	यदि किसी कारणवश, कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 अथवा उसके किसी सांविधिक संशोधन या पुनरधिनियमन के प्रावधानों के तहत, बैंक को ठेकेदार द्वारा कार्यों के निष्पादन में नियोजित किसी कामगार को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, तो बैंक ठेकेदार से इस प्रकार भुगतान की गई प्रतिकर की राशि वसूल करने का हकदार होगा, और उक्त अधिनियम के तहत बैंक के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। बैंक इस राशि या उसके किसी भाग को प्रतिभूति जमा (सिक्योरिटी डिपॉज़िट) से काटकर, या इस अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार को बैंक द्वारा देय किसी भी राशि से, या अन्य किसी प्रकार से वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपने विरुद्ध किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि ठेकेदार का लिखित अनुरोध हो और वह बैंक को उन सभी लागतों के लिए प्रतिभूति प्रदान करे जिनके लिए दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप बैंक उत्तरदायी हो सकता है।
30.	**ठेकेदार की मृत्यु की स्थिति में अनुबंध की समाप्ति**

	इस अनुबंध के किसी भी अधिकार या उपाय को प्रभावित किए बिना, यदि ठेकेदार, जो एक व्यक्ति या एकल स्वामित्व वाला है, की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक के पास बिना किसी दायित्व और मुआवजे के इस अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प होगा।
31.	31. ठेकेदार द्वारा सभी संबंधित वैधानिक कानूनों का अनुपालन (ए)ठेकेदार कार्य से संबंधित सभी लागू कानूनों का अनुपालन करेगा, यथा: i. मजदूरी संहिता, 2019 ii. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 iii. सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 iv. व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (OSHWC Code, 2020) v. नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938 vi. बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 vii. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 viii. और/या जैसा लागू हो, कोई अन्य अधिनियम/कानून। (बी) तैनात कर्मचारी/श्रमिक ठेकेदार के कर्मचारी होंगे और उपर्युक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों/विधियों के अंतर्गत सभी वैधानिक देयताएं ठेकेदार द्वारा वहन की जाएंगी। अनुबंध की अवधि में लागू उपर्युक्त श्रम संहिताओं/विधियों या अन्य कानून के अंतर्गत बैंक पर किए जाने वाले दावों से ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। (सी) ठेकेदार को OSHWC Code, 2020 और दिल्ली कार्य संविदा अधिनियम (जहां लागू हो) के अंतर्गत श्रम विभाग के संबंधित प्राधिकरणों के पास पंजीकृत होना चाहिए।
	(डी)ठेकेदार सभी नगरपालिका और अन्य विनियमों का अनुपालन करेगा और अपने खर्च पर आवश्यक लाइसेंस/परमिट, जिसमें OSHWC Code, 2020 आदि के लाइसेंस भी शामिल हैं, प्राप्त करेगा। ऐसे प्रतिष्ठानों के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों/विनियमों के ठेकेदार द्वारा उल्लंघन के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। संबंधित वैधानिक प्राधिकरणों के साथ संपर्क और अनुवर्ती कार्रवाई ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। (ई)बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को नियोजित नहीं करेगा।

	(एफ)यदि किसी लागू कानून/अधिनियम में बाद में संशोधन, परिवर्तन, प्रतिस्थापन या निरसन होता है, तो संशोधित/परिवर्तित/प्रतिस्थापित/नए प्रावधान मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर लागू माने जाएंगे।
32.	**सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 का अनुपालन**
	कॉन्ट्रैक्टर को 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' के नियमों के अनुसार प्रोविडेंट फंड और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस फंड के लिए एम्प्लॉयर का योगदान जमा करना होगा। कॉन्ट्रैक्टर को ESI और EPF का योगदान स्थानीय रूप से केवल दिल्ली में ही जमा करना होगा और यह पक्का करना होगा कि उसके सभी कर्मचारियों को तुरंत ESI कार्ड और EPF कार्ड मिल जाएं। किसी भी स्थिति में, अगर कॉन्ट्रैक्टर तय समय के भीतर PF/ESI सब्सक्रिप्शन आदि के लिए कर्मचारी/एम्प्लॉयर का योगदान जमा करने में विफल रहता है, तो बैंक इस करार या बैंक के साथ किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट के तहत कॉन्ट्रैक्टर को देय या मिलने वाली किसी भी राशि से उतनी ही रकम वसूलने और उसे संबंधित अधिकारियों को जमा करने का हकदार होगा, साथ ही बैंक में तैनात कर्मचारियों का विवरण भी देगा। यदि किसी लागू कानून या अधिनियम में पश्चातवर्ती विधान द्वारा कोई संशोधन, परिवर्तन या प्रतिस्थापन किया जाता है, तो ऐसे संशोधित, परिवर्तित या प्रतिस्थापित प्रावधान मौजूदा प्रावधानों के स्थान पर लागू माने जाएंगे।
33.	**कानूनों/मजदूरी संहिता का अनुपालन**
	(क) केंद्रीय सरकार द्वारा वेतन संहिता, 2019 के तहत निर्धारित न्यूनतम वेतन लागू होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि उसके द्वारा नियोजित कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का भुगतान एनईएफटी (NEFT) या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उनके बैंक खातों में किया जाए। किसी भी हालत में मज़दूरी नकद नहीं दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर को मज़दूरी का रजिस्टर रखना होगा और अपने हर कर्मचारी को वेज स्लिप (मज़दूरी की पर्ची) देनी होगी। कर्मचारियों को मज़दूरी का भुगतान सिर्फ़ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से उनके बैंक अकाउंट में किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को भुगतान के लिए बैंक में जमा किए जाने वाले बिल के साथ पेमेंट का सबूत (जैसे ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड या बैंक स्टेटमेंट की कॉपी) भी देना होगा। इसके अलावा, उन्हें OSHWC कोड, 2020 के अनुसार अपने कर्मचारियों को पीने का पानी, फ़र्स्ट एड सुविधा जैसी बुनियादी सुविधाएँ भी देनी होंगी। ठेकेदार को समय-समय पर लागू श्रम नियमों का पालन करना होगा या करवाना होगा। इन नियमों में वेतन का भुगतान, वेतन अवधि, वेतन से कटौती, भुगतान न

	किए गए वेतन की वसूली, बिना अधिकार के की गई कटौती, वेतन रजिस्टर और वेतन पर्ची रखना, वेतन की दर और नौकरी की शर्तों को प्रकाशित करना, और समय-समय पर निरीक्षण व रिपोर्ट जमा करना शामिल है।
	(ख) अगर कॉन्ट्रैक्टर द्वारा इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत काम पर रखे गए किसी व्यक्ति की मज़दूरी का भुगतान करने में कोई चूक होती है, और इसके लिए लेबर अथॉरिटी के ऑफिस में कोई दावा किया जाता है और लेबर अथॉरिटी को संतुष्ट करने वाला सबूत दिया जाता है, तो कॉन्ट्रैक्टर द्वारा उक्त पैसे का भुगतान न किए जाने की स्थिति में, बैंक कॉन्ट्रैक्टर की ओर से उक्त लेबर अथॉरिटी को ऐसे दावे का भुगतान कर सकता है और इस तरह भुगतान की गई कोई भी राशि बैंक कॉन्ट्रैक्टर से वसूल कर सकता है। (ग) अगर लेबर अधिकारियों के निर्देशों या लेबर कानूनों या नियमों के तहत किए गए किसी दावे या आवेदन के परिणामस्वरूप बैंक को कोई रकम चुकाने का निर्देश दिया जाता है, तो ऐसी रकम ठेकेदार द्वारा बैंक को सात दिनों के भीतर चुकाई जानी मानी जाएगी। बैंक को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार को देय रकम या परफॉर्मेंस बैंक गारंटी से कटौती करके ठेकेदार से वह रकम वसूल करे। (घ) अगर किसी लागू कानून या एक्ट में बाद के किसी कानून के ज़रिए कोई बदलाव, संशोधन, बदलाव या उसे बदला जाता है, तो बदले या संशोधित प्रावधान मौजूदा प्रावधानों की जगह लागू माने जाएँगे।
34.	**ठेकेदार द्वारा देय कर/शुल्क**
	(क) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए माल एवं सेवा कर, शुल्क, उपकर और रॉयल्टी तथा इस अनुबंध के संबंध में लागू कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होंगे और बैंक इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं करेगा। (ख) ठेकेदार द्वारा प्रदान की गई सेवा पर जीएसटी के भुगतान के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है। जीएसटी का भुगतान कर प्राधिकरण को करना ठेकेदार की जिम्मेदारी है। ठेकेदार जीएसटी और अन्य विवरणियां प्रस्तुत करने का कड़ाई से अनुपालन करेगा और प्रचलित निर्देशों के अनुसार दस्तावेजी प्रमाण बैंक को देगा। (ग) आयकर, जीएसटी पर टीडीएस या सरकार द्वारा लगाए गए अन्य कर, जैसा लागू हो, ठेकेदार को देय मासिक बिलों से काटे जाएंगे और बैंक इस संबंध में किसी दावे पर विचार नहीं करेगा।
35.	**क्षतिपूर्ति खंड**

	(ए)ठेकेदार बैंक तथा उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों को सभी दावों (तृतीय पक्ष दावों सहित), कार्यवाहियों, हानियों, क्षतियों, लागतों, व्ययों और प्रभारों, जिसमें विधिक व्यय भी शामिल हैं, से क्षतिपूर्ति करता रहेगा, जो ठेकेदार की चूक के कारण निम्नलिखित से उत्पन्न हो सकते हैं: क. लागू कानूनों, विनियमों और अनुबंध अवधि में सरकार/अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन; या ख. अनुबंध के नियमों और शर्तों का गैर-निष्पादन; या ग. ठेकेदार द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटियों का उल्लंघन; या
	(डी)ठेकेदार का लापरवाहीपूर्ण या कपटपूर्ण कार्य/चूक अथवा ठेकेदार के लिए उत्तरदायी कारणों से किसी तृतीय पक्ष का कार्य/चूक। (ई) ठेकेदार बैंक को अपने कर्मचारियों के किसी भी दावे से सुरक्षित रखेगा, और यह ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह अपने कर्मियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि उनका बैंक के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा और वे अपनी सेवा शर्तों या अन्य किसी भी विषय पर बैंक के साथ या उसके विरुद्ध प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे। (एफ) ठेकेदार कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 या उसके नियमों अथवा किसी अन्य लागू कानून/क्षतिपूर्ति नियम के अंतर्गत इस करार के प्रयोजन से रोजगार में किसी व्यक्ति को हुई दुर्घटना/चोट के परिणामस्वरूप देय क्षतिपूर्ति से संबंधित सभी दावों से बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अन्य देय राशियों तथा उनके कार्य/चूक के लिए ठेकेदार अकेले जिम्मेदार होगा। (बी) ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मचारियों से संबंधित सभी दावों से ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। किसी तैनात कर्मचारी के किसी भी प्रकार के विवाद में पड़ने पर उसका प्रतिवाद करना ठेकेदार की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। ठेकेदार सुनिश्चित करेगा कि इस संबंध में बैंक पर कोई वित्तीय या अन्य देयता न आए और बैंक को क्षतिपूर्ति करता रहेगा।
36.	**विवादों का निपटान एवं मध्यस्थता**
	(i) यदि बैंक और ठेकेदार के बीच अनुबंध या कार्यों के निष्पादन के संबंध में या उससे उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्षों को किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को बातचीत का नोटिस दिए जाने की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर, आपसी चर्चा के माध्यम से सद्भावनापूर्वक इसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करना

	चाहिए। बैंक विवाद के समाधान के उद्देश्य से एक आंतरिक विवाद समाधान समिति (DRC) का गठन कर सकता है। यदि उक्त अवधि में सौहार्दपूर्ण समाधान नहीं होता, तो अनसुलझे विवाद को पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत एकमात्र मध्यस्थ को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 29B में समय-समय पर संशोधित 'त्वरित प्रक्रिया' के अनुसार होगी। मध्यस्थ का अधिनिर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता के दौरान ठेकेदार इस करार के संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन जारी रखेगा, जब तक बैंक उसे इससे मुक्त न करे। यह अनुबंध केवल दिल्ली के न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।
37.	**न्यायालय का क्षेत्राधिकार**
	(ए) पक्षकारों के बीच इस करार से उत्पन्न किसी भी विवाद के निपटारे के लिए दिल्ली/नई दिल्ली के न्यायालयों को अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।
38.	**बैंक की संपत्ति को हुई हानि**
	तैनात किए गए कर्मियों की लापरवाही से बैंक की संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान की वसूली ठेकेदार से की जाएगी, और इसका निर्धारण ठेकेदार को उचित सूचना देने के पश्चात किया जाएगा। इस संबंध में निर्णय सक्षम प्राधिकारी (सीए) द्वारा लिया जाएगा, जो भारतीय रिजर्व बैंक, नई दिल्ली के संपदा विभाग के महाप्रबंधक होंगे। तथापि, ठेकेदार को क्षेत्रीय निदेशक के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा, जिनका इस मामले में निर्णय अंतिम होगा।
39.	**गैर-प्रकटीकरण खंड**
	क. बैंक के परिसर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित ठेकेदार और उसके कर्मचारी इस अनुबंध के संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान बैंक की अवसंरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित ऐसी किसी सूचना, सामग्री या विवरण को, जो उनके कब्जे/ज्ञान में आए, किसी तृतीय पक्ष को प्रकट नहीं करेंगे और उसे सख्त गोपनीयता में रखेंगे। अनुबंध के विवरण को निजी एवं गोपनीय माना जाएगा, सिवाय उस सीमा तक जो दायित्वों के निर्वहन या लागू कानूनों के अनुपालन के लिए आवश्यक हो। बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना ठेकेदार/उसके कर्मचारी कार्यों के विवरण को किसी व्यापारिक/तकनीकी पत्र या अन्यत्र प्रकाशित/प्रकाशित करने की अनुमति/प्रकटीकरण नहीं करेंगे। गोपनीय सूचना के प्रकटीकरण से बैंक को हुई हानि के लिए ठेकेदार क्षतिपूर्ति करेगा। इसका अनुपालन न

	करना अनुबंध का उल्लंघन होगा और बैंक हर्जाने/अनुबंध समाप्ति का दावा तथा विधिक उपचार कर सकता है। ख. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी आवश्यक कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्वों को पूरी तरह से पूरा किया जाए। ग. इस समझौते की समाप्ति या किसी भी कारण से इसके रद्द होने के बाद भी, गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण के संबंध में ठेकेदार के दायित्व बने रहेंगे।
40.	**कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013**
	i. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन करने के लिए ठेकेदार पूरी तरह जिम्मेदार होगा। बैंक परिसर के भीतर अपने ही कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की कोई भी शिकायत होने पर, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित 'आंतरिक शिकायत समिति' के समक्ष दर्ज की जाएगी और समिति उस शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ii. कॉन्ट्रैक्टर के किसी पीड़ित कर्मचारी की ओर से बैंक के किसी कर्मचारी के खिलाफ़ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति संज्ञान लेगी।
	iii. अगर किसी घटना में कॉन्ट्रैक्टर का कर्मचारी शामिल हो, तो उससे जुड़ी किसी भी तरह की आर्थिक भरपाई (जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होने पर बैंक के कर्मचारी को दी जाने वाली कोई आर्थिक राहत) के लिए कॉन्ट्रैक्टर ही ज़िम्मेदार होगा। iv. ठेकेदार यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि उसके कर्मचारी कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित विषयों से अवगत हों। v. ठेकेदार को बैंक परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूरी और अद्यतन सूची उपलब्ध करानी होगी।
41.	**अप्रत्याशित परिस्थितियां (फोर्स मैज्योर)**
	क. इस इस दस्तावेज़ में दी गई किसी भी बात के बावजूद, कोई भी पक्ष अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में होने वाली किसी भी देरी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, अगर ऐसी देरी उनके उचित नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण होती है। इन परिस्थितियों में सरकारों के काम,

	दैवीय घटनाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ, हड़तालें, किसी क्षेत्र में दंगे, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित और अघोषित) शामिल हैं, लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हैं। हालाँकि, देरी का कारण बनने वाली ऐसी किसी भी घटना के होने पर, कॉन्ट्रैक्टर को तुरंत बैंक को लिखित रूप में इसकी सूचना देनी होगी। कॉन्ट्रैक्टर की यह ज़िम्मेदारी है कि वह 'फोर्स मेज्योर' घटना के असर को कम करने के लिए ज़रूरी कदम उठाए। ख. इस प्रकार की घटना के आधार पर, दोनों में से कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के निष्पादन के संबंध में अनुबंध को समाप्त करने का अधिकारी नहीं होगा। ग. घटना समाप्त होने या उसका अस्तित्व समाप्त होने के पश्चात अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों का यथाशीघ्र पुनरारंभ किया जाएगा। यदि अनुबंध के अंतर्गत किसी दायित्व का निष्पादन आपसी सहमति से निर्धारित अवधि से अधिक समय तक बाधित या विलंबित होता है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर अनुबंध को समाप्त कर सकता है।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त सभी निर्देशों/शर्तों को पढ़ और समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरी (नाम/पदनाम एवं मुहर सहित)

खंड V – विभिन्न खंड के अनुलग्नक

अनुलग्नक – I ई-निविदा का प्रपत्र

स्थान:

दिनांक:

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

निविदा आमंत्रण सूचना, संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों, बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम एवं निर्देश तथा निविदा दस्तावेज में निहित अन्य सभी विषय-वस्तुओं को पढ़ने और उनकी जाँच करने तथा नीचे दिए गए ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्य के स्थल का निरीक्षण करने और निविदा को प्रभावित करने वाली उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने के पश्चात, मैं/हम एतद्द्वारा उक्त ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्य को उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर, मूल्य बोली में उल्लिखित दरों पर तथा संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों, करार के अनुच्छेदों, बोलीदाताओं के लिए सामान्य नियम एवं निर्देशों में उल्लिखित लिखित निर्देशों के सभी मामलों में और अन्य सभी दृष्टियों से, जहाँ तक वे लागू हों, ऐसी शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की पेशकश करता/करते हूँ/हैं।

ज्ञापन

एनआईटी संख्या / ई-निविदा संख्या	**संख्या: .....**

कार्य का नाम:	भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य
निविदा का अनुमानित मूल्य	₹99.29 लाख (निन्यानवे लाख उनतीस हजार मात्र)
बयाना राशि (ईएमडी)	₹1,98,589/- (एक लाख अट्ठानवे हजार पाँच सौ नवासी मात्र)।
कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी)	अनुसूचित बैंक से संविदा मूल्य के पाँच प्रतिशत के बराबर राशि की कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी
कार्य पूरा करने के लिए अनुमत समय	निविदा की एनआईटी के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट अनुसार

2. मैं/हम निविदा को निविदा के खंड III (क) में विनिर्दिष्ट वैधता अवधि तक खुला रखने तथा वैधता अवधि के दौरान या पारस्परिक रूप से सहमत किसी अन्य विस्तारित अवधि के दौरान इसकी नियम एवं शर्तों में कोई संशोधन न करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

3. ₹1,98,589/- (एक लाख अट्ठानवे हजार पाँच सौ नवासी मात्र) की राशि, जो एनआईटी/एसओटी में बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में उल्लिखित है, एतद्द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट रूप में जमा की जाती है तथा इसका प्रमाण CPPP पर प्रथम ई-कवर में अपलोड किया गया है। यदि मैं/हम खंड IV(ख) में विनिर्दिष्ट निर्धारित अवधि के भीतर निर्धारित कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत करने में विफल रहता/रहते हूँ/हैं, तो मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके पदासीन उत्तराधिकारी, किसी अन्य अधिकार या विधिक उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त बयाना राशि को पूर्णतः जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अतिरिक्त, यदि मैं/हम खंड III(क) में विनिर्दिष्ट कार्य प्रारंभ करने में विफल रहता/रहते हूँ/हैं, तो मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके पदासीन उत्तराधिकारी, विधि में उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या विधिक उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी को पूर्णतः जब्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। उक्त कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी निविदा दस्तावेज में संदर्भित सभी कार्यों को उसमें निहित नियम एवं शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की गारंटी होगी।

4. इसके अतिरिक्त, मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि उपर्युक्तानुसार बयाना राशि या कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी की जब्ती की स्थिति में, मैं/हम उक्त कार्य की पुनर्निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाऊँगा/दिए

जाएँगे।

5. मैं/हम वचन देता/देते हूँ/हैं तथा पुष्टि करता/करते हूँ/हैं कि पात्र समान कार्य किसी अन्य ठेकेदार के माध्यम से बैक-टू-बैक आधार पर निष्पादित नहीं कराया गया है। इसके अतिरिक्त, यदि ऐसा उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आता है, तो मैं/हम भविष्य में भारतीय रिज़र्व बैंक की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया जाऊँगा/दिए जाएँगे। साथ ही, यदि कार्य प्रारंभ होने की तारीख से पहले ऐसा उल्लंघन भारतीय रिज़र्व बैंक के संज्ञान में आता है, तो बैंक बयाना राशि/कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी की पूरी राशि जब्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

6. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम निविदा दस्तावेजों तथा कार्य से संबंधित अन्य अभिलेखों को गोपनीय दस्तावेज मानूँगा/मानेंगे और उनसे प्राप्त जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को संप्रेषित नहीं करूँगा/करेंगे, जिसे उक्त जानकारी संप्रेषित करने के लिए मैं/हम अधिकृत हूँ/हैं, और न ही ऐसी जानकारी का भारतीय रिज़र्व बैंक की सुरक्षा के प्रतिकूल किसी भी प्रकार से उपयोग करूँगा/करेंगे।

7. यदि यह निविदा स्वीकार कर ली जाती है, तो मैं/हम संविदा की सभी शर्तों एवं प्रावधानों का, जहाँ तक वे लागू हों, पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हूँ/हैं; अन्यथा उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि भारतीय रिज़र्व बैंक को जब्त कर भुगतान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

8. प्रारूप 5A के अनुसार दिए गए हमारे बैंकरों का विवरण।

दिनांक _____ दिन, 20XX

मेसर्स _____ की ओर से

_____

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

नाम

पदनाम

स्थान

दिनांक

(इस निविदा के अनुलग्नक III के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रमाणित वास्तविक प्रति अपलोड की जानी चाहिए।)

गवाहों के हस्ताक्षर और पते

	हस्ताक्षर	पता
(i)		
(ii)		

अनुलग्नक - II – शॉर्टलिस्टिंग/ पात्रता मानदंड फॉर्मेट

फ़ॉर्मेट 1: मूलभूत जानकारी (खंड III(ख) की मद 1 के साथ पढ़ा जाए)

क.	कंपनी/फर्म का नाम	
ख.	फर्म के पंजीकरण का विवरण: क्या यह एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान/भागीदारी फर्म/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड या सहकारी निकाय आदि है।	
ग.	कंपनी के स्वामी/भागीदारों/निदेशकों का नाम और पता	
घ.	कंपनी/फर्म का पंजीकृत पता	
ङ.	वह कार्यालय पता जहाँ से कार्य का संचालन किया जाएगा (सेवा प्रदाता के ई-मेल पते सहित)	
च.	पत्राचार का पता	
छ.	संपर्क व्यक्ति	
ज.	पदनाम	
झ.	मोबाइल नंबर	
ञ.	फैक्स/टेली-फैक्स	
ट.	ई-मेल आईडी	
ठ.	जीएसटी पंजीकरण का विवरण और संख्या	
ड.	लेबर लाइसेंस का विवरण	
ढ.	ईपीएफओ पंजीकरण संख्या	
ण.	ईएसआईसी पंजीकरण संख्या	
त.	यदि कंपनी सहायक कंपनी है, तो बैंक के प्रस्तावित कार्य में मूल कंपनी की, यदि कोई हो, भागीदारी	

थ.	क्या बोलीदाता को कार्य प्रारंभ होने के बाद पात्र कार्यों को लगातार छह महीने से अधिक अवधि के लिए स्थगित करना पड़ा है? यदि हाँ, तो उसके कारण प्रस्तुत करें।	
द.	क्या बोलीदाता अथवा भागीदारी फर्म के मामले में कोई घटक भागीदार, प्रदान किए गए कार्य को पूरा होने से पहले कभी बीच में छोड़ चुका है	
ध.	उनके पूरा होने से पहले? यदि हाँ, तो कार्य का नाम और कार्य बीच में छोड़ने के कारण बताएं।	
न.	क्या बोलीदाता अथवा भागीदारी फर्म के मामले में कोई घटक भागीदार, किसी भी समय किसी संगठन में प्रतिस्पर्धा/निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित / काली सूची में डाला गया है? यदि हाँ, तो विवरण दें।	
न.	क्या बोलीदाता अथवा भागीदारी फर्म के मामले में कोई घटक भागीदार, कभी दोषसिद्ध हुआ है?	
प.	क्या बोलीदाता वर्तमान में निष्पादित की जा रही संविदाओं में बार-बार होने वाले दीवानी वाद/मुकदमेबाजी में संलिप्त है? यदि हाँ, तो कृपया विवरण प्रस्तुत करें।	

क्र. सं.	कार्य का नाम और नियोक्ता	कार्य की प्रकृति	कार्यादेश संख्या और दिनांक	कार्य की वर्तमान स्थिति	संविदा का मूल्य	मुकदमेबाजी का संक्षिप्त

						विवरण
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरी (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

फ़ॉर्मेट 2 पिछला कार्य अनुभव (इसे खंड III(ख) के आइटम 2 के साथ पढ़ा जाए)

बोली लगाने वाले / फ़र्म द्वारा पूरे किए गए महत्वपूर्ण और समान कार्यों की सूची

क्र. सं.	समान कार्य का नाम एवं स्थान	कार्य की प्रकृति / संविदा में शामिल कार्य की मदें	ग्राहक का नाम। यह भी दर्शाएँ कि सरकारी या अर्ध-सरकारी या निजी निकाय है, पूर्ण डाक पते सहित।	कार्य की लागत		समापन की अवधि			विलंब का कारण, यदि कोई हो	क्या कार्य अपूर्ण छोड़ा गया था या किसी भी पक्ष द्वारा संविदा समाप्त की गई थी?	मुकदमे बाज़ी/मध्यस्थता, यदि कोई हो, विवरण सहित।	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।
				संविदा राशि (₹ लाख)	किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य (₹ लाख में)	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	समापन की निर्धारित तिथि	समापन की वास्तविक तिथि				
1.	2.	3.	4.	5 a	5 b	6a	6b	6c	7	8	9	10

सहायक दस्तावेज संलग्न करें।

तिथि: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/ पदनाम और मुहर के साथ)

फ़ॉर्मेट 3 योग्यता पूरी करने वाले काम (इसे खंड III(ख) के आइटम 3 के साथ पढ़ा जाए)

1 अगस्त, 2021 से 31 जुलाई, 2026 की अवधि के दौरान पूरे किए गए इसी तरह के कामों (योग्यता पूरी करने वाले) का विवरण

क्र. सं.	समान कार्य का नाम एवं स्थान	संविदा में शामिल कार्य की प्रकृति (संक्षिप्त विवरण)।	ग्राहक का नाम। यह भी दर्शाएँ कि सरकारी या अर्ध-सरकारी या निजी निकाय है, पूर्ण डाक पते सहित।	संपर्क अधिकारी (निविदाकार के ग्राहक का वह व्यक्ति जिससे आवश्यकता होने पर बैंक द्वारा संपर्क किया जा सके) का नाम, ई-मेल आईडी, टेलीफ़ोन (लैंडलाइन एवं मोबाइल) नं., फ़ैक्स नं.	कार्य की लागत		समापन की अवधि			विलंब का कारण, यदि कोई हो	क्या कार्य अपूर्ण छोड़ा गया था या किसी भी पक्ष द्वारा संविदा समाप्त की गई थी?	मुकदमेबाज़ी/मध्यस्थता, यदि कोई हो, विवरण सहित।	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।
					संविदा राशि (₹ लाख)	किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य (₹ लाख में)	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	समापन की निर्धारित तिथि	समापन की वास्तविक तिथि				
1.	2.	3.	4.	5.	6 a	6b	7a	7b	7c	8	9	10	11

(पात्रता मापदंडों में निर्दिष्ट न्यूनतम मूल्य के बराबर या उससे अधिक लागत वाले कार्य)

तिथि: प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (नाम/ पदनाम और मुहर के साथ)

प्रपत्र 3ए : ठेकेदार के कार्य-निष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण-पत्र

ठेकेदार (ग्राहक के लेटरहेड पर) (खंड III(ख) की मद 3 के साथ पढ़ा जाए)

ग्राहक का नाम और पता :

श्री/मेसर्स द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण :

क्र. सं.	**कार्य का नाम**	
1	कार्य का संक्षिप्त विवरण	
2	करार संख्या और दिनांक	
3	करार राशि	
4	कार्य प्रारंभ करने की तारीख	
5	निर्धारित पूर्णता तिथि	
6	कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तारीख	
7	विलंब के लिए लगाए गए क्षतिपूर्ति का विवरण (यदि कोई हो तो राशि दर्शाएँ)	
8	पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि	
9	उस प्राधिकरण का नाम और पता जिसके अधीन कार्य निष्पादित किए गए	
10	क्या ठेकेदार ने कार्य निष्पादन के दौरान योग्य पर्यवेक्षक/ओवरसीयर नियुक्त किया था?	
11	i) कार्य की गुणवत्ता (ग्रेडिंग दर्शाएँ)	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो।	
12	i) क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया था?	
	ii) यदि हाँ, तो दावे की कुल राशि	

	iii) प्रदान की गई कुल राशि	
13	ठेकेदार की क्षमताओं के संबंध में टिप्पणियाँ।	
	ए) तकनीकी दक्षता	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	बी) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	सी) पर्याप्त T&P की तैनाती	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	डी) जनशक्ति की तैनाती	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	ई) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब
	एफ) बिक्री-पश्चात सेवा	उत्कृष्ट / बहुत अच्छा / अच्छा / संतोषजनक / खराब

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरी (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

प्रपत्र 4 : वित्तीय स्थिति (खंड III(ख) की मद 4 के साथ पढ़ा जाए)

क्र. सं.	विवरण	**वित्तीय वर्ष**		
		1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक 2022, to March 31, 2023 **₹ लाख में**	1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक 2023, to March 31, 2024 **₹ लाख में**	1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक 2024, to March 31, 2025 **₹ लाख में**
1	वार्षिक वित्तीय टर्नओवर, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित।			
2	वर्ष के लिए आयकर रिटर्न			

<u>टिप्पणी:</u>

विवरण के समर्थन में निविदाकर्ता के व्यवसाय के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण/लेखों की प्रतियाँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित, तथा वर्ष 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के आयकर रिटर्न संलग्न किए जाने चाहिए।

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरी (नाम/पदनाम और मुहर सहित):

प्रपत्र 5 : अनुसूचित बैंक से बैंकर के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र
(बैंकर के लेटरहेड पर) (खंड III(ख) की मद 5 के साथ पढ़ा जाए)

सेवा में, दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, मेसर्स..... जिसका ऊपर उल्लिखित पता है और जो हमारे बैंक का ग्राहक है, प्रतिष्ठित है तथा ₹..... (रुपये ₹ .....) तक की किसी भी संलग्नता/कार्य के लिए सक्षम माना जा सकता है।

यह प्रमाण-पत्र बैंक या उसके किसी अधिकारी पर किसी प्रकार की गारंटी या दायित्व के बिना जारी किया जाता है।

बैंक की ओर से नाम, पदनाम और मुहर सहित

टिप्पणी:

1 बैंक का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए, तथा इसे क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, संपदा विभाग, 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 को संबोधित किया जाना चाहिए।

2 साझेदारी फर्म के मामले में, प्रमाण पत्र में बैंक के पास दर्ज सभी साझेदारों के नाम होने चाहिए।

प्रपत्र 5ए : बोलीदाता के बैंकर का विवरण (खंड III(ख) की मद 5 के साथ पढ़ा जाए)

1	बैंकर का नाम और पूरा पता	
2	संपर्क अधिकारियों के नाम, ई-मेल आईडी, संपर्क नंबर (लैंडलाइन और मोबाइल), फैक्स नंबर आदि	
3	खाते का प्रकार और खाता संख्या	
4	वह अवधि, जब से सेवा प्रदाता बैंकर के साथ बैंकिंग संबंध में है	
5	बैंकर के संबंध में सेवा प्रदाता द्वारा दी जाने वाली कोई अन्य जानकारी	
6	शाखा का IFSC कोड	

दिनांक: प्राधिकृत हस्ताक्षरी (नाम/पदनाम और मुहर सहित)

अनुलग्नक III - प्राधिकृत हस्ताक्षरी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्मेट

(₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक

संपदा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली

महोदय/महोदया,

..... (कार्य का नाम)

हम..... (बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) एतद्द्वारा श्री/सुश्री .... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और आवासीय पता), जो वर्तमान में हमारे यहाँ कार्यरत हैं और जिनका पद ..... है, को अपना अटॉर्नी नियुक्त, नामित और अधिकृत करते हैं कि वे हमारे नाम और हमारी ओर से उक्त परियोजना के लिए हमारी बोली के संबंध में या उससे संबद्ध सभी आवश्यक कार्य, विलेख और कृत्य करें, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और उन्हें प्रस्तुत करना, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) को जानकारी/उत्तर उपलब्ध कराना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व करना तथा उक्त परियोजना के संबंध में सभी मामलों में सामान्य रूप से आरबीआई के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम एतद्द्वारा इस पावर ऑफ अटॉर्नी के अनुसरण में हमारे उक्त अटॉर्नी द्वारा विधिपूर्वक किए गए सभी कार्यों, विलेखों और कृत्यों की पुष्टि करने के लिए सहमत हैं और यह स्वीकार करते हैं कि हमारे उपर्युक्त अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कार्य, विलेख और कृत्य हमारे द्वारा किए गए माने जाएंगे और सदैव माने जाते रहेंगे।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

बोलीदाता की मुहर/सील

टिप्पणी:

पावर ऑफ अटॉर्नी विधिवत स्टाम्पित और नोटरीकृत होनी चाहिए।

बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगी।

अनुलग्नक IV : बोलीदाता के लेटरहेड पर वचनपत्र

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग

नई दिल्ली

बोलीदाता का नाम _____

निविदा का नाम _____ देय तिथि: _____

महोदय,

1. मैं/हम निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस बोली पर हस्ताक्षर करने से पहले मैंने/हमने उसमें निहित सभी नियमों, शर्तों और निर्देशों आदि को पढ़ और पूर्णतः समझ लिया है तथा उनका पालन करने का वचन देता/देते हूँ/हैं।

3. मैं/हम मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएँ संहिता, 2020, नियोक्ता दायित्व अधिनियम, 1938, बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 तथा रिलीविंग चार्ज, वर्दी और उसके भत्ते तथा समय-समय पर लागू होने वाले किसी अन्य प्रभार के प्रावधानों का पालन करता/करते हूँ/हैं।

4. मैं/हम समय-समय पर सरकार द्वारा संशोधित मजदूरी संहिता, 2019 के अनुसार तैनात कार्मिकों को मजदूरी का भुगतान करूँगा/करेंगे और किसी भी उल्लंघन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे।

5. मैं/हम एतद्द्वारा वचन देता/देते हूँ/हैं कि "भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी, हौज़ खास, नई दिल्ली में विद्यमान पुरानी चारदीवारी को ध्वस्त करना और नई चारदीवारी का पुनर्निर्माण" का संपूर्ण कार्य तथा हमारी एजेंसी द्वारा विचार किए गए अन्य सभी बिंदु भी पूर्ण किए जाएँगे।

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

बोलीदाता का नाम और पता।

दूरभाष संख्या

1._____ 1._____

2._____ 2._____

अनुलग्नक V : सार्वजनिक संस्थान(संस्थानों) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की घोषणा के संबंध में वचनपत्र

(खंड III(क) के खंड 7 के साथ पढ़ा जाए)

(बोलीदाता द्वारा अपने लेटरहेड पर प्रस्तुत किया जाना है)

कार्य का नाम: "भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य"

महोदय,

1. मैं/हम.....(बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि

क. मैं/हम अथवा हमारी कोई संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा दिनांक.....(बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक प्रतिबंधित / निलंबित / काली सूची में नहीं डाली गई है/गई हैं।

ख. मैं/हम अथवा हमारी कोई संबद्ध फर्म* पिछले तीन वर्षों में, दिनांक.....(बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) तक, भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्था/इकाई के साथ निविदा में उल्लिखित सत्यनिष्ठा संहिता के संबंध में किसी उल्लंघन में संलिप्त नहीं हुई है/हुए हैं।

ग. मैं/हम अथवा हमारी कोई संबद्ध फर्म* सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया) आदेश, 2017 के उल्लंघन के कारण दिनांक..... तक (बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि) किसी क्रय इकाई द्वारा प्रतिबंधित नहीं की गई है/गई हैं।

घ. यदि कार्य प्रदान किए जाने से पहले मैं/हम अथवा हमारी कोई संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी सार्वजनिक संस्था/इकाई द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाली जाती है/जाते हैं, तो हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।

2. मैं/हम .....(बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि मैं/हम अथवा हमारी संबद्ध फर्म* .....(संबद्ध फर्म(ों) का नाम) अथवा हमारे भागीदार/निदेशक ..... (भागीदार/निदेशक का नाम) को .....(भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्था का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/काली सूची में डाला गया है और यह प्रतिबंध .....(तिथि) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और अभिलेख के लिए ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोलीदाता की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक

स्थान

(टिप्पणी: उपर्युक्त दो घोषणाओं में से जो लागू न हो, उसे काट दें।) *संबद्ध फर्म: किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" तब माना जाएगा जब उसका प्रबंधन समान हो, अथवा प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के पास उसके पर्याप्त या बहुमत शेयर स्वामित्व में हों और इसके परिणामस्वरूप उसका नियंत्रणकारी प्रभाव हो। इसके अतिरिक्त, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्म माना जाएगा।

अनुलग्नक VI : बोलीदाता द्वारा विधिक कार्रवाई/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता के संबंध में वचनपत्र का प्रपत्र [बोलीदाता के लेटरहेड पर]

सेवा में दिनांक:

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
संपदा विभाग
6, संसद मार्ग
नई दिल्ली - 110001

संदर्भ: भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य

महोदय,

1. मैं/हम.....(बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि किसी भी विधिक क्षेत्राधिकार में किसी भी कारण से हमारे विरुद्ध कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई है/की जा रही है।

1. मैं/हम ..... (बोलीदाता का नाम) घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि हमारे विरुद्ध निम्नलिखित विधिक कार्रवाई की गई है/की जा रही है:

..... (विधिक कार्रवाई का विवरण, विचाराधीन परियोजना, संबंधित विधिक प्राधिकरण आदि)

.....

तथापि, हम पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त विधिक कार्रवाई से एम्पैनलमेंट के लिए आवेदन के अनुसार बैंक की आवश्यकताओं को पूरा करने की हमारी क्षमता प्रभावित नहीं होती है।

(टिप्पणी: उपर्युक्त दो घोषणाओं में से जो लागू न हो, उसे काट दें।)

2. *इसके अतिरिक्त, हम ..... यह भी घोषणा करते हैं कि हमारी निष्पादित किसी भी परियोजना में दीवानी वाद/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता आदि का कोई मामला शुरू नहीं किया गया है।*

2. इसके अतिरिक्त, हम ..... यह भी घोषणा करते हैं कि हमारी निष्पादित परियोजनाओं में निम्नलिखित दीवानी वाद/मुकदमेबाजी/मध्यस्थता के मामले शुरू किए गए थे/किए जा रहे हैं:

..... (परियोजना का विवरण और कार्रवाई का प्रकार आदि) .....

.....

(टिप्पणी: उपर्युक्त दो घोषणाओं में से जो लागू न हो, उसे काट दें।)

बोलीदाता के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और नाम

रबर स्टाम्प सहित

दिनांक:

स्थान:

अनुलग्नक VII : बयाना राशि के बदले बैंक गारंटी का प्रपत्र

स्थान: .....

दिनांक: .....

क्षेत्रीय निदेशक

संपदा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली

महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य

<u>बयाना राशि के लिए बैंक गारंटी</u>

संदर्भ: एनआईटी/विज्ञापन संख्या दिनांक

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है, अपने 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय के माध्यम से (जिसे आगे "आरबीआई" कहा गया है) ने उक्त कार्य के लिए निविदाएँ आमंत्रित की हैं (जिसे आगे "उक्त निविदा" कहा गया है), जो उक्त निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन हैं। निविदा आमंत्रण की शर्तों में से एक यह है कि बोलीदाता ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) की राशि की बैंक गारंटी बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में प्रस्तुत करेगा।

मेसर्स. (बोलीदाता का नाम) _____, (जिसे आगे "बोलीदाता" कहा गया है), जो हमारे ग्राहक हैं, उक्त कार्य के लिए अपनी निविदा/बोली प्रस्तुत करना चाहते हैं और उन्होंने ईएमडी के रूप में उक्त ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) राशि के संबंध में आरबीआई को बैंक गारंटी प्रदान करने का अनुरोध

किया है।

<u>अब यह गारंटी इस बात की साक्षी है</u>

1. हम (बैंक का नाम) एतद्द्वारा आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितों के साथ सहमत होते हैं तथा उन्हें वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि बोलीदाता ने उक्त निविदा की शर्तों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है या उनका उल्लंघन किया है, और यह निष्कर्ष हमारे तथा उक्त बोलीदाता दोनों पर बाध्यकारी होगा, तो आरबीआई की मांग पर हम बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) या आरबीआई द्वारा मांगी जाने वाली इससे कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त शर्तों के अंतर्गत बोलीदाता के दायित्वों के समुचित पालन के लिए बयाना राशि के समकक्ष माना जाएगा; तथापि, ऐसी राशि के संबंध में हमारा दायित्व ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक नहीं होगा।

2. हम यह भी सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्तानुसार ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक न होने वाली राशि हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई की मांग पर, इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त होने पर कि उक्त राशि उन्हें देय है, भुगतान की जाएगी और हम किसी अन्य प्रमाण या साक्ष्य की मांग नहीं करेंगे। आरबीआई की सूचना हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगी तथा हम किसी भी प्रकार या रीति से उस पर प्रश्न नहीं उठाएँगे। हम आरबीआई द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान उक्त सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और बोलीदाता के बीच हुए करार/करारों या अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगा।

यह गारंटी आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा निरस्त नहीं की जाएगी। हम आगे निम्नलिखित पर सहमत होते हैं –

ए) उक्त करार की शर्तों को लागू कराने अथवा उक्त निविदा और/या इस गारंटी में निर्धारित किसी नियम एवं शर्त के अनुपालन में आरबीआई की ओर से किसी प्रकार की सहनशीलता या चूक, अथवा बोलीदाता को आरबीआई द्वारा किसी अवधि का विस्तार देना या कोई रियायत प्रदान करना, अथवा इससे संबंधित कोई अन्य विषय, किसी भी प्रकार से हमें या इस गारंटी के अंतर्गत हमारे दायित्व को मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल बोलीदाताओं द्वारा अपने दायित्वों के पालन से और उनके ऐसा न करने की स्थिति में हमारे द्वारा ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक न होने वाली राशि के भुगतान से समाप्त होगी।

बी) इन प्रावधानों के अंतर्गत हमारा दायित्व ₹ _____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक नहीं होगा।

सी) इस करार के अंतर्गत हमारा दायित्व उक्त कार्य के लिए निविदा प्रस्तुत करते समय हमारे उक्त ग्राहकों की किसी त्रुटि या अनियमितता, उनके अधीन दायित्वों, अथवा हमारे उक्त ग्राहकों/संघटकों के विघटन या उनके गठन में किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

डी) यह गारंटी _____ तक (निविदा प्राप्त करने की अंतिम तारीख से छह महीने) प्रभावी रहेगी; बशर्ते कि यदि आरबीआई ऐसा चाहे, तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताए गए अतिरिक्त अवधि के लिए, इसमें निहित उन्हीं नियमों और शर्तों पर नवीकृत किया जाएगा।

ई) इन प्रावधानों के अंतर्गत हमारा दायित्व तब समाप्त हो जाएगा जब इसे ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार नवीकृत न किया गया हो, या जिस दिन हमारे उक्त ग्राहक/संघटक अपने दायित्वों का पालन कर दें, जिसके संबंध में आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा—इनमें से जो तारीख बाद में हो। जब तक कि हमारे विरुद्ध उक्त अवधि के भीतर या किसी विस्तारित अवधि में कोई दावा, वाद या कार्रवाई दायर न की जाए, इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार जब्त हो जाएँगे और हम इसके अंतर्गत अपने सभी दायित्वों और देयताओं से मुक्त एवं उन्मोचित हो जाएँगे।

भवदीय,

बैंक की ओर से और उसके लिए।

प्राधिकृत अधिकारी (मुहर सहित)

(टिप्पणी: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क देय होगा जहाँ इसे निष्पादित किया जाता है तथा इस पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार का सत्यापन किया जाएगा।)

अनुलग्नक -VIII: कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी का प्रपत्र

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जो जारीकर्ता बैंक के नाम से क्रय किया गया हो)

स्थान: _____

तिथि: _____

क्षेत्रीय निदेशक

संपदा विभाग

भारतीय रिज़र्व बैंक

नई दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य

जबकि

भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई में स्थित है, अपने 6, संसद मार्ग, नई दिल्ली स्थित कार्यालय के माध्यम से (जिसे आगे "आरबीआई" कहा गया है) ने शीर्षक में उल्लिखित कार्य की संविदा (जिसे आगे "संविदा" कहा गया है) मेसर्स _____ (ठेकेदार का नाम) (जिसे आगे "उक्त ठेकेदार" कहा गया है, जिसमें उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे) को प्रदान की है।

और जबकि ठेकेदार उक्त संविदा के अंतर्गत संविदा में निहित नियमों और शर्तों के विधिवत् पालन हेतु आरबीआई को कुल ₹_____ (रुपये _____ मात्र) (अंकों और शब्दों में राशि) की कार्यनिष्पादन गारंटी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है।

हम, _____ (बैंक का नाम), (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है), मेसर्स _____, ठेकेदार, के अनुरोध पर एतद्द्वारा आरबीआई को संविदा के नियमों और शर्तों के विधिवत् पालन हेतु कार्यनिष्पादन गारंटी के रूप में ₹_____ से अधिक की राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।

अब यह गारंटी निम्नलिखित की साक्षी है

1. हम _____ (बैंक का नाम) एतद्द्वारा आरबीआई, उसके उत्तराधिकारियों और समनुदेशितियों के साथ सहमत होते हैं तथा उन्हें वचन देते हैं कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि ठेकेदार ने

उक्त संविदा की शर्तों के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन नहीं किया है अथवा उनका उल्लंघन किया है, और ऐसा निष्कर्ष हमारे तथा उक्त ठेकेदार दोनों पर बाध्यकारी होगा, तो आरबीआई की मांग पर हम बिना किसी आपत्ति के आरबीआई को ₹_____ (रुपये _____ मात्र) या आरबीआई द्वारा मांगी जाने वाली इससे कम राशि का भुगतान करेंगे। हमारी गारंटी को उक्त संविदा के अंतर्गत ठेकेदार के दायित्वों के समुचित पालन के लिए कार्यनिष्पादन गारंटी राशि के समकक्ष माना जाएगा; तथापि, ऐसी राशि के संबंध में हमारा दायित्व ₹_____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक नहीं होगा।

2. हम यह भी सहमत होते हैं और पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्तानुसार ₹_____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक न होने वाली राशि हमारे द्वारा बिना किसी आपत्ति या विरोध के, केवल आरबीआई की मांग पर, इस आशय की लिखित सूचना प्राप्त होने पर कि उक्त राशि उन्हें देय है, भुगतान की जाएगी और हम किसी अन्य प्रमाण या साक्ष्य की मांग नहीं करेंगे। आरबीआई की सूचना हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगी तथा हम किसी भी प्रकार या रीति से उस पर प्रश्न नहीं उठाएँगे। ठेकेदार द्वारा इस संबंध में किसी न्यायालय, अधिकरण या मध्यस्थ/मध्यस्थों के समक्ष लंबित किसी वाद या कार्यवाही में कोई विवाद उठाए जाने के बावजूद बैंक आरबीआई को मांगी गई कोई भी राशि का भुगतान करेगा और इस गारंटी के अंतर्गत दायित्व पूर्ण और निर्विवाद होगा। हम आरबीआई द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान उक्त सूचना प्राप्त होने की तारीख से एक सप्ताह की अवधि के भीतर करने का वचन देते हैं।

3. हम पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए करार/करारों या अन्य समझौतों से स्वतंत्र होगा।

4. यह गारंटी आरबीआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना हमारे द्वारा निरस्त नहीं की जाएगी।

हम आगे निम्नलिखित पर सहमत होते हैं –

क. उक्त करार की शर्तों को लागू कराने अथवा उक्त संविदा और/या इस गारंटी में निर्धारित किसी नियम एवं शर्त के अनुपालन में आरबीआई की ओर से किसी प्रकार की सहनशीलता या चूक, अथवा ठेकेदार को आरबीआई द्वारा किसी अवधि का विस्तार देना या कोई रियायत प्रदान करना, अथवा इससे संबंधित कोई अन्य विषय, किसी भी प्रकार से हमें या इस गारंटी के अंतर्गत हमारे दायित्व को मुक्त नहीं करेगा। यह गारंटी केवल ठेकेदार द्वारा अपने दायित्वों के पालन से और उसके ऐसा न करने की स्थिति में हमारे द्वारा ₹_____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक न होने वाली राशि के भुगतान से समाप्त होगी।

ख. इन प्रावधानों के अंतर्गत हमारा दायित्व ₹_____ (रुपये _____ मात्र) से अधिक नहीं होगा।

ग. इस करार के अंतर्गत हमारा दायित्व हमारे उक्त ग्राहकों/संघटकों की किसी त्रुटि या

अनियमितता अथवा उनके अधीन दायित्वों, या हमारे उक्त ग्राहकों/संघटकों के विघटन अथवा उनके गठन में किसी परिवर्तन से प्रभावित नहीं होगा।

घ. यह गारंटी _____ तक (संविदा की समाप्ति से 60 दिन आगे) प्रभावी रहेगी; बशर्ते कि यदि आरबीआई ऐसा चाहे, तो इस गारंटी को उनके द्वारा बताए गए अतिरिक्त अवधि के लिए, इसमें निहित उन्हीं नियमों और शर्तों पर नवीकृत किया जाएगा।

ङ. इन प्रावधानों के अंतर्गत हमारा दायित्व तब समाप्त हो जाएगा जब इसे ऊपर दिए गए प्रावधान के अनुसार नवीकृत न किया गया हो, या जिस दिन हमारे उक्त ग्राहक/संघटक अपने दायित्वों का पालन कर दें, जिसके संबंध में आरबीआई द्वारा लिखित प्रमाण-पत्र ही निर्णायक प्रमाण होगा—इनमें से जो तारीख बाद में हो। जब तक कि बैंक गारंटी की समाप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर या किसी विस्तारित अवधि में हमारे विरुद्ध कोई दावा, वाद या कार्रवाई दायर न की जाए, इस गारंटी के अंतर्गत आरबीआई के हमारे विरुद्ध सभी अधिकार जब्त हो जाएँगे और हम इसके अंतर्गत अपने सभी दायित्वों और देयताओं से मुक्त एवं उन्मोचित हो जाएँगे।

इस बात के साक्ष्य के रूप में, बैंक की ओर से विधिवत अधिकृत होकर, मैंने/हमने इस गारंटी पर (महीना) (वर्ष) के -- ------ -- दिन को हस्ताक्षर किए और मुहर लगाई।

बैंक की ओर से और उसके लिए _____ (बैंक का नाम)
प्राधिकृत बैंक अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम:
पदनाम
बैंक की मुहर/सील
उपर्युक्त नामित व्यक्ति द्वारा बैंक की ओर से और उसके लिए निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षरित, मुहरबंद और सुपुर्द:

गवाह 1
हस्ताक्षर ..... नाम
.....
पता .....

(टिप्पणी: इस गारंटी पर उस राज्य में लागू स्टाम्प शुल्क देय होगा जहाँ इसे निष्पादित किया जाता है तथा

इस पर ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकार का सत्यापन किया जाएगा।)

अनुलग्नक IX - करार की शर्तें

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

एक पक्ष के रूप में नई दिल्ली स्थित भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसका केंद्रीय कार्यालय शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400001 में है (जिसे आगे "बैंक" कहा गया है), और दूसरी ओर _____ (जिसे आगे "ठेकेदार" कहा गया है), के बीच करार की शर्तें _____ दिन _____ को निष्पादित की गईं

जबकि बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य कराना चाहता है तथा उसने किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करने वाले ड्रॉइंग और विनिर्देश तैयार करवाए हैं।

और जहाँकि उक्त ड्रॉइंग, विनिर्देश तथा मात्राओं की अनुसूची पर यहाँ उल्लिखित पक्षकारों द्वारा अथवा उनकी ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं।

और जहाँकि ठेकेदार ने यहाँ निर्धारित शर्तों तथा विशेष शर्तों, मात्राओं की अनुसूची एवं संविदा की शर्तों और निविदा के खंडों में निर्धारित शर्तों (जिन्हें सामूहिक रूप से आगे "उक्त शर्तें" कहा गया है) के अधीन उक्त ड्रॉइंग में दर्शाए गए और/या उक्त विनिर्देश में वर्णित तथा मात्राओं की अनुसूची में शामिल कार्यों को उसमें निर्धारित संबंधित दरों पर निष्पादित करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसकी राशि उसमें निर्धारित अनुसार अथवा उसके अधीन देय होने वाली किसी अन्य राशि के बराबर होगी (जिसे आगे "उक्त संविदा राशि" कहा गया है)।

अब एतद्द्वारा निम्नलिखित रूप में सहमति होती है:

1. उक्त संविदा राशि को उक्त शर्तों में निर्धारित समय और रीति से भुगतान किए जाने के प्रतिफलस्वरूप, ठेकेदार उक्त शर्तों के अधीन और उनके अनुसार उक्त ड्रॉइंग में दर्शाए गए तथा उक्त विनिर्देशों और मात्राओं की अनुसूची में वर्णित कार्य को निष्पादित और पूर्ण करेगा।
2. बैंक ठेकेदार को उक्त संविदा राशि अथवा ऐसी अन्य राशि, जो देय हो जाए, का भुगतान उक्त शर्तों में विनिर्दिष्ट समय और रीति से करेगा।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली, कार्यों का प्रशासन करेगा तथा उनके पर्यवेक्षण, बिलों के प्रमाणीकरण, भुगतान करने और संविदा की विभिन्न शर्तों, नियमों एवं प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रत्यक्ष व्यवस्था करेगा।
4. उक्त शर्तों और विभिन्न अनुसूचियों को इस करार का भाग मानकर पढ़ा और समझा जाएगा तथा यहाँ उल्लिखित पक्षकार क्रमशः उक्त शर्तों का पालन करेंगे, स्वयं को उनके अधीन रखेंगे और उनमें अपने-अपने पक्ष में निहित करारों को पूरा करेंगे।
5. इस करार और इसमें उल्लिखित दस्तावेज इस संविदा का आधार होंगे।

6. यह संविदा न तो कोई निश्चित एकमुश्त संविदा है और न ही पीस-वर्क संविदा, बल्कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी, हौज़ खास, नई दिल्ली में विद्यमान पुरानी चारदीवारी को ध्वस्त करने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य करने की संविदा है, जिसका भुगतान वास्तविक मापी गई मात्राओं के अनुसार, दरों की अनुसूची और संभावित मात्राओं में निहित दर पर अथवा उक्त शर्तों में दिए गए अनुसार किया जाएगा।
7. भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी, हौज़ खास, नई दिल्ली में विद्यमान पुरानी चारदीवारी को ध्वस्त करने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण के कार्य के लिए तथा अन्य संबद्ध कार्यों के निष्पादन हेतु ठेकेदार उक्त शर्तों में निर्धारित तरीके से सभी युक्तिसंगत सुविधाएँ उपलब्ध कराएगा और ऐसे कार्यों के पूरा होने के बाद दीवारों, फर्श आदि को हुई किसी क्षति की मरम्मत/भरपाई करेगा।
8. बैंक अपने लिए ड्रॉइंग और कार्य की प्रकृति में परिवर्तन करने, किसी कार्य मद को जोड़ने या हटाने अथवा उसके किसी भाग को बिना इस संविदा पर प्रतिकूल प्रभाव डाले निष्पादित कराने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
9. समय इस संविदा का सारभूत तत्व माना जाएगा और ठेकेदार साइट उसे सौंपे जाने के तुरंत बाद अथवा उक्त शर्तों में निर्धारित प्रारंभ तिथि से, इनमें से जो बाद में हो, कार्य प्रारंभ करने तथा समय-विस्तार संबंधी प्रावधानों के अधीन रहते हुए संपूर्ण कार्य 150 दिनों के भीतर पूरा करने के लिए सहमत है।
10. इस संविदा के अंतर्गत बैंक द्वारा किए जाने वाले सभी भुगतान केवल नई दिल्ली में किए जाएँगे।
11. इस करार से उत्पन्न होने वाले या किसी भी प्रकार इससे जुड़े सभी विवाद नई दिल्ली में उत्पन्न हुए माने जाएँगे और केवल नई दिल्ली के न्यायालयों को उनका निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार होगा।
12. इस संविदा के विभिन्न भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़कर पूर्णतः समझ लिया गया है। ठेकेदार निविदा में दी गई मात्राओं से अधिक मात्राओं के भुगतान का हकदार नहीं होगा, जब तक कि बैंक के प्रभारी अभियंता द्वारा इसके लिए विशिष्ट लिखित निर्देश न दिए गए हों।
13. अप्रकटीकरण खंड

    ठेकेदार और उसके द्वारा बैंक के परिसर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित कर्मचारी, इस संविदा के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आने वाली बैंक की अवसंरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि से संबंधित किसी भी सूचना, सामग्री और विवरण को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नहीं करेंगे और हर समय उसे अत्यंत गोपनीय रखेंगे। ठेकेदार संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा,

सिवाय उस सीमा तक जो इसके अंतर्गत दायित्वों के निर्वहन या लागू कानूनों के अनुपालन के लिए आवश्यक हो। बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना ठेकेदार या उसके कर्मचारी कार्यों का कोई विवरण किसी व्यापारिक या तकनीकी पत्र-पत्रिका अथवा अन्यत्र प्रकाशित नहीं करेंगे, न ही प्रकाशित करने की अनुमति देंगे और न ही प्रकट करेंगे। ठेकेदार द्वारा या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुई किसी हानि के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपर्युक्त का पालन न किया जाना ठेकेदार की ओर से संविदा का उल्लंघन माना जाएगा और बैंक हर्जाना/संविदा की समाप्ति का दावा करने तथा विधिक उपचार अपनाने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कार्रवाई करेगा ताकि इस करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी के अप्रकटीकरण संबंधी दायित्वों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित हो।

14. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उपयुक्त कार्रवाई करेगा ताकि इस करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी के अप्रकटीकरण संबंधी दायित्वों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित हो।

15. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

क. ठेकेदार "कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होगा। बैंक के परिसर में उसके अपने कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत होने पर, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, जो उक्त अधिनियम के अनुसार शिकायत के संबंध में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।

ख. ठेकेदार के किसी पीड़ित कर्मचारी द्वारा बैंक के किसी कर्मचारी के विरुद्ध लैंगिक उत्पीड़न की कोई शिकायत बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में ली जाएगी।

ग. ऐसी घटना में, जिसमें ठेकेदार का कर्मचारी शामिल हो, देय किसी भी मौद्रिक क्षतिपूर्ति के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा; उदाहरणार्थ, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा बैंक के कर्मचारी के साथ लैंगिक हिंसा सिद्ध होती है, तो बैंक के कर्मचारी को देय कोई मौद्रिक राहत।

घ. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित विषयों के बारे में जागरूक करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ङ. ठेकेदार बैंक के परिसर में तैनात अपने कर्मचारियों की पूर्ण और अद्यतन सूची उपलब्ध कराएगा।

16. अप्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व, किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या निरस्तीकरण के बाद भी प्रभावी रहेंगे।

17. **अप्रत्याशित घटना की स्थितियाँ**: इस दस्तावेज़ में किसी अन्य बात के निहित होने के बावजूद, कोई भी पक्ष इस करार के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन में होने वाले ऐसे विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसा विलंब उसके युक्तिसंगत नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण हुआ हो, जिसमें सरकार के कार्यों, दैवीय कृत्यों, प्राकृतिक आपदाओं, हड़तालों, किसी भी क्षेत्र में दंगों, आतंकवादी हमले, युद्ध (घोषित या अघोषित) के कारण होने वाला कोई भी विलंब शामिल है, किंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है। तथापि, ऐसे विलंब उत्पन्न करने वाली किसी घटना के घटित होने पर ठेकेदार बैंक को उसकी तत्काल लिखित सूचना देगा। ठेकेदार पर अप्रत्याशित घटना के प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का दायित्व होगा। ऐसी घटना के कारण कोई भी पक्ष अपने दायित्वों के ऐसे निष्पादन के संबंध में संविदा समाप्त करने का हकदार नहीं होगा। संविदा के अंतर्गत दायित्वों का निर्वहन घटना समाप्त होने या अस्तित्व में न रहने के बाद यथाशीघ्र पुनः शुरू किया जाएगा। यदि संविदा के अंतर्गत किसी दायित्व का निष्पादन ऐसी घटना के कारण पारस्परिक रूप से सहमत अवधि से अधिक समय तक बाधित या विलंबित रहता है, तो कोई भी पक्ष अपने विकल्प पर संविदा समाप्त कर सकता है।

इस संविदा के विभिन्न भागों को ठेकेदार द्वारा पढ़कर पूर्णतः समझ लिया गया है।

यदि ठेकेदार भागीदारी फर्म या व्यक्तिगत स्वामित्व प्रतिष्ठान है	इसके साक्ष्यस्वरूप, बैंक और ठेकेदार ने नीचे लिखित दिन और वर्ष को इन दस्तावेजों तथा इनकी दो प्रतियों पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।
यदि ठेकेदार एक कंपनी है	इसके साक्ष्यस्वरूप, बैंक ने इन दस्तावेजों पर अपने विधिवत् अधिकृत अधिकारी के माध्यम से हस्ताक्षर किए हैं और ठेकेदार ने यहाँ अपनी सामान्य मुहर लगवाई है और उक्त दो प्रतियों को उसकी ओर से निष्पादित करवाया है, उक्त दिन और वर्ष को।

भारतीय रिज़र्व बैंक, नई दिल्ली द्वारा हस्ताक्षरित और सुपुर्द

_____

(नाम और पदनाम) की

उपस्थिति में –

साक्षीगण –

1. _____ पता:

_____

_____

2. _____ पता:

_____

_____

यदि पक्षकार भागीदारी फर्म

या व्यक्तिगत स्वामित्व प्रतिष्ठान हो हस्ताक्षरित और सुपुर्द किया गया द्वारा

की उपस्थिति में –

साक्षीगण –

1. _____ पता:
_____
_____

2. _____ पता:
_____
__
_____

–

_____ की सामान्य मुहर

_____

यदि ठेकेदार एक

कंपनी है।

निदेशक मंडल की दिनांक _____ को आयोजित बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसरण में यहाँ विधिवत् लगाई गई थी।

_____

की उपस्थिति में – साक्षी:

1.....

2.....

यदि ठेकेदार सामान्य मुहर के तहत हस्ताक्षर करता है तो वो समान होना चाहिए _____ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन	निदेशक जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं की उपस्थिति में **1.** **2.**
यदि ठेकेदार पावर ऑफ एटोरनी के माध्यम से हस्ताक्षर करता है, चाहे वो कंपनी हो या व्यक्ति	के द्वारा हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द के द्वारा ठेकेदार श्री _____ और विधिवत गठित अटार्नी
स्थान:	**ठेकेदार का हस्ताक्षर**
तिथि:	**(मुहर)**

उपर्युक्त में संदर्भित परिशिष्ट

यहाँ पूर्वोक्त शर्तों के खंडों तथा ठेकेदार के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तों के संदर्भ में विवरण।

पैरा सं.	संदर्भ	विवरण
21	दोष दायित्व अवधि	बारह महीने
17	अंतिम मापन की अवधि	आभासी पूर्णता की तारीख से एक महीना।
25	पूर्णता की तारीख	कार्य को पूरा करने के लिए अनुमत समय साइट सौंपे जाने के 14वें दिन से **180 दिन** है।
26	परिनिर्धारित हर्जाने (LD) की दर	पूरे कार्य के लिए संविदा राशि के अधिकतम 10% की सीमा के अधीन ₹3,546/- प्रति दिन की दर से LD। निविदाकर्ता कार्य प्रारंभ करने से पहले एक विस्तृत कार्य-कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे बैंक के अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
27	अंतरिम प्रमाण-पत्रों के लिए कार्यों का मूल्य	₹35 लाख (₹35 लाख से अधिक का कार्य निष्पादित करने के बाद, बैंक के साइट अभियंता के आकलन के अनुसार)
27	प्रतिधारण प्रतिशत	प्रत्येक बिल से 5%
27	आभासी पूर्णता के बाद किस्त	ठेकेदार द्वारा संविदात्मक दायित्वों के विधिवत् पालन के लिए कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी संविदा की पूरी अवधि के लिए (DLP की अवधि तक वैधता सहित) होगी और दोष दायित्व अवधि समाप्त होने के बाद, इंगित किए गए दोषों का संतोषजनक रूप से सुधार किए जाने के अधीन, RMD वापस कर दिया जाएगा।

दिनांक: - निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

स्थान: - नाम और पता: फोन/मोबाइल नं.

सुरक्षा संहिता

1. सुलभ स्थान पर प्राथमिक उपचार की सामग्री, जिसमें पर्याप्त मात्रा में रोगाणुरहित पट्टियाँ तथा रूई शामिल हों, उपलब्ध रखी जाएगी।
2. ऐसे मामलों में, जहाँ चोट के कारण अस्पताल में भर्ती कराना आवश्यक हो, घायल व्यक्ति को बिना समय गँवाए निकटतम सरकारी अस्पताल ले जाया जाएगा।
3. ऐसे सभी कार्यों के लिए, जिन्हें भूमि से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता, श्रमिकों के लिए उपयुक्त और मजबूत मचान उपलब्ध कराया जाएगा।
4. किसी भी पोर्टेबल एकल सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर से अधिक नहीं होगी। दोनों पार्श्व रेलों के बीच की साफ चौड़ाई 30 सेमी से कम नहीं होगी तथा दो क्रमिक डंडों के बीच की दूरी 30 सेमी से अधिक नहीं होगी। सीढ़ी का उपयोग किए जाने पर उसे पकड़कर रखने के लिए एक अतिरिक्त श्रमिक लगाया जाएगा।
5. खुदाई से निकाली गई सामग्री को खाई के किनारे से 1.5 मीटर की दूरी के भीतर अथवा खाई की गहराई के आधे भाग की दूरी के भीतर, इनमें से जो अधिक हो, नहीं रखा जाएगा। सभी खाइयों और खुदाई वाले स्थानों पर आवश्यक घेराबंदी तथा प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी।
6. भवन के फर्श अथवा कार्य-मंच में प्रत्येक खुले स्थान पर व्यक्तियों या सामग्री के गिरने से रोकने के लिए उपयुक्त घेराबंदी या रेलिंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसकी न्यूनतम ऊँचाई एक मीटर होगी।
7. किसी भी फर्श, छत अथवा संरचना के अन्य भाग पर मलबे या सामग्री का इतना भार नहीं डाला जाएगा कि वह असुरक्षित हो जाए।
8. डामर, सीमेंट गारे अथवा कंक्रीट तथा चूने के गारे जैसी सामग्री के मिश्रण एवं संचालन में लगे श्रमिकों को सुरक्षात्मक जूते तथा रबर के दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे।
9. वेल्डिंग कार्य में लगे श्रमिकों को वेल्डर के लिए सुरक्षात्मक नेत्र-रक्षक तथा दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे।
10. (i) सीसा-युक्त कोई भी पेंट, पेस्ट अथवा तैयार पेंट के रूप के अलावा, उपयोग नहीं किया जाएगा।
    (ii) जब पेंट का छिड़काव के रूप में उपयोग किया जाता हो अथवा सीसा-युक्त पेंट वाली सतह को सूखा रगड़कर या खुरचकर साफ किया जाता हो, तब श्रमिकों के उपयोग हेतु उपयुक्त फेस मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे।
11. ठेकेदार द्वारा पेंटरों को ओवरऑल उपलब्ध कराए जाएंगे तथा काम बंद रहने की अवधि के दौरान कार्यरत पेंटरों के लिए धोने की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।
12. कार्य में उपयोग की जाने वाली उठाने की मशीनें और टैकल, उनके संलग्नक, एंकरिंग तथा सपोर्ट सहित, पूर्णतः कार्यशील स्थिति में होंगे।
13. सामग्री को उठाने या नीचे उतारने अथवा सहारा देने के लिए उपयोग की जाने वाली रस्सियाँ टिकाऊ गुणवत्ता की, पर्याप्त मजबूती वाली तथा दोषरहित होंगी।
14. बाहरी कार्य को ढकने तथा कॉलोनी के निवासियों को किसी भी प्रकार की चोट से बचाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा जाल लगाया जाएगा।
15. भारी एम.एस. संरचना के कार्य के दौरान स्थल पर सभी सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, ताकि किसी भी श्रमिक को चोट तथा आसपास के भवनों आदि को क्षति से बचाया जा सके।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक: नाम एवं पता:

फोन नं./मोबाइल नं./ई-मेल आईडी:

<u>विशेष निर्देश</u>

1. कार्य निष्पादन के लिए अनुमत समय: **स्थल सौंपे जाने के 14वें दिन से 180 दिन**। यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संपूर्ण कार्य की संविदा राशि के अधिकतम 10% की सीमा के अधीन **₹3,546/- प्रतिदिन की दर से परिनिर्धारित हर्जाना (LD)** देने के लिए उत्तरदायी होगा। निविदाकर्ता कार्य प्रारंभ करने से पहले विस्तृत कार्य कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसे बैंक के अभियंता द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। श्रमिकों को स्थल पर रहने की अनुमति नहीं होगी।
2. ठेकेदार को कार्यस्थल पर सभी सामग्री, औजार एवं संयंत्र आदि को उठाने तथा उन्हें मलबे और बचाई गई सामग्री सहित नीचे उतारने की अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी, जिससे कोई धूल, परेशानी, रिसाव/बिखराव अथवा सुरक्षा संबंधी जोखिम उत्पन्न न हो। इस प्रयोजन के लिए ठेकेदार को अपनी योजना बैंक से पर्याप्त समय पूर्व अनुमोदित करानी होगी तथा सुझाए गए किसी भी परिवर्तन को उसमें शामिल करना होगा। स्थल पर एक ट्रक की क्षमता से अधिक मलबा जमा करने की अनुमति नहीं होगी।
3. ठेकेदार को कर्मचारियों, निवासियों तथा आने-जाने वाली जनता की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक अवधि तक उचित एवं पर्याप्त होर्डिंग स्क्रीन तथा बाड़ लगानी होगी और कार्य के दौरान उसे अच्छी स्थिति में बनाए रखना होगा। जहाँ आवश्यक हो, दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए ऐसी होर्डिंग या बाड़ पर रात के समय पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य के दौरान हुई किसी भी क्षति की भरपाई ठेकेदार को बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के करनी होगी। निविदाकर्ताओं को अपने हित में कार्य की प्रकृति और मात्रा का आकलन करने के लिए स्थल का निरीक्षण करने की सलाह दी जाती है।
4. ठेकेदार को भवन के अंदर किसी भी प्रकार की मलबा सामग्री रखने की अनुमति नहीं होगी। बैंक परिसर से बाहर ले जाने से पहले समस्त मलबे को उपयुक्त च्यूट के माध्यम से नीचे लाकर, जहाँ निर्देशित किया जाए वहाँ ढेर लगाने के लिए प्रभारी अभियंता की पूर्व स्वीकृति से आवश्यक व्यवस्था पहले से करनी होगी।
5. निर्मित किए जाने वाले कार्य-मंच ऐसे होंगे कि श्रमिकों और पर्यवेक्षकों को सुरक्षित रूप से कार्य करने में सुविधा हो तथा वे एक साथ कम-से-कम तीन से चार स्तरों पर व्यक्तियों, सामग्री और मलबे का भार सहन कर सकें।
6. ठेकेदार कार्य प्रारंभ करने से पहले संविदा के अंतर्गत की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की समय-सारणी प्रस्तुत करेगा।
7. ठेकेदार भवन के अंदर धूल और गंदगी तथा शोर/परेशानी को न्यूनतम रखने का प्रयास करेगा। धूल-रहित वातावरण बनाए रखने के लिए ठेकेदार अपने खर्च पर प्रतिदिन क्षेत्र की सफाई की व्यवस्था भी करेगा।
8. मरम्मत का कार्य भवन/परिसर में निवास जारी रहते हुए किया जाना है। ठेकेदार को यथासंभव निवासियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए पूरा सहयोग देना होगा।
9. ठेकेदार को उपलब्ध जल/विद्युत के कनेक्शन लेने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी तथा उसका उपयोग यथासंभव इष्टतम रूप से किया जाएगा।

दिनांक: - ठेकेदार के नाम एवं मुहर सहित हस्ताक्षर

स्थान: - पता:

फोन/मोबाइल नं. ई-मेल आईडी.

सामग्री, विनिर्देश एवं मापन की विधि सामग्री

1. गुणवत्ता

कार्य में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री संबंधित BIS मानकों के अनुरूप तथा अपनी-अपनी श्रेणी में यहाँ विनिर्दिष्ट सर्वोत्तम गुणवत्ता की होंगी और अनुमोदित ब्रांड/निर्माता की होंगी। वे नीचे निर्धारित परीक्षणों का कड़ाई से अनुपालन करेंगी अथवा, जहाँ सूचीबद्ध विनिर्देश में परीक्षण निर्धारित नहीं हैं, वहाँ अभियंता द्वारा अनुमोदित संबंधित भारतीय मानक संहिता के नवीनतम संस्करण की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी।

2. निरीक्षण एवं परीक्षण

कार्य में शामिल किए जाने से पहले सभी सामग्रियों का निरीक्षण और परीक्षण संविदा की शर्तों तथा विनिर्देशों में अन्यत्र दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। संबंधित मानकों के अनुसार सभी परीक्षणों के लिए नमूनों की लागत संविदा दरों में शामिल मानी जाएगी। अभियंता या उनके प्रतिनिधि द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना कोई सामग्री कार्य में उपयोग नहीं की जाएगी। संबंधित सामग्री के लिए निर्माता का परीक्षण प्रमाणपत्र स्थल पर आपूर्ति किए गए सामग्री-लॉट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यकता होने पर सामग्री को तृतीय पक्ष परीक्षण के लिए भेजा जा सकता है। **बैंक के अभियंता की आवश्यकता के अनुसार** गुणवत्ता नियंत्रण का कार्य IIT, एनआईटी, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI) तथा अन्य केंद्रीय/राज्य सरकारी संस्थानों को सीधे सौंपा जा सकता है; इस संबंध में होने वाली लागत ठेकेदार के बिल से वसूल की जाएगी।

3. नमूने

कार्य में उपयोग अथवा शामिल किए जाने तथा ठेकेदार द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले प्रस्तावित सभी सामग्रियों के नमूने अभियंता या उनके प्रतिनिधि द्वारा किसी भी समय मांगे जा सकते हैं। नमूने स्थल अभियंता की उपस्थिति में कोड और मुहर के साथ लिए जाएंगे तथा परीक्षण प्राधिकरण को भेजे जाएंगे। बैंक को परीक्षण प्राधिकरण से रिपोर्ट सीधे प्राप्त होगी।

4. स्वतंत्र परीक्षण

आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए परीक्षणों और विश्लेषण की जाँच करने के लिए समय-समय पर किसी भी सामग्री के स्वतंत्र परीक्षण और विश्लेषण किसी परीक्षण गृह/एनआईटी/IIT अथवा अभियंता/बैंक द्वारा नियुक्त विश्लेषक से कराया जा सकता है। परीक्षण की प्रक्रिया और स्वीकृति मानदंड संबंधित I.S. कोड में दिए गए अनुसार होंगे। अभियंता द्वारा निर्देशित सामग्री ठेकेदार अपने खर्च पर परीक्षण गृह या विश्लेषक को उपलब्ध कराएगा और पहुँचाएगा। यदि किसी परीक्षण का परिणाम अभियंता या उनके प्रतिनिधि को असंतोषजनक पाया जाता है, तो संबंधित सामग्री अस्वीकृत कर दी जाएगी। सभी परीक्षणों की लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

5. मापन की विधि

जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो, मापन की विधि IS: 900/1200 के नवीनतम संस्करण तथा तत्संबंधी नवीनतम BIS कोड के अनुसार होगी।

अनुमोदित सामग्रियों की सूची

1. सभी सामग्री प्रथम श्रेणी की तथा ।S। चिह्नित/IS। मानक के अनुरूप होगी।
2. यदि उल्लिखित अनुमोदित ब्रांड उपलब्ध नहीं हैं, तो केवल बैंक/बैंक के अभियंता द्वारा अनुमोदित समकक्ष ब्रांड का ही कार्य में उपयोग किया जाएगा।
3. जहाँ कहीं ठेकेदार समकक्ष ब्रांड (अर्थात् विनिर्दिष्ट ब्रांड के अलावा) का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है, वहाँ ऐसा उपयोग बैंक/बैंक के अभियंता की पूर्व स्वीकृति के बाद ही किया जाएगा। इसके कारण होने वाला कोई भी अतिरिक्त व्यय और अतिरिक्त समय पूर्णतः ठेकेदार के खाते में होगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

सादे एवं छिद्रित सीलिंग बोर्ड/वॉल पैनल	गाइप्रोच/इकोफोन (सेंट गोबेन), अनुटोन, आर्मस्ट्रांग या अनुमोदित समकक्ष
आंतरिक पेंट / प्राइमर / फ्रेंच स्पिरिट / मेलामाइन पॉलिश / PU कोटिंग	एशियन पेंट्स (रॉयल), आईसीआई, नेरोलैक, बर्जर या अनुमोदित समकक्ष।
वॉल पैनलिंग	आर्मस्ट्रांग, अनुटोन, सेंट गोबेन, या समकक्ष
ध्वनिक सामग्री	आर्मस्ट्रांग, अनुटोन, सेंट गोबेन, या कोई अनुमोदित अन्य समकक्ष उच्च-श्रेणी ब्रांड
प्लाईवुड	किटप्ली, ग्रीनप्ली, एंकर, सेंचुरी, मयूर, आर्किडप्ली या कोई अन्य अनुमोदित समकक्ष उच्च-श्रेणी ब्रांड आदि।
लैमिनेट	सुन्मिका/फॉर्मिका, किटलाम, ग्रीनलम, संडेक या अनुमोदित समकक्ष ब्रांड।
एल्युमिनियम सेक्शन	जिंदल, नाल्को, हिंडाल्को या समकक्ष
लकड़ी का फर्श (स्पोर्ट्स)	बीडब्ल्यूएफ द्वारा प्रमाणित मेपल/सागौन लकड़ी आधारित फर्श
G.I. फ्रेम सीलिंग एवं पैनलिंग	सेंट-गोबेन का गाइप्रोक, आर्मस्ट्रांग, गाइपस्टील या अनुमोदित समकक्ष ब्रांड।
सीमेंट	एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा, बिड़ला, रामको या अनुमोदित समकक्ष ब्रांड।
रेडी-मिक्स प्लास्टर	अल्ट्राटेक, एसीसी, फोस्रॉक, बीएएसएफ, डॉ फिक्सिट या अनुमोदित समकक्ष ब्रांड।
व्हाइट सीमेंट / व्हाइट सीमेंट आधारित पुट्टी	बिड़ला व्हाइट, जेके व्हाइट, एसीसी या अनुमोदित समकक्ष ब्रांड।
MS बार/MS फ्लैट/MS एंगल/MS हॉलो सेक्शन	टाटा, सेल, जिंदल या अनुमोदित समकक्ष ब्रांड।

ईंटें	स्थानीय रूप से उपलब्ध, बैंक द्वारा अनुमोदित।

नोट: ठेकेदार को कार्य में उपयोग करने से पहले सभी सामग्रियों के नमूनों का अनुमोदन कार्यादेश की तारीख से 14 दिनों के भीतर बैंक से प्राप्त कर लेना चाहिए।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक: नाम एवं पता

फोन/मोबाइल नं. : ई-मेल आईडी:

भारतीय रिज़र्व बैंक

संपदा विभाग, नई दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य

मात्रा अनुसूची की प्रस्तावना

1. कार्य अधिवासित परिसर में किया जाना है, अतः इसे निवासियों को न्यूनतम असुविधा पहुँचाते हुए निष्पादित किया जाएगा। आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ एवं स्वास्थ्यकर स्थिति में बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे।
2. ठेकेदार निविदा भरने से पहले स्थल का निरीक्षण करेंगे, ताकि कार्य की प्रकृति, कार्य-क्षेत्र तथा उपलब्ध कार्यस्थल और उससे संबंधित बाधाओं को समझकर स्थल की समुचित जानकारी प्राप्त कर सकें।
3. स्थल पर कार्य करते समय सभी सुरक्षा उपायों का पालन किया जाएगा तथा सभी कामगारों को सुरक्षा बेल्ट, दस्ताने, हेलमेट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे।
4. स्थल पर किसी दुर्घटना/घटना से बचने के लिए सामग्री को उचित रूप से और सावधानीपूर्वक ढेर लगाकर सुरक्षित रखा जाएगा।
5. समीपवर्ती नगरपालिका फुटपाथ अथवा कॉलोनी परिसर में कोई मलबा नहीं रखा जाएगा और मलबे के ढेर को रोकने के लिए उसे समय-समय पर हटाया जाएगा। कार्य से उत्पन्न मलबे को नीचे लाकर केवल बैंक के अभियंता द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर उचित रूप से ढेर किया जाएगा।
6. कार्य में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्रियों का बैंक के अभियंता से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। स्थल पर पहुँचाई गई सामग्रियों के डिलीवरी चालानों की प्रतियाँ नियमित रूप से बैंक के अभियंता को प्रस्तुत की जाएंगी।
7. सामग्रियों के ब्रांड का अंतिम चयन केवल बैंक द्वारा किया जाएगा। ठेकेदारों को उपर्युक्त अनुमोदित ब्रांडों को ध्यान में रखते हुए अपनी दरें उद्धृत करनी होंगी।
8. कार्य की निगरानी के लिए स्थल पर पूर्णकालिक अनुभवी साइट पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। वह बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार दैनिक प्रगति रिपोर्ट, सामग्री खपत रजिस्टर, श्रम रिपोर्ट, सुरक्षा आदि के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार होगा।

9. कार्य के निष्पादन के दौरान बैंक की संपत्ति को हुई किसी भी क्षति की मरम्मत/भरपाई बैंक से कोई अतिरिक्त शुल्क लिए बिना कराई जाएगी। इस शर्त का पालन न किए जाने पर बैंक ठेकेदारों के जोखिम और लागत पर उक्त कार्य कराएगा।
10. कार्य पूरा होने के बाद पूरे क्षेत्र की बैंक के अभियंता की संतुष्टि के अनुसार उचित रूप से सफाई/सफाया किया जाएगा और कोई मलबा आदि पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा न किए जाने पर बैंक फर्म के जोखिम और लागत पर यह कार्य कराएगा।
11. कार्य के लिए सभी सामग्री CFO/PWD/सरकार/स्थानीय निकाय/वैधानिक प्राधिकरणों अथवा लागू अन्य किसी प्राधिकरण के मानदंडों के अनुसार अग्नि-रेटेड होगी।
12. कार्य के लिए सभी एम.एस. फ्रेम कार्य, ब्रैकेट आदि जंग-रहित होंगे तथा उन पर संक्षारणरोधी उपचार किया जाएगा।
13. कार्य बाड़ की ऊँचाई पर किया जाना है। उद्धृत दरों में स्थल की परिस्थितियों के अनुसार मजबूत मचान की लागत शामिल होगी।
14. निविदाकर्ता राज्य सरकार/केंद्र सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों के सभी नियमों और विनियमों का पालन करेगा तथा ऐसे व्ययों को उद्धृत दरों में शामिल माना जाएगा। इस संबंध में बैंक किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं करेगा।

स्थान: निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक: नाम एवं पता

फोन/मोबाइल नं.: ई-मेल आईडी:

अनुलग्नक X - भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश से संबंधित बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले वचनबद्धता / घोषणा / प्रमाण-पत्र का प्रारूप

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत मुहर लगाकर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित करके प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में

क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व

बैंक, नई दिल्ली।

कार्य का नाम:

मैं/हम (बोलीदाता का नाम और पता, जिसमें बोलीदाता के देश का स्थान भी शामिल है) ने भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश के किसी बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंधों के संबंध में सार्वजनिक खरीद प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन (OM) F.No. 6/18/2019-PPD दिनांक 23 जुलाई 2020 तथा इसके बाद जारी आदेशों / संशोधनों की विषयवस्तु को पढ़ और समझ लिया है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, अथवा

ख. भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत है, जिसका प्रमाण-पत्र संलग्न है, अथवा

ग.भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले ऐसे देश से है, जिसे भारत सरकार ने ऋण-व्यवस्था (लाइन ऑफ क्रेडिट) प्रदान की है, अथवा

घ. भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले ऐसे देश से है, जिसमें भारत सरकार विकास परियोजनाओं में संलग्न है।

(उपरोक्त में से जो लागू न हो, उसे काट दें)

3. मैं/हम आगे प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन तथा इसके बाद जारी आदेशों / संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी वचन देते हैं कि ऐसे संविदाओं के मामले में भी, जहाँ बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा हमें उप-संविदा देने की अनुमति दी जाती है, मैं/हम (बोलीदाता का नाम) भारत के साथ स्थल सीमा साझा करने वाले देश/देशों के किसी ठेकेदार को कोई कार्य उप-संविदा पर नहीं देंगे, जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश में निहित सभी आवश्यकताओं को

पूरा नहीं करता।

4. मैं/हम जानते और समझते हैं कि यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचनबद्धता / घोषणा / प्रमाणीकरण / प्रमाण-पत्र असत्य पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा / कार्यादेश को अस्वीकार / समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा और बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए भी स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना राशि जमा / कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी / प्रतिभूति जमा राशि को जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें वंचित करना शामिल है।

बोलीदाता के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर एवं नाम, मुहर सहित दिनांक:

स्थान:

भाग – II

वित्तीय/ मूल्य बोली

भाग-II के खुलने की तिथि एवं स्थान: **मूल्य बोली**	**बाद में अधिसूचित किया जाएगा**

वित्तीय/मूल्य बोली

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिकारी कॉलोनी हौज खास, नई दिल्ली में मौजूदा पुरानी चारदीवारी को तोड़ने और नई चारदीवारी के पुनर्निर्माण का कार्य

मात्राओं की अनुसूची

मद सं.	मद का विवरण	मात्रा	इकाई	दर	राशि
1	कांटेदार/कॉन्सर्टिना तार को सावधानीपूर्वक काटना एवं हटाना, विद्यमान चारदीवारी में किसी भी मोटाई के ईंट कार्य/आर.सी.सी. कार्य को तोड़ना, जिसमें एक या दोनों ओर का सीमेंट प्लास्टर, दीवार का कॉपिंग अथवा कोई अन्य फिनिश, एम.एस. ग्रिल/चारदीवारी की एम.एस. कॉरुगेटेड शीट आदि शामिल हैं तथा सभी मलबे को स्थानीय प्रशासन और एन.डी.एम.सी./एम.सी.डी. के मानदंडों के अनुसार सभी लीड एवं लिफ्ट सहित हटाकर निस्तारित करना, कार्य पूर्णतः शामिल। उपर्युक्त कार्य करने के लिए यदि आवश्यक हो तो ठेकेदार स्थानीय प्राधिकरण के साथ समन्वय करेगा; इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। समस्त कार्य साइट की आवश्यकता के अनुसार तथा बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार और स्थानीय उपविधियों एवं स्थानीय प्रशासन के कानूनों के अनुसार मलबे के निस्तारण सहित पूरा किया जाएगा। हटाए गए कांटेदार/कॉन्सर्टिना तार को बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार निर्धारित क्षेत्र में निर्धारित स्थान पर व्यवस्थित रूप से रखा जाएगा। दर में आवश्यकता पड़ने पर तथा बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार पेड़ों के नए केसिंग के	186.94	घन मीटर		

	ऊपर कांटेदार/कॉन्सर्टिना तार को पुनः लगाना भी शामिल है। नोट: तोड़ने/ध्वस्तीकरण का कार्य बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार खंडों में तथा सभी सुरक्षा सावधानियों/सुरक्षा उपायों को अपनाते हुए किया जाएगा। ध्वस्तीकरण शुरू करने से पहले ठेकेदार को सीमा रेखा के साथ अस्थायी बैरिकेडिंग की व्यवस्था करनी होगी, ताकि अतिक्रमण/अनधिकृत प्रवेश को रोका जा सके और किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। ठेकेदार ध्यान दे कि चारदीवारी पर लगी एम.एस. कॉरुगेटेड शीटों को हटाने एवं उनकी रिबेट के लिए गणना में शामिल नहीं किया गया है; सभी शीटों को हटाकर बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा।				
2	चारदीवारी की नींव की आवश्यकता के अनुसार उसकी लाइन एवं लेवल में वांछित गहराई तक प्राकृतिक सतह/मिट्टी की खुदाई करना, कॉलम, प्लिंथ बीम, फुटिंग आदि की नींव के लिए साइट की आवश्यकता के अनुसार सभी प्रकार की मिट्टी/सतह/स्तर आदि में खुदाई करना। दर में किनारों की ड्रेसिंग एवं ट्रिमिंग, डी-वाटरिंग, उपलब्ध चयनित मिट्टी से बैकफिलिंग, पानी देना, रैमिंग, संपीड़न तथा अधिशेष मिट्टी/मलबे को सभी लीड एवं लिफ्ट सहित स्थानीय उपविधियों के अनुसार बैंक के परिसर से बाहर ले जाना, सभी कार्य पूर्णतः शामिल हैं। दर में छोटे पेड़ों को स्थानांतरित करना (यदि आवश्यक हो) अथवा कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक अन्य गतिविधियाँ भी शामिल हैं। अंतिम जी.एफ.सी. ड्राइंग ठेकेदार द्वारा विनिर्देशों और	259.07	घन मीटर		

	साइट की आवश्यकता के आधार पर बैंक के परामर्श के अनुसार तैयार की जाएगी।				
3	अच्छी तरह पकी हुई, सर्वोत्तम गुणवत्ता की स्थानीय रूप से उपलब्ध ईंटों से सीमेंट मोर्टार 1:5 (1 सीमेंट : 5 मोटी रेत) में, उचित रूप से भिगोने के बाद, चारदीवारी की नींव एवं सुपर-स्ट्रक्चर में किसी भी मोटाई के ईंट चिनाई कार्य को उपलब्ध कराना एवं बिछाना, दोनों ओर पॉइंटिंग, जोड़ों की रेकिंग, मचान, क्योरिंग आदि सहित, बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार कार्य पूर्णतः शामिल। बैंक की अनुमोदित परीक्षण एजेंसी से सामग्री के परीक्षण की लागत दरों में शामिल है।	181.63	घन मीटर		
4	सादे सीमेंट कंक्रीट कार्य के लिए साइट पर तैयार डिजाइन मिक्स सीमेंट कंक्रीट ग्रेड (M15) 1:2:4 (1 भाग साधारण पोर्टलैंड सीमेंट : 2 भाग प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मोटी रेत (जोन-III) : 4 भाग 20 मि.मी. नाममात्र आकार का वर्गीकृत पत्थर एग्रीगेट, जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त हो) को निर्धारित स्थान पर उपलब्ध कराना एवं बिछाना। दर में साइट पर कंक्रीट मिक्सर एवं वाइब्रेटर के किराये के शुल्क, क्योरिंग तथा सभी लीड एवं लिफ्ट सहित परिवहन की लागत शामिल होगी, लेकिन सेंटरिंग, शटरिंग एवं फिनिशिंग की लागत शामिल नहीं होगी। समस्त कार्य प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार किया जाएगा।	22.28	घन मीटर		
5	आर.सी.सी. कार्य के लिए ग्रेड M25 1:1:2 (1 साधारण पोर्टलैंड सीमेंट : 1 प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मोटी रेत (जोन-III) : 2 प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त 20 मि.मी. नाममात्र आकार का वर्गीकृत स्टोन एग्रीगेट) का रेडी-मिक्स अथवा साइट पर तैयार डिजाइन	159.66	घन मीटर		

	मिक्स सीमेंट कंक्रीट, न्यूनतम सीमेंट सामग्री 330 किग्रा./घन मी. (प्लिंथ लेवल तक), उपलब्ध कराना एवं निर्धारित स्थान पर बिछाना; प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मोटे एवं महीन एग्रीगेट, पोर्टलैंड पॉज़ोलाना/साधारण पोर्टलैंड/पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट तथा IS: 9103 के अनुसार अनुशंसित अनुपात में मिश्रण पदार्थों का उपयोग, ताकि कंक्रीट के जमने की गति को बढ़ाया/घटाया जा सके तथा उसकी मजबूती को प्रभावित किए बिना टिकाऊपन और कार्यशीलता में सुधार किया जा सके; कंक्रीट को बिछाने के स्थान तक पंप करने, क्योरिंग तथा सभी लीड सहित परिवहन की लागत सहित, लेकिन सेंटरिंग, शटरिंग, फिनिशिंग एवं सुदृढ़ीकरण की लागत को छोड़कर, प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार। उपर्युक्त ग्रेड के कंक्रीट के लिए। कंक्रीट का ग्रेड ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा बैंक की अनुमोदित परीक्षण एजेंसी से परीक्षण की लागत दरों में शामिल है।				
	20 मि.मी. नाममात्र आकार का, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त, स्टोन एग्रीगेट) के साथ न्यूनतम सीमेंट सामग्री 330 किग्रा./घन मी. (प्लिंथ लेवल तक); प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त मोटे एवं महीन एग्रीगेट, पोर्टलैंड पॉज़ोलाना/साधारण पोर्टलैंड/पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट तथा IS: 9103 के अनुसार अनुशंसित अनुपात में मिश्रण पदार्थों का उपयोग, ताकि कंक्रीट के जमने की गति को बढ़ाया/घटाया जा सके तथा उसकी मजबूती को प्रभावित किए बिना टिकाऊपन और कार्यशीलता में सुधार किया जा सके; कंक्रीट को बिछाने के स्थान तक पंप करने, क्योरिंग तथा सभी लीड सहित परिवहन की लागत सहित, लेकिन				

	सेंटरिंग, शटरिंग, फिनिशिंग एवं सुदृढ़ीकरण की लागत को छोड़कर, प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार; उपर्युक्त ग्रेड के कंक्रीट के लिए। कंक्रीट का ग्रेड ठेकेदार द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा तथा बैंक की अनुमोदित परीक्षण एजेंसी से परीक्षण की लागत दरों में शामिल है।				
6	आर.सी.सी. कार्य के लिए बार बेंडिंग शेड्यूल के अनुसार आवश्यक व्यास की Fe 500D स्टील बार का सभी स्तरों एवं ऊँचाइयों पर आपूर्ति, सीधा करना, काटना, मोड़ना, बाँधना तथा निर्धारित स्थान पर रखना, जिसमें डबल-प्लाई जी.आई. बाइंडिंग वायर आदि की लागत शामिल है। दर में साइट की आवश्यकता के अनुसार कटाई, मोड़ाई, टूल्स एवं प्लांट, मचान, कार्य प्लेटफॉर्म तथा सामग्री की लीड एवं लिफ्ट की लागत शामिल होगी। समस्त कार्य बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार पूरा किया जाएगा। बैंक द्वारा अनुमोदित एजेंसियों से सामग्री के परीक्षण की लागत इसमें शामिल है।	27455.1	किग्रा.		
7	नींव, कॉलम, बीम तथा अन्य संरचनात्मक सदस्यों के लिए सभी स्तरों पर, आवश्यकता के अनुसार, सेंटरिंग एवं शटरिंग उपलब्ध कराना, जिसमें स्ट्रटिंग, प्रॉपिंग तथा फॉर्मवर्क को हटाना शामिल है। कार्य अनुमोदित फॉर्मवर्क सामग्री जैसे स्टील, प्लाईवुड या समकक्ष सामग्री का उपयोग करके, कंक्रीटिंग के दौरान उचित संरेखण एवं स्थिरता सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। सभी आवश्यक सपोर्ट एवं सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाएंगे। उद्धृत दर में सभी सामग्री, श्रम, टूल्स एवं उपकरणों की लागत तथा शटरिंग सामग्री के पूर्ण उपयोग के बाद उसके बचाव	1408.872	वर्ग मीटर		

	मूल्य (salvage value) को भी शामिल किया जाएगा, जैसा कि बैंक के प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित हो।				
8	दो परतों में औसतन 18 मि.मी. मोटा सीमेंट प्लास्टर उपलब्ध कराना एवं करना। न्यूनतम 12 मि.मी. मोटी बेस कोट 1:5 (1 सीमेंट : 5 मोटी रेत) सीमेंट मोर्टार में, वजन के अनुसार 2% वॉटरप्रूफिंग कंपाउंड अथवा निर्माता के विनिर्देशों के अनुसार मिलाकर, तथा 1:3 (1 सीमेंट : 3 महीन रेत) सीमेंट मोर्टार की न्यूनतम 6 मि.मी. मोटी टॉप कोट, जिस पर खुरदरी स्पंज/रेत फिनिश हो, चिनाई की दीवार/आर.सी.सी. सतहों पर सभी ऊँचाइयों पर, आवश्यक मचान/कार्य प्लेटफॉर्म, प्लास्टर में मोल्डिंग तथा बेंड, ग्रूव, ड्रिप मोल्डिंग उपलब्ध कराने, क्योरिंग आदि सहित, बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार पूर्णतः। कार्य उचित लाइन, लेवल एवं प्लम्ब में किया जाएगा। दर में आर.सी.सी. एवं चिनाई के सभी जोड़ों (आंतरिक एवं बाहरी दोनों) पर 28 गेज एवं 300 मि.मी. चौड़ी चिकन वायर मेश उपलब्ध कराने एवं लगाने की लागत, जो जोड़ों/जंक्शनों के दोनों ओर कम से कम 150 मि.मी. तक हो, शामिल होगी। उचित लाइन एवं लेवल प्राप्त करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त मोटाई की लागत भी दर में शामिल होगी।	1462.4	वर्ग मीटर		
9	आर.सी.सी. सतहों पर उचित लाइन, लेवल एवं प्लम्ब में 1:3 (1 सीमेंट : 3 महीन रेत) मिश्रण का 6 मि.मी. सीमेंट प्लास्टर उपलब्ध कराना एवं करना, जिसमें आवश्यक कार्य प्लेटफॉर्म/मचान तथा बेंड, ग्रूव, प्लास्टर में ड्रिप मोल्डिंग, क्योरिंग आदि उपलब्ध कराना शामिल है। समस्त कार्य पूर्णतः किया जाएगा।	767.38	वर्ग मीटर		

	निविदा दस्तावेज में दी गई अनुमोदित सामग्री की सूची के अनुसार और निर्माता के विनिर्देशों के अनुरूप, दीवारों, बीम, कॉलम आदि की बाहरी सतहों पर अनुमोदित शेड का बाहरी गुणवत्ता वाला प्राइमर का एक कोट तथा 100% ऐक्रेलिक इमल्शन पेंट के दो या अधिक कोट [प्लेन/रोलर फिनिश]		वर्ग मीटर		
10	उपलब्ध कराना एवं लगाना, ताकि वांछित शेड एवं फिनिश प्राप्त हो; इसमें सतह की तैयारी, ढीली धूल या गंदगी हटाना, मचान, साइट की सफाई आदि सहित सभी कार्य शामिल हैं, जो विनिर्देशों तथा बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार साइट पर आवश्यक हों।	2229.78			
	अनुमोदित डिजाइन/पैटर्न का माइल्ड स्टील (MS) कंपाउंड वॉल ग्रिल, उचित लाइन एवं लेवल में,		किग्रा.		
11	उपलब्ध कराना, फैब्रिकेट करना, वेल्ड करना, खड़ा करना एवं लगाना, जिसमें 125 मि.मी. सेंटर-टू-सेंटर पर 12 मि.मी. के इनफिल स्क्वायर बार, लगभग 1400 मि.मी. लंबाई के तथा साइट की आवश्यकता के अनुसार ऊपर की ओर नुकीले फोर्ज्ड एम.एस. स्पाइक, ऊपर और	13546.00			
	नीचे 50x6 मि.मी. मोटी फ्लैट से वेल्डेड, चारदीवारी के ग्रिल में वांछित दूरी पर 2 क्षैतिज फ्लैट (50x6 मि.मी.) वेल्डेड एवं स्पेस किए हुए। एम.एस. ग्रिल में अनुमोदित डिजाइन के अनुसार गोलाकार रिंग एवं सजावटी डिजाइन भी होंगे। एम.एस. ग्रिल को बैंक के अभियंता की अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार बनाया जाएगा तथा 230x400 मि.मी. आकार के चिनाई की दीवार/कॉलम में छोड़े गए पॉकेट में M-25 ग्रेड कंक्रीट से विधिवत ग्राउट किया जाएगा। दर में				

	क्योरिंग, मचान/कार्य प्लेटफॉर्म, श्रम, सामग्री आदि शामिल हैं। दर में पूरे एम.एस. ग्रिल/सेक्शन पर अनुमोदित मेक एवं शेड के प्रथम गुणवत्ता वाले सिंथेटिक इनैमल पेंट के दो कोट, संक्षारणरोधी जिंक क्रोमेट प्राइमर के एक कोट के ऊपर, विनिर्देशों तथा बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार लगाने की लागत भी शामिल होगी।				
12	12 मि.मी. मोटा बिटुमेन-इम्प्रेग्नेटेड फाइबर बोर्ड उपलब्ध कराना एवं निर्धारित स्थान पर लगाना, जिसमें एक्सपैंशन जॉइंट्स में प्राइमर, ग्रेड-A सीलिंग कंपाउंड की लागत तथा बैंक के अभियंता के निर्देशानुसार सभी प्रकार से फिनिशिंग शामिल है। कार्य उचित आसंजन, सीलिंग एवं फिनिशिंग सुनिश्चित करने तथा विनिर्देशों का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जाएगा। पूर्ण एवं टिकाऊ स्थापना के लिए आवश्यक सभी सामग्री, श्रम एवं टूल्स इसमें शामिल हैं। संपूर्ण कार्य बैंक के अभियंता के निर्देशों एवं संतुष्टि के अनुसार किया जाएगा।	20.00	वर्ग मीटर		
13	साइट पर 2.0 मीटर ऊँची बैरिकेडिंग उपलब्ध कराना एवं खड़ी करना; मजबूत एम.एस. फ्रेमवर्क से निर्मित, जिसे जमीन में उपयुक्त रूप से फिक्स किया गया हो और 1.63 मि.मी. मोटी एम.एस. शीट से ढका गया हो। शीट को उपयुक्त वेल्डिंग/रिवेटिंग द्वारा फिक्स किया जाएगा। उपलब्ध कराई गई बैरिकेडिंग को पूरे कार्य के निष्पादन एवं पूर्णता तक साइट पर लगातार उसी स्थान पर बनाए रखा जाएगा, जिसमें कार्य के दौरान आवश्यकता के अनुसार बैरिकेडिंग को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जितनी बार आवश्यक हो स्थानांतरित करना शामिल है। दर में	508.00	रनिंग मीटर		

	क्षति की मरम्मत, पेंटिंग, सभी आनुषंगिक कार्य, श्रम, सामग्री, उपकरण तथा कार्य निष्पादन के लिए आवश्यक अन्य कार्यों की लागत शामिल है। बैंक के अभियंता की पूर्व स्वीकृति के बिना बैरिकेडिंग नहीं हटाई जाएगी। नोट: i. एक समय में कम से कम				
	2.5 मीटर लंबाई के हिस्से की बैरिकेडिंग ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ii. उपलब्ध कराई गई बैरिकेडिंग कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार की संपत्ति बनी रहेगी।				
14	कॉपिंग/कॉलम आदि की C.C./R.C.C./ईंट चिनाई सतह पर 12 मि.मी. व्यास के थ्रेडेड एक्सपैंशन होल्ड फास्टनर उपलब्ध कराना एवं लगाना, कॉलम पोस्ट में एम.एस. ग्रिल लगाने तथा पेड़ों के चारों ओर एम.एस. ग्रिल लगाने के लिए, जिसमें आवश्यक छेदों की ड्रिलिंग तथा बोल्ट आदि की लागत शामिल है। समस्त कार्य पूर्णतः किया जाएगा।	1016.00	नग.		
15	ट्री गार्ड केसिंग के लिए स्ट्रक्चरल स्टील कार्य उपलब्ध कराना एवं लगाना। केसिंग को स्प्लिट-बॉक्स यूनिट (दो हिस्सों) के रूप में फैब्रिकेट किया जाएगा, ताकि पेड़ के तने के चारों ओर बिना किसी क्षति के लगाया जा सके। डिजाइन आकार: 400 मि.मी. लंबा x 400 मि.मी. चौड़ा x 1400 मि.मी. ऊँचा। अनुमोदित डिजाइन/पैटर्न का माइल्ड स्टील (MS) कंपाउंड वॉल ग्रिल, उचित लाइन एवं लेवल में, 125 मि.मी. सेंटर-टू-सेंटर पर 12 मि.मी. स्क्वायर बार तथा साइट की आवश्यकता के अनुसार ऊपर की ओर नुकीले, नीचे 40x5 मि.मी. मोटी फ्लैट से वेल्डेड, चारदीवारी के ग्रिल में 125 मि.मी. सेंटर-टू-सेंटर की वांछित दूरी पर 50x6 मि.मी. क्षैतिज फ्लैट वेल्डेड एवं	521.70	किग्रा.		

	स्पेस किए हुए, उपलब्ध कराना। 50x50x6 मि.मी. एम.एस. एंगल से बनाया गया टेपरयुक्त U-आकार का संयोजन, जिसे आपस में वेल्ड किया गया हो, जिसमें कटिंग, आकार के अनुसार मोड़ना तथा दीवार की चिनाई में समावेशन के लिए आवश्यक कटआउट शामिल हैं। बैंक के अभियंता की अनुमोदित ड्राइंग के अनुसार।				
16	साल्वेज मूल्य वाली पुरानी वस्तुओं को हटाकर ले जाने के लिए रिबेट, जैसे प्लिंथ के ऊपर एवं नीचे हटाई गई पुरानी टूटी ईंटें तथा उन स्थानों पर जहाँ नींव के लिए खुदाई की गई है, लगभग 14500 KG वजन वाले ग्रिल के एम.एस. सेक्शन, मद संख्या 1 के अंतर्गत तोड़े गए ग्रिल, बार आदि। ठेकेदार ध्यान दे कि चारदीवारी पर लगी एम.एस. कॉरुगेटेड शीट तथा कॉन्सर्टिना/कांटेदार तार को हटाकर ले जाने एवं रिबेट में शामिल नहीं किया गया है; इन्हें बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार निर्धारित स्थान पर रखा जाएगा।	-1	लॉट		
करों एवं सीपीओएच सहित कुल राशि :-					

नोट:

क. दरों में सभी लागू वैधानिक लेवी/कर (जीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी) और बोलीदाता द्वारा सरकारी प्राधिकरणों को देय सभी वैधानिक बकाया शामिल होने चाहिए।

ख. तीसरे ई-कवर यानी भाग-II (मूल्य बोली) के साथ कोई भी दस्तावेज संलग्न नहीं किया जाना चाहिए।

ग. भाग-II में कोई शर्त, अलग से शर्त वाले नोट आदि नहीं जोड़े जाने चाहिए।

घ. कृपया केवल CPPP पर दिए गए एक्सेल फ़ॉर्मैट का ही इस्तेमाल करें।

ङ. ऊपर बताई गई कुल बोली राशि के अलावा बैंक द्वारा कोई और शुल्क नहीं दिया जाएगा।

च. दरें दशमलव के दो स्थानों तक बताई जानी चाहिए।

छ. बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्राइस बिड (कीमत की बोली) जमा करने से पहले साइट पर जाकर वहां की स्थितियों को समझ लें और काम के दायरे (स्कोप ऑफ़ वर्क) की जानकारी ले लें।

ज. टेक्निकल बिड (भाग-I) में बताई गई सभी शर्तें प्राइस बिड का भी हिस्सा होंगी। इसलिए, बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे उसी के अनुसार अपनी दरें बताएं।

झ. निविदा खुलने के बाद और काम सौंपने से पहले, बैंक अपने प्रशासनिक आदेश, किसी अपरिहार्य कारण, साइट की सीमाओं या किसी अन्य कारण से किसी भी आइटम या मात्रा को हटा सकता है।

स्थान: निविदाकार का हस्ताक्षर एवं मुहर

दिनांक: